संविधान का निर्माण

1. ______ लिखित नियमों का एक समूह है जिसे देश के भीतर रहने वाले सभी लोगों द्वारा स्वीकार किया जाता है।

(a) रिट　　　　(b) संविधान (✓)

(c) बिल　　　　(d) दस्तावेज

2. सभी ______ देशो में संविधान होने की संभावना है।

(a) कम्युनिस्ट　　　　(b) लोकतांत्रिक (✓)

(c) कुलीनतंत्र　　　　(d) अधिनायकवादी

1934 → MN Roy द्वारा सर्वप्रथम संविधान सभा की माँग।

1935 → कांग्रेस ने अधिकारिक रूप से संविधान सभा के गठन की बात कही।

1936 → कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन मे नेहरू जी द्वारा मांग।

अगस्त प्रस्ताव : 8 अगस्त 1940

गवर्नर जनरल - लिनलिथगो

- इसमें संविधान सभा की माँग को स्वीकारा गया।
- लेकिन यह कांग्रेस व मुस्लिम लीग के द्वारा Reject कर दिया जाता है।

{ इसके विरोध मे व्यक्तिगत सत्याग्रह होता है।

1st — आचार्य विनोबा भावे

2nd — पं० जवाहर लाल नेहरू

PARMAR SSC

क्रिप्स मिशन : 1942

- स्टेफार्ड क्रिप्स के नेतृत्व मे
- यह भी Reject हो जाता है।
- क्रिप्स मिशन के अस्वीकृत होने के बाद भारत छोडो आंदोलन (1942) चालू होता है।

अस्वीकृत होने के कारण:

डोमिनियन स्टेटस [Dominion status] का दर्जा दिया जायेगा।
[कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वराज की मांग]
मुहम्मद अली जिन्ना ने पृथक पाकिस्तान की मांग करते हुये इसे मानने से इंकार कर दिया।

कैबिनेट मिशन - 1946 :

यह 3 सदस्यीय मिशन था।

1. A.V. अलेक्जेण्डर
2. स्टेफार्ड क्रिप्स
3. लार्ड पेथिक लारेंस (अध्यक्ष)

- कैबिनेट मिशन को कांग्रेस व मुस्लिम लीग द्वारा स्वीकार कर लिया गया।
- परंतु इसमे मुस्लिम लीग के पृथक पाकिस्तान की मांग को Reject कर दिया गया। [साम्प्रदायिक निर्वाचन को स्वीकारा गया जिसने मुस्लिम लीग को काफी हद तक संतुष्ट किया]

कैबिनेट मिशन के अनुसार,
Total Seats - 389

PARMAR SSC

total Seats - 389

- 296 Seats (elected) — ब्रिटिश भारत के प्रांतो से
  - 292 — गवर्नर के शासन वाले प्रांत से
  - 4 Seats — चीफ कमिश्नर शासन प्रांत से
- 93 Seats (Nominated) — देशी रियासतो से

अप्रत्यक्ष निर्वाचन [Indirectly elected]

समुदायो का विभाजन - 3 [मुस्लिम, सिक्ख, सामान्य]

10 लाख - 1 सीट

चुनाव: जुलाई - अगस्त 1946

परिणाम:

296 सीट

- 208 कांग्रेस
- 73 मुस्लिम लीग
- 15 अन्य

विभाजन के बाद कुल सीटे 299 रह गई।

संविधान सभा की पहली बैठक :

9 दिसम्बर 1946 [211 सदस्य]

↓

13 दिसम्बर 1946 → जवाहर लाल नेहरु ने 'उद्देश्य प्रस्ताव' प्रस्तुत किया।

→ यह प्रस्ताव 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा ने स्वीकार कर लिया।

समितियाँ (committee)

- महत्वपूर्ण समितियाँ (Major) - 8
- छोटी समितियाँ (लघु) (Minor) - 13

PARMAR SSC

सबसे महत्वपूर्ण समिति - मसौदा समिति (7 सदस्य) (29 अगस्त 1947)

1. डॉ० भीमराव अंबेडकर (अध्यक्ष) (Modern Manu) (बंगाल से elected)
2. अल्लादि कृष्णा स्वामी अय्यर
3. गोपाल स्वामी आयंगर
4. मोहम्मद सादुल्लाह खान
5. B.L. मित्र ——→ N. माधवराव
   (स्वास्थ्य कारणों से इस्तीफा दे दिया)
6. D.P. खेतान ——→ T.T. कृष्णामचारी
   (मृत्यु)
7. कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी

◉ संविधान सभा के 11 अधिवेशन हुए / 165 दिन

◉ संविधान की निर्मिति होने मे 2 वर्ष 11 माह 17 दिन का समय लगा।

पहला सत्र : 9 - 23 दिसम्बर

दसवां सत्र : 6 - 17 अक्टूबर

ग्यारहवां सत्र : 14 - 26 नवंबर 1949

पहला मसौदा प्रकाशित किया गया था - 21 फरवरी 1948

भारत के लोगों को 8 महीने दिए गए।

संविधान सभा के समक्ष अंतिम मसौदा पेश किया - 4 नवंबर 1948

प्रथम वाचन - 5 दिन

दूसरा " - 15 नवंबर 1948 - 17 अक्टूबर 1949

तीसरा " - 26 नवंबर 1949 को पूर्ण।

PARMAR SSC

"स्वतंत्र भारत का संविधान वयस्क मताधिकार के आधार पर निर्वाचित संविधान सभा द्वारा बिना किसी बाहरी हस्तक्षेप के बनाया जाना चाहिए।"

\- जवाहर लाल नेहरू

"26 जनवरी 1950 को हम विरोधाभास के जीवन में प्रवेश करने जा रहे हैं। राजनीति में हमारे पास समानता होगी और सामाजिक एवं आर्थिक जीवन में हमारे पास असमानता होगी।" B.R. अम्बेडकर

- B.R. अम्बेडकर द्वारा final draft रखा गया - 4 नवंबर 1948

Adopt → 26 नवंबर 1949

↳ संविधान दिवस के रूप मे मनाया जाता है।

लागू → 26 जनवरी 1950

↳ लाहौर अधिवेशन (1929) मे कांग्रेस ने घोषणा की थी कि 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज दिवस मनायेंगे।

Note: कुछ प्रावधान को 26 Nov. 1949 को ही लागू कर दिये गये थे।

1. नागरिकता
2. चुनाव
3. अंतरिम संसद

संविधान सभा के मुख्य कार्य

- संविधान निर्माण → अध्यक्ष - राजेन्द्र प्रसाद
- कानून बनाना [law making body] → GV मावलंकर (अध्यक्ष)

अस्थायी अध्यक्ष - डॉ० सच्चिदानंद सिन्हा
उपाध्यक्ष - H.C. मुखर्जी, V.T. कृष्णामचारी

- संविधान सभा ने प्रथम संसद के रूप मे कार्य किया।

संवैधानिक सलाहकार - बी. एन. राव

संविधान के मुख्य प्रारूपकार (ड्राफ्ट्समैन) - एस. एन. मुखर्जी

संविधान सभा के अन्य कार्य:

1. राष्ट्रध्वज अपनाया - 22 जुलाई 1947
2. राष्ट्रीय गीत - } 24 जनवरी 1950
3. राष्ट्रीय गान - } 24 जनवरी 1950

इसी दिन संविधान सभा के 284 (15 महिलाये) सदस्यो ने संविधान पर हस्ताक्षर किए।

Extra: महिला सदस्य - राजकुमारी अमृतकौर (प्रथम स्वास्थ्य मंत्री)
सुचेता कृपलानी (प्रथम मुख्यमंत्री - UP)
सरोजिनी नायडू (प्रथम राज्यपाल)

4. 24 जनवरी 1950 को ही राजेन्द्र प्रसाद को भारत के प्रथम राष्ट्रपति चुना गया।
5. कॉमनवेल्थ की सदस्यता को May 1949 मे Ratify (पुष्टि करना) किया।

मूल संविधान के सुलेखकार - प्रेम बिहारी नारायण रायजादा (अंग्रेजी मे)

हिन्दी मे सुलेखित किया - वसंत कुमार वैद्य

PARMAR SSC

संविधान मे सजावट का कार्य- नंदलाल बोस एवं बिऊहर राम मनोहर सिन्हा

संविधान सभा का प्रतीक चिन्ह - हाथी

1. संविधान बनाने वाला पहला देश - USA (1788)
आजाद - 4 जुलाई 1776

2. मोतीलाल नेहरू (अध्यक्ष) और आठ अन्य कांग्रेस नेताओं ने किस वर्ष भारत के लिए संविधान का मसौदा तैयार किया था - 1928

3. किस वर्ष मे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने संविधान सभा की मांग की थी - 1934

4. संविधान सभा की कुल सदस्यता 389 थी, जिनमे से कितने रियासतो के प्रतिनिधि थे - 93

5. संविधान सभा मे महिला सदस्य - 15

6. भारत की संविधान सभा मे प्रारंभ मे कितने सदस्य थे - 299

7. उद्देश्य प्रस्ताव किसने पेश किया जिसे बाद मे भारत के संविधान की प्रस्तावना के रूप मे अपनाया गया - जवाहर लाल नेहरू
(13 Dec. 1946)
(22 Jan. 1947) adopt

8. 1946 मे किसे भारतीय संविधान सभा का अंतरिम अध्यक्ष बनाया गया था - सच्चिदानन्द सिन्हा

9. भारत में पहला संविधान सभा चुनाव कब हुआ था - 1946

10. संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई - दिसम्बर 1946

11. भारतीय संविधान सभा के कितने सत्र की अध्यक्षता की गई - 11

PARMAR SSC

12. 1946 मे भारतीय संविधान के निर्माण के दौरान विधानसभा के संवैधानिक सलाहकार के रूप मे किसे नियुक्त किया गया था -

B. N. राव

13. भारत की संविधान सभा की हाउस कमेटी के अध्यक्ष कौन थे -

B पट्टाभी सीतारमैया

• **महत्वपूर्ण समितियाँ:**

1. संघ संविधान समिति - जवाहर लाल नेहरू
2. संघ शक्ति समिति - जवाहर लाल नेहरू
3. प्रांतीय संविधान समिति - सरदार पटेल
4. परामर्श समिति - सरदार पटेल
5. नियम प्रक्रिया समिति - डॉ० राजेन्द्र प्रसाद
6. संचालन समिति - डॉ० राजेन्द्र प्रसाद
7. प्रारुप समिति - डॉ० भीमराव अम्बेडकर
8. देशी रियासतो से वार्ता संबधी समिति - जवाहर लाल नेहरू

14. अल्लादी कृष्णास्वामी अय्यर भारत की संविधान सभा के ______ अध्यक्ष थे - क्रेडेंशियल समिति

15. जीवी मावलंकर भारत की संविधान सभा के ____ अध्यक्ष थे कार्यों पर समिति

16. कौन संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए जिम्मेदार संविधान सभा का हिस्सा नही था - महात्मा गांधी

17. संविधान सभा की प्रारुप समिति मे कितने सदस्य शामिल थे - 7

18. प्रारुप समिति ने भारतीय संविधान को किस भाषा मे लिखा - हिन्दी एवं अंग्रेजी

PARMAR SSC

19. संविधान सभा के सदस्यो ने कब भारत के संविधान पर हस्ताक्षर किए - 24 जनवरी 1950

20. भारत का संविधान किसके हाथ से लिखा गया था - प्रेम बिहारी नारायण रायजादा

21. संविधान सभा ने भारत का संविधान कब अपनाया - 26 Nov. 1949

22. संविधान सभा ने डॉ० बी. आर. की अध्यक्षता मे एक मसौदा समिति की स्थापना कब की - 29 अगस्त 1947

23. हमारे संविधान के अनुसार, भारत _____ है - एक धर्मनिरपेक्ष राज्य

24. संविधान दिवस - 26 नबंवर

25. गणतंत्र दिवस समारोह के अंत का प्रतीक समारोह है - बीटिंग रिट्रीट समारोह

26. किस देश का संविधान अलिखित है - UK

27. भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता देश में एक से अधिक स्तर की सरकार के अस्तित्व को दर्शाती है - संघवाद

28. कौन भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताओ मे से एक है - संघवाद

29. भारत के संविधान की कौन सी एकात्मक विशेषता नही है - द्विसदनीय विधानमंडल

30. कौन भारतीय संविधान की संघीय विशेषता नही है - अखिल भारतीय सेवाएँ (Art. 312)

31. राज्य की एकात्मक प्रणाली मे कौन से लाभ है - मजबूत राज्य

32. भारत का संविधान एक संप्रभु समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य है जिसमे सरकार की ____ प्रणाली है - संसदीय

PARMAR SSC

33. सरकार के संसदीय स्वरुप की सबसे आवश्यक विशेषता ___ है-
कार्यपालिका की विधायिका के प्रति जवाबदेही

34. भारत का संविधान है- आंशिक रूप से कठोर, आंशिक रूप से लचीला

35. संविधान सभा ने जनवरी 1950 मे राष्ट्रगान को अपनाया|

PARMAR SSC

संविधान की मुख्य विशेषताएं:

- सबसे लम्बा लिखित संविधान

7 वां संविधान संशोधन 1956

मौलिक रूप से संविधान में शामिल 395 अनुच्छेद, 22 भाग 8 अनुसूचियाँ → वर्तमान में शामिल 470 अनुच्छेद, 25 भाग और 12 अनुसूचियाँ → भाग 7 हटा दिया गया और नए भाग 4A, 9A, 9B, 14A

9A – 74वां, 9B – 97वां, 14A – 42वां, 4A – 42वां

- अलिखित संविधान- ब्रिटेन

संघवाद :

इसका तात्पर्य देश में एक से अधिक स्तर की सरकार के अस्तित्व से है।

केन्द्र
↓
राज्य
↓
स्थानीय निकाय

भारत में सरकार के 3 स्तर मौजूद हैं।

संघवाद के तहत, राज्य न केवल संघीय सरकार के एजेंट हैं, बल्कि संविधान से भी अपना अधिकार प्राप्त करते हैं।

संघीय विशेषताएं	एकात्मक विशेषताएं
लिखित संविधान	एकल संविधान
संविधान की सर्वोच्चता	एकल नागरिकता
संविधान की कठोरता	एकीकृत न्यायपालिका
न्यायपालिका की स्वतंत्रता	अखिल भारतीय सेवाएं
द्विसदनवाद	आपातकालीन प्रावधान
दोहरी सरकार	केन्द्र द्वारा राज्यपालों की नियुक्ति

PARMAR SSC

→ " भारतीय संघवाद पर टिप्पणियाँ "

अर्द्ध संघीय	→ KC व्हेयर
सहकारी संघवाद	→ ग्रेनविल ऑस्टिन
सौदेबाजी संघवाद	→ मॉरिस जोन्स

→ " सरकार का संसदीय स्वरूप "

शक्तियों का पृथक्करण

सरकार के तीन अंगों के बीच अलगाव

" सरकार के अंग "

विधायिका	कार्यपालिका	न्यायपालिका
↓ कानून बनाना	↓ कानून लागू करना	↓ समीक्षा करना

→ मौलिक अधिकार :

मौलिक अधिकारों के अनुभाग को अक्सर भारतीय संविधान की 'अंतर्रात्मा' के रूप में संदर्भित किया गया है।

इसलिए, मौलिक अधिकार राज्य द्वारा सत्ता के मनमाने और पूर्ण प्रयोग से नागरिकों की रक्षा करते हैं।

→ धर्मनिरपेक्षता : (पंथनिरपेक्षता)

एक पंथनिरपेक्ष राज्य वह है जिसमें राज्य आधिकारिक तौर पर किसी एक धर्म को राज्य धर्म के रूप में बढ़ावा नहीं देता है।

इस्लामिक राज्य - पाकिस्तान

पंथनिर्पेक्षता / पंथनिरपेक्षता

- ऋणात्मक → राज्य शामिल नहीं — USA
- धनात्मक → शामिल — भारत

PARMAR SSC

" कोई यह पूछना चाहता है कि क्या दुनिया के इतिहास में इस समय बनाए गए संविधान में कुछ भी नया हो सकता है... इतनी देर में बनाए गए संविधान में अगर कोई नई चीज हो सकती है, तो वह है इसमें किए गए बदलाव, दोषों को दूर करना और देश की आवश्यकताओं के अनुरूप समायोजित करना। "

→ **भीमराव अम्बेडकर**

→ **'कई स्रोतों से उधार'**

संविधान की अनुसूचियाँ:

8 (मूल रूप से) → 12 (वर्तमान में)

- **प्रथम अनुसूची:** भारत संघ & उसके राज्य क्षेत्र का वर्णन
  राज्य - 28
  UT - 8

- **2nd अनुसूची:** राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष CAG आदि को मिलने वाले वेतन, पेंशन एवं भत्ते)

- **3rd अनुसूची:** संघ & राज्यों के मंत्री, सांसद, विधायकों आदि के शपथ। (CAG, SC/HC के जज)

- **4th अनुसूची:** राज्य सभा में सीटों का आवंटन।

- **5th अनुसूची:** SC/ST क्षेत्र- प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उपबंध

- **6th अनुसूची:** असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा राज्यों में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उपबंध।
  (ATMM)
  Manipur (X)

◉ 7th अनुसूची: संघसूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची।

संघ सूची:
- रक्षा
- बैंक
- मुद्रा
- विदेशी मुद्दे
- संचार

राज्य सूची:
- पुलिस
- कृषि
- व्यापार
- स्वास्थ्य

समवर्ती सूची:
- शिक्षा
- वन
- मापतौल
- परिवार नियोजन & जनसंख्या
- विवाह
- अधिग्रहण

◉ 8th अनुसूची: भाषाएँ

मूलसंविधान - 14
वर्तमान - 22

21 वां संविधान संशोधन 1967 → सिंधी भाषा

71 वां ,, ,, 1992 → नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी

92 वां ,, ,, 2003 → मैथिली, संथाली, बोडो, डोगरी

96 वां ,, ,, → उड़िया

शास्त्रीय भाषाएँ →
- तू → तमिल
- शुरू → संस्कृत
- तो → तेलगु
- कर → कन्नड़
- मै → मलयालम
- आरिया → ओडिया

◉ 9th अनुसूची: 'भूमि सुधार से संबधित'

पहला संविधान संशोधन 1951 के तहत जोडी गई।
(PM - नेहरू जी)

PARMAR SSC

⊙ **10th अनुसूची:** दल-बदल कानून निषेध किया गया
52 वें संविधान संशोधन 1985 के तहत जोड़ी गई।

⊙ **11th अनुसूची:** ग्राम पंचायत के 29 विषयों का उल्लेख।
73 वां संविधान संशोधन 1992-93 के तहत जोड़ी गई
(pm- पीवी नरसिम्हा राव)

⊙ **12th अनुसूची:** नगर पंचायत के 18 विषयों का उल्लेख।
74 वां संविधान संशोधन 1993 के तहत।

→ कौन सी भाषा आठवीं अनुसूची मे शामिल नहीं है- अंग्रेजी
→ भारत के संविधान के अनुसार, 'पशुधन और पशुपालन' का विषय शामिल है- राज्य सूची

42 वें संशोधन के माध्यम से स्थानांतरित किये गए विषय:

राज्य सूची → समवर्ती सूची

- शिक्षा
- वन
- माप-तौल
- जंगली जानवरों और पक्षियों का संरक्षण
- न्याय प्रशासन

PARMAR SSC

" प्रस्तावना "

प्रस्तावना

विचार — USA

भाषा — आस्ट्रेलिया

संविधान का ID Card - NA पालखीवाला

संविधान की कुण्डली - KM मुंशी

संविधान के अवयव [Ingrediants]:

1. भारतीय संविधान का अधिकार स्त्रोत - भारत के लोग
2. संविधान की प्रकृति - सम्पूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य
3. उद्देश्य - न्याय, स्वतंत्रता, समानता, भाईचारा
4. लागू होने की तिथि - 26 नवंबर 1949

PARMAR SSC

◉ **सम्प्रभुता :** समस्त निर्णय लेने की स्वतंत्रता / क्षमता
कोई बाहरी / आंतरिक दबाव को मानने के लिये बाध्य नहीं।

◉ **समाजवादी :** लोकतांत्रिक समाजवाद
↳ मिश्रित अर्थव्यवस्था

पूंजीवादी अर्थव्यवस्था - पूंजीपतियो का अधिकार (Private)
समाजवादी अर्थव्यवस्था - सरकार का अधिकार

◉ **पंथनिरपेक्ष :** भारत का कोई राजकीय धर्म नहीं है।

◉ **लोकतंत्रात्मक :** प्रत्यक्ष → लोग सीधे कानून बनाने मे भाग लेते है।
(जनता का शासन) कानून) ↳ स्वीट्जरलैण्ड
अप्रत्यक्ष → लोग सीधे भाग नहीं लेते।
↳ भारत

◉ **गणराज्य :** राज्याध्यक्ष का जनता के द्वारा प्रत्यक्ष / अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन [भारत, USA]

ब्रिटेन - वंशानुगत (राजा / रानी)

◉ **न्याय :** सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक

◉ **स्वतंत्रता :** विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना
बाधाओ से मुक्त, खुद को पूरी तरह से विकसित करने का अवसर

◉ **समानता :** प्रतिष्ठा, अवसर
किसी को विशेष अधिकार नहीं प्राप्त है।

◉ भाईचारे की भावना

PARMAR SSC

क्या प्रस्तावना संविधान का भाग है ? हॉ
क्या प्रस्तावना मे संशोधन किया जा सकता है ? हॉ

- बेरुबारी यूनियन केस (1960) - नही
- केशवानन्द भारती केस (1973) - हॉ
- LIC केस - हॉ

"प्रस्तावना अप्रवर्तनीय / आबाध्यकारी है।" (non-justiciable)

→ प्रस्तावना मे केवल एक बार, संविधान संशोधन 1976 के तहत संशोधन किया गया है।
42th संविधान संशोधन 1976 , लघु संविधान
3 शब्द जोड़े - समाजवादी , पंथनिरपेक्ष , अखंडता

1. भारतीय संविधान की प्रस्तावना शुरु होती है- हम , भारत के लोग
2. भारत के संविधान की प्रस्तावना की भाषा और आदर्श किस देश से प्रभावित है- USA, ऑस्ट्रेलिया
3. भारतीय संविधान की प्रस्तावना को अपनाया गया - 26th नवंबर 1949

"प्रस्तावना , सरकार को न तो कोई शक्ति (Power) देता है और न ही कोई बाधा लगा सकता है।"

4. भारतीय संविधान की प्रस्तावना मे भारत को ____ लिखा गया है-
संप्रभु , समाजवादी , धर्मनिरपेक्ष , लोकतांत्रिक गणराज्य
5. भारतीय संविधान की प्रस्तावना मे भारत को ____ लिखा गया है-
(प्रस्तावना मे संशोधन)
42 वां संशोधन अधिनियम , 1976
6. भारत मे 'धर्मनिरपेक्ष' शब्द की सही अभिव्यक्ति है- भारत मे राज्य का कोई धर्म नही है।

PARMAR SSC

7. इनमे से कौन- से शब्द मूलतः भारत की प्रस्तावना मे शामिल नही थे-

(a) लोकतंत्रात्मक

(b) सम्प्रभुता

(c) धर्मनिरपेक्ष (✓)

(d) गणराज्य

8. संविधान के अधिनियमन के समय कौन सा आदर्श प्रस्तावना मे शामिल नही किया गया था-

(a) समाजवादी (✓)

(b) स्वतंत्रता

(c) समानता

(d) न्याय

9. प्रस्तावना मे कितने प्रकार के न्यायो का उल्लेख है- 3
(सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक)

10. कौन सा सही है-

(a) बेरुवारी मामले मे सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि संविधान की प्रस्तावना (Preamble) संविधान का हिस्सा नही है।

(b) केशवानंद भारती मामले मे सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि संविधान की प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है।

(c) A & B दोनो (✓)

(d) NOT

11. सही क्रम है-

(a) समाजवादी
(b) लोकतांत्रिक
(c) संप्रभु
(d) धर्मनिरपेक्ष

(c, a, d, b)

PARMAR SSC

12. भारतीय संविधान की प्रस्तावना को ' भारतीय संविधान की राजनीतिक कुंडली ' किसने बताया- कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी

13. किसने प्रस्तावना को ' संविधान का पहचान पत्र ' कहा- एन ए पालकीवाला

14. किसने प्रस्तावना को ' संविधान का मूल मंत्र ' कहा- अर्नेस्ट बार्कर

15. कौन सी स्वतंत्रता संविधान की प्रस्तावना में सन्निहित नहीं है- आर्थिक स्वतंत्रता

16. स्वतंत्रता की सबसे उपयुक्त परिभाषा- स्वयं को पूर्ण रूप से विकसित करने का अवसर

PARMAR SSC

Union & Territory

Part 1 (भाग 1) : संघ और उसके राज्यक्षेत्र संविधान के भाग - 1 से संबंधित है भाग 1 के अंतर्गत 4 अनुच्छेद आते है।
[अनुच्छेद 1 - 4]

अनुच्छेद - 1 (1) : इंडिया अर्थात भारत
" राज्यो का एक संघ होगा "

- भारत राज्यों के मध्य किसी समझौते का कोई परिणाम नही है।
- भारत संघ से अलग होने का किसी राज्य को कोई अधिकार नही है।

(USA मे राज्य अलग हो सकते है)
(भारत मे राज्य टूट सकते है लेकिन संघ नही)

अनुच्छेद 2 : " नये राज्यो का प्रवेश "

संसद निर्बधानो और शर्तों के साथ जिन्हे वह उचित समझे संघ मे किसी नये राज्य का प्रवेश या स्थापना कर सकती है।

अनुच्छेद 3 : नये राज्यो का निर्माण व पुराने राज्यो के क्षेत्रफल, सीमा व नाम परिवर्तन।

(a) संसद विधि द्वारा, दो या दो से अधिक राज्यो के भागो को मिलाकर, किसी भी राज्य मे से उसका राज्यक्षेत्र अलग करके / परिवर्तन कर सकती है।

(b) किसी भी राज्य का क्षेत्र बढा सकती है।

(c) किसी भी राज्य का क्षेत्र घटा सकती है।

(d) किसी भी राज्य की सीमा या नाम परिवर्तित कर सकती है।

यह संसद, राष्ट्रपति की सिफारिश पर ही कर सकती है कोई राज्य नही कर सकता।

अनुच्छेद 4 :

अनुसूची 1, 4 मे परिवर्तन

संसद

अनुच्छेद 2 → संघ मे किसी राज्य का प्रवेश या स्थापना करती है

अनुच्छेद 3 → किसी भी राज्य के क्षेत्र, नाम या सीमा मे परिवर्तन करती है।

तो ऐसा संसद केवल साधारण बहुमत से कर सकती है इसके लिए संविधान संशोधन (अनु० 368) की आवश्यकता नही होती।

2/3 सदस्य (उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्य)

Note : संसद की शक्ति राज्य की सीमा समाप्त करने व भारतीय क्षेत्र को किसी अन्य देश को देने की नही है।

बेरुबारी यूनियन केस 1959 मे, भारतीय संघ को किसी अन्य देश को क्षेत्र देने के लिए अनुच्छेद 368 के तहत विशेष बहुमत से संशोधन करना होगा।

→ 100th संविधान संशोधन 2014 मे भारत - बांग्लादेश भूमि हस्तांतरण।

552 देशी रियासते → 549

3 {
- हैदराबाद → पुलिस कार्यवाही से, ऑपरेशन पोलो, 1948
- जूनागढ → जनमत संग्रह से
- कश्मीर → विलय पत्र [महाराजा हरि सिंह]

PARMAR SSC

1950 मे संविधान मे भारतीय संघ के राज्यो का चार गुना वर्गीकरण था - भाग A , भाग B , भाग C, भाग D
↓
अण्डमान & निकोबार

भाषा के आधार पर राज्यो का पुनर्गठन :

1. SK धर आयोग 1948 → भाषा के आधार पर राज्यो के पुनर्गठन का विरोध किया और प्रशासनिक सुविधा के आधार पर राज्यो के पुनर्गठन का समर्थन किया।

2. JVP समिति 1948 → भाषा के आधार पर राज्यो के पुनर्गठन की माँग खारिज कर दी।

1953, पोटी श्री रामुल्लू → 56 दिनों के आमरण अनशन के बाद मृत्यु।

पहला भाषिय (भाषा के आधार पर) राज्य - आंध्रप्रदेश
(तेलुगू भाषा)

राज्य पुनर्गठन आयोग : अध्यक्ष - फजल अली
1953 अन्य सदस्य - के. एम. पणिक्कर
- प. हृदयनाथ कुंजरू

→ इस आयोग ने एक भाषा एक राज्य की धारणा को खारिज कर दिया (भारत बहुभाषियें देश)

→ भाषायी आधार पर राज्यो के पुनर्गठन को स्वीकार किया।
(linguistic basis)

राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 → भाग A, B, C, D ✕

7th संविधान संशोधन 1956 , नये तरीके से राज्यो का निर्माण

PARMAR SSC

गोवा → 12 वां संविधान संशोधन → भारत का अभिन्न अंग (UT)
एवं ' पुर्तगालियो से मुक्त '
दमन और दीव

56 वां संविधान संशोधन 1987 → राज्य का दर्जा

आम		गुनाह		है	मैम		तुसी
आंध्रप्रदेश	महाराष्ट्र-गुजरात	नागालैंड	हरियाणा	हिमांचल	मेघालय	मणिपुर	त्रिपुरा, सिक्किम
1 Nov.1956	1960	1963	1966	1966	1972		1972, 1975

गाओ	और	मौज	लो
गोवा	अरुणांचल	मिजोरम	
1987	1987	1987	

सिक्किम → चौग्याल वंश का शासन

सहयोगी राज्य → 35 वां संविधान संशोधन 1974
अनुच्छेद 2(A)

पूर्ण राज्य का दर्जा → 36 वां संविधान संशोधन 1975

अनुच्छेद 371 → कुछ राज्यो की विशिष्ठ शक्ति / विशेष प्रावधान

371 → महाराष्ट्र एवं गुजरात के लिए विशेष प्रावधान
N 371 - A → नागालैण्ड के लिए विशेष प्रावधान
A 371 - B → असम " " " "
M 371 - C → मणिपुर " " " "
A 371 - D → आंध्रप्रदेश & तेलंगाना " "
A 371 - E → आंध्रप्रदेश मे केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना
S 371 - F → सिक्किम के लिए विशेष प्रावधान
M 371 - G → मिजोरम " " " "

PARMAR SSC

A 371- H → अरुणांचल प्रदेश के लिए विशेष प्रावधान

G 371- I → गोवा " " " "

K 371- J → कर्नाटक " " " "

- किस वर्ष मे आंध्रप्रदेश राज्य के पुर्नगठन के बाद तेलंगाना भारत का 29 वां राज्य बन गया - 2014

- 'सात बहनो' के राज्य → अरुणांचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैण्ड, त्रिपुरा

- उस नेता के बारे मे बताएं जिसने हैदराबाद राज्य के विघटन का विरोध नही किया और राज्य पुनर्गठन समिति मे उसका प्रतिनिधित्व किया - कोट्टूरु सीतैयगुप्त

" नागरिकता "

भाग-2 : अनुच्छेद 5-11

एकल नागरिकता → ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है।

[USA- दोहरी नागरिकता का प्रावधान]

नागरिकता

अनु० 5-8

26 जनवरी 1950 के पहले कोई भारत का नागरिक है या नही।

अनु० 9-11

26 जनवरी 1950 के बाद कौन भारत का नागरिक होगा।

नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955

PARMAR SSC

अनुच्छेद 5 : संविधान के लागू होने के समय निवास के आधार पर नागरिकता।

शर्तें :

1. वह व्यक्ति भारत में जन्मा हो।
2. उसके माता-पिता में से किसी एक का जन्म भारत में हुआ हो।
3. संविधान के लागू होने के कम-से-कम 5 वर्ष पहले से भारत में निवास कर रहा हो।

अनुच्छेद 6 : पाकिस्तान से भारत आने वालों के लिए नागरिकता।

अनुच्छेद 7 : भारत से पाकिस्तान जाने वाले और फिर पुनः पाकिस्तान से भारत वापस आने वालों के लिए नागरिकता।

अनुच्छेद 8 : वह व्यक्ति जो भारतीय मूल का हो परंतु संविधान लागू होने के समय वह भारत के क्षेत्र में निवास नहीं कर रहा था।

अनुच्छेद 9 : किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण करने पर भारतीय नागरिकता की स्वतः समाप्ति।

अनुच्छेद 10 : नागरिकता अधिकारों की निरंतरता।

अनुच्छेद 11 : नागरिकता में कोई भी नया नियम/विधि/कानून अथवा संशोधन केवल संसद कर सकती है।

नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955

नागरिकता प्राप्ति
- जन्म से
- वंशक्रम से
- पंजीकरण से - Origin - India (✓)

नागरिकता समाप्ति
- स्वतः त्याग की घोषणा
- वंचित किया जाना
- पर्यावसान

PARMAR SSC

देशीकरण से {origin - भारत}
भारत मे सम्मिलित होना ×

- पंजीकरण से नागरिकता प्राप्त करने के लिए 7 वर्षों तक भारत मे रहना होगा।
- देशीयकरण से नागरिकता प्राप्त करने के लिए 12 वर्षों तक भारत मे रहना होगा।

नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 (CAA)

↳ 3 देशो - अफगानिस्तान, पाकिस्तान एवं बांग्लादेश

6 समुदाय - ~~हिन्दी~~ हिन्दू, सिख, पारसी, बौद्ध, ईसाई & जैन

इन देशो से आने वाले लोगो को 12 वर्ष के बजाय 6 वर्ष ही भारत मे रहना पड़ेगा।

PARMAR SSC

भाग-3 मौलिक अधिकार

→ मौलिक अधिकार क्या है?

मौलिक शब्द से पता चलता है कि ये अधिकार इतने महत्वपूर्ण हैं कि संविधान ने इन्हें अलग से सूचीबद्ध किया है और इनकी सुरक्षा के लिए विशेष प्रावधान किए हैं। मौलिक अधिकार इतने महत्वपूर्ण हैं कि संविधान स्वयं यह सुनिश्चित करता है कि सरकार द्वारा उनका उल्लंघन न किया जाए।

साधारण अधिकार Vs मौलिक अधिकार

अन्य अधिकार	मौलिक अधिकार
• सामान्य कानून द्वारा संरक्षित एवं लागू	• देश के संविधान द्वारा संरक्षित एवं गारंटीकृत
• सामान्य अधिकारों को कानून निर्माण की सामान्य प्रक्रिया द्वारा बदला जा सकता है।	• इसे केवल संविधान (अनुच्छेद 368) में संशोधन करके बदला जा सकता है।

- कोई भी सरकारी संस्था मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करने का कार्य नहीं कर सकती।

मौलिक अधिकारों की मुख्य विशेषताएं :

मौलिक अधिकार पूर्ण नहीं हैं; आपको असीमित अधिकार प्रदान नहीं किये गये हैं। वे पवित्र या स्थायी नहीं हैं। आपातकाल के दौरान सरकार कुछ मौलिक अधिकारों को जब्त कर सकती है। (अनु० 352-360)

अनुच्छेद → 12-35 ⟶ UK

- अमेरिका के संविधान से लिया गया है। (मैग्नाकार्टा)
- मौलिक अधिकार योग्य है लेकिन निरपेक्ष नहीं।
- ये पवित्र (sancrosant)/ स्थायी नहीं है।
- ये वादयोग्य (justiciable) / प्रवर्तनीय है।

मौलिक अधिकार	अनुच्छेद
1. समानता का अधिकार	14-18
2. स्वतन्त्रता का अधिकार	19-22
3. शोषण के विरुद्ध अधिकार	23-24
4. धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार	25-28
5. संस्कृति व शिक्षा संबधी अधिकार	29-30
6. संवैधानिक उपचारो का अधिकार	32

मूल संविधान - 7 ⎫
वर्तमान - 6 ⎭ -1

44 वां संविधान संशोधन 1978 से हटा
संपत्ति का अधिकार
↳ 300 A (कानूनी अधिकारी)

अनु० 19(1)(f)
अनु० 31, ← **संपत्ति का अधिकार**

भाग 12, कानूनी अधिकार, अनु० 300(A)

अनुच्छेद 12:

राज्य की परिभाषा

राज्य
- संसद एवं केन्द्र सरकार
- राज्यो का विधानमंडल एवं राज्यो की सरकार
- स्थानीय प्राधिकारी
- अन्य प्राधिकारी

PARMAR SSC

अनुच्छेद 13 :

संविधान पूर्व जो कानून / नियम थे
संविधान पश्चात संसद / राज्य के विधानमण्डलो के द्वारा जो भी नियम/
कानून बनाये जाते हैं एवं राष्ट्रपति / राज्यपाल का अध्यादेश
इन सभी कानूनो से मौलिक अधिकारो को सुरक्षा की गारंटी दी गई है।

राज्य को ऐसे कानून नही बनाने चाहिए जो संविधान के अनुरूप नही हो और अगर कानून का मसौदा किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों के साथ हस्तक्षेप करता है, तो उक्त कानून उलंघन की सीमा तक शून्य हो जायेगा/

SC - केशवानन्द भारती केस . 1973

↳ मूल ढांचे को तोड़ने पर कानून रद्द

अनुच्छेद 14 : विधि के समक्ष समानता एवं विधियो का समान संरक्षण

विधि के समक्ष समानता - कोई भी कानून से बड़ा नही है। कानून सबसे बड़ा होता है। ब्रिटेन के संविधान से ग्रहण।

विधियो के समान संरक्षण - समान परिस्थितियो मे समान और असमान परिस्थितियो में असमान न्याय की अवधारणा /
अमेरिका से ग्रहण।

अनुच्छेद 15: धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग और जन्मस्थान के आधार पर भेदभाव का प्रतिषेध।

15(1) : राज्य भेदभाव नही कर सकता।
15(2) : प्राइवेट व्यक्ति भेदभाव नही कर सकता।

(दुकान, रेस्त्रा, होटल, मनोरंजन, कुआं, नदी घाट, रोड आदि जगह कोई भेदभाव नही)

(3) इस अनु० में कुछ भी राज्य को महिलाओं और बच्चों के लिए कोई विशेष प्रावधान करने से नहीं रोकेगा।

(4) इस अनु० में या अनुच्छेद 29 के खंड (2) में कुछ भी राज्य को नागरिकों के किसी भी सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग की उन्नति के लिये या अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए कोई विशेष प्रावधान करने से नही रोकेगा।

अनुच्छेद 16 : लोक नियोजन के विषय मे अवसर की समानता।

धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान, निवास स्थान, वंशक्रम के आधार पर कोई भेदभाव नही हो सकता।

16(4): नौकरी मे SC/ST/OBC के लिए आरक्षण

बालाजी Vs मैसूर मामला
देवदशन Vs केन्द्र सरकार मामला
इंदिरा साहनी मामला (1993)
↓
Promotion मे आरक्षण ×
50% से ज्यादा नही

1979 - मंडल कमीशन
↳ 2nd पिछड़ा आयोग
↓
OBC को भी आरक्षण
VP सिंह (✓)

16(1): राज्य के अधीन किसी भी कार्यालय में रोजगार या नियुक्ति से संबंधित मामलों में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समानता होगी।

(2): कोई भी नागरिक केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, वंश, जन्मस्थान, निवास या इनमें से किसी के आधार पर, राज्य के तहत किसी भी रोजगार या कार्यालय के लिए अयोग्य नहीं होगा या उसके साथ भेदभाव नहीं किया जायेगा।

(3) इस अनुच्छेद में कुछ भी संसद को ऐसे रोजगार या नियुक्ति से उस राज्य या केंद्रशासित प्रदेश के भीतर निवास का निर्धारण करने वाला कोई कानून बनाने से नही रोकेगा।

(4) इस अनु॰ मे कुछ भी राज्य को नागरिकों के किसी पिछड़े वर्ग के पक्ष में नियुक्तियों या पदों के आरक्षण के लिए कोई प्रावधान करने से नहीं रोकेगा, जिसका राज्य की राय में, राज्य के तहत सेवाओं में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है।

परिणाम
- कैलकर आयोग (1953 → पहला पिछड़ा वर्ग आयोग
- मंडल आयोग (1980) → दूसरा पिछड़ा वर्ग आयोग (27%)
  - 27% + 10%
- इंद्रा स्वाहनी केस (1992) → जनहित याचिका
  - ↳ US

आरक्षण 50% से अधिक नही हो सकता।

क्रीमी लेयर → आरक्षण X

अनुच्छेद 17: अस्पृश्यता का अंत

- इसमें कहा गया है कि अस्पृश्यता का अभ्यास निषिद्द है और अस्पृश्यता से उत्पन्न किसी भी विकलांगता को लागू करना एक अपराध है।
- यह समानता के अधिकार का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और सामाजिक न्याय एवं समानता प्रदान करता है।
- राज्य & किसी भी निजी व्यक्ति को अस्पृश्यता का अभ्यास करने से प्रतिबंधित किया गया है।

PARMAR SSC

अनुच्छेद 18 : उपाधियों का उन्मूलन

- कोई भी उपाधि, जो सैन्य या अकादमिक विशिष्टता न हो, राज्य द्वारा प्रदान नहीं की जायेगी।
- भारत का कोई भी नागरिक किसी भी विदेशी राज्य से कोई भी उपाधि स्वीकार नही करेगा।
- कोई भी व्यक्ति जो भारत का नागरिक नही है, राज्य के अधीन किसी लाभ या विश्वास के पद पर रहते हुए, राष्ट्रपति की सहमति के बिना किसी विदेशी राज्य से कोई उपाधि स्वीकार नही करेगा।
- राज्य के अधीन लाभ या विश्वास का कोई पद धारण करने वाला कोई भी व्यक्ति, राष्ट्रपति की सहमति के बिना, किसी विदेशी राज्य से या उसके अधीन किसी भी प्रकार का कोई उपहार, परिलब्धियाँ या पद स्वीकार नहीं करेगा।

स्वतंत्रता का अधिकार (19-22)

अनुच्छेद 19 : बोलने की स्वतंत्रता के संबन्ध मे कुछ अधिकार
6 स्वतंत्रता

S 19(1)(a) : भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार
A 19(1)(b) : शांतिपूर्ण तथा हथियाररहित सम्मेलन का अधिकार
A 19(1)(c) : संघ, संगम एवं सहकारी समितियाँ बनाने का अधिकार
M 19(1)(d) : भारत के राज्यक्षेत्र मे घूमने का अधिकार
R 19(1)(e) : भारत के राज्यक्षेत्र मे बसने का अधिकार
19(1)(f) : संम्पत्ति का अधिकार (44 वां संविधान संशो. 1978 के तहत हटाया गया।)
O 19(1)(g) : कोई भी व्यवसाय, वृति एवं आजीविका का अधिकार

PARMAR SSC

अनुच्छेद 19(2): उचित प्रतिबंध

निम्नलिखित के हित में प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं-

- भारत की संप्रभुता और अखंडता
- राज्य की सुरक्षा
- विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध
- सार्वजनिक व्यवस्था
- शालीनता या नैतिकता
- न्यायालय की अवमानना
- मानहानि
- किसी अपराध के लिए उकसाना

मुझे लगता है कि इनमें से कई मौलिक अधिकारों को एक पुलिस कांस्टेबल के दृष्टिकोण से तैयार किया गया है.... आप पाएंगे कि बहुत ही न्यूनतम अधिकारों को स्वीकार किया गया है और लगभग हमेशा एक प्रावधान द्वारा उनका पालन किया जाता है। लगभग हर अनुच्छेद के बाद एक प्रावधान आता है जो अधिकारों को लगभग पूरी तरह से छीन लेता है --- **सोमनाथ लाहिड़ी**

अनुच्छेद 20: अपराधी के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण।

(a) एक अपराध के लिए एक सजा।

(b) वर्तमान कानून के तहत सजा। (अपराध के समय वाल कानून)

(c) स्वयं के विरुद्ध न्यायालय मे गवाही देने के लिए बाध्य नहीं।

PARMAR SSC

अनुच्छेद 21 : जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा

- स्वतंत्रता के अधिकारों में सबसे महत्त्वपूर्ण अधिकार जीवन & व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार है।
- कानून के तहत निर्धारित प्रक्रिया के अलावा किसी भी नागरिक को उसके जीवन से वंचित नही किया जा सकता है।

प्रसिद्ध मामले
- ए. के. गोपालन मामला
- मेनका गांधी मामला
  - → विदेश जाना एक मौलिक अधिकार है।

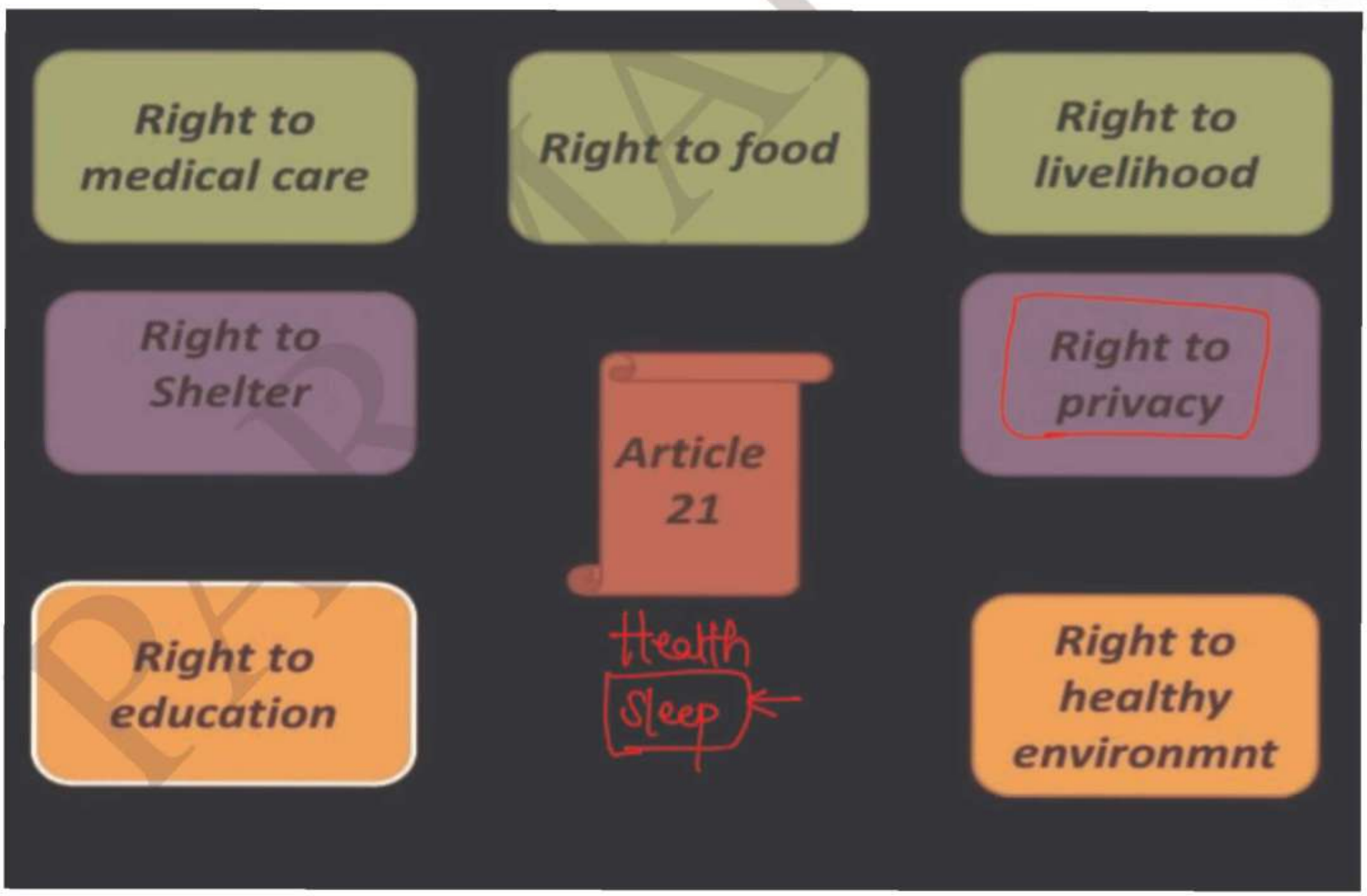

PARMAR SSC

अनुच्छेद 21(A) : शिक्षा का अधिकार

→ शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009

- 86वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा जोड़ा गया।
- यह 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा के अधिकार की गारंटी देता है।

लेख के प्रावधानों में शामिल :

- निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा
- भेदभाव का निषेध
- शिक्षा के समान अवसर
- शिक्षा तक पहुंच में वित्तीय बाधाओं को दूर करना।
- पर्याप्त बुनियादी ढाँचा, सुविधाएँ और योग्य शिक्षक उपलब्ध कराना।

अनुच्छेद 22 : कुछ दशाओं मे गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण।

1. हिरासत मे लेने का कारण बताना होगा।
2. 24 घंटे के अंदर दंडाधिकारी के समक्ष पेश।
3. मनपसंद वकील से सलाह लेने का अधिकार।

- निवारक निरोध

अपवाद : आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 22 को प्रतिबंधित किया जा सकता है, जैसे कि जब भारत के राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा करते है।

PARMAR SSC

शोषण के विरुद्ध अधिकार (23-24):

अनुच्छेद 23 : मानव का दुर्व्यापार, बेगार एवं बलात् श्रम का प्रतिषेध।

अनुच्छेद 24 : कारखानों, खनन आदि में बच्चों के नियोजन का प्रतिषेध। (जोखिम भरे स्थानों पर नहीं)
(14 वर्ष से कम बच्चें)

खदान के खतरनाक स्थानों पर बच्चों के रोजगार पर प्रतिबंध:

- इस लेख का उद्देश्य बच्चों के अधिकारों और कल्याण की रक्षा करना है: शोषण को रोकना, बच्चों के स्वास्थ्य और विकास की रक्षा करना और शिक्षा तक उनकी पहुंच सुनिश्चित करना।

धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार :

अनुच्छेद 25 : विवेक की स्वतंत्रता और धर्म का स्वतंत्र व्यवसाय, अभ्यास और प्रचार।

- अंतरात्मा की स्वतंत्रता : भगवान या प्राणियों के साथ अपने रिश्ते को आकार देने की आंतरिक स्वतंत्रता।

- **धर्म अपनाने का अधिकार:** किसी के धार्मिक विश्वासों और आस्था को खुले तौर पर और स्वतंत्र रूप से घोषित करने की स्वतंत्रता।
- **अभ्यास का अधिकार:** धार्मिक पूजा और अनुष्ठान और समारोह करने और किसी की मान्यताओं और विचारों को प्रदर्शित करने की स्वतंत्रता।
- **प्रचार का अधिकार:** किसी भी धार्मिक मान्यताओं को दूसरों तक प्रसारित करने की स्वतंत्रता।

अनुच्छेद 26: धार्मिक मामलों का प्रबंधन करने की स्वतंत्रता

- धार्मिक और धमार्थ उद्देश्यों के लिए संस्थाओं (संस्थान) की स्थापना और रखरखाव करना।
- धार्मिक मामलों का प्रबंधन करना।
- चल और अचल संपत्ति का स्वामित्व और अधिग्रहण करना।
- संपत्ति का प्रशासन कानून के अनुसार करना।

→ अनुच्छेद 26 धर्म की सामूहिक स्वतंत्रता की भी गारंटी देता है।

अनुच्छेद 27: किसी विशेष धर्म के प्रचार के लिए करों के भुगतान के संबंध में स्वतंत्रता।

- किसी भी व्यक्ति को किसी भी कर का भुगतान करने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा, जिसकी आय विशेष रूप से किसी विशेष धर्म या धार्मिक संप्रदाय के प्रचार या रखरखाव के लिए खर्चों के भुगतान में विनो विनियोजित की जाती है।

अनुच्छेद 28: धार्मिक संस्थानों में उपस्थिति या कुछ शैक्षणिक संस्थानों में धार्मिक पूजा के संबंध में स्वतंत्रता।

1. पूरी तरह से राज्य निधि से संचालित किसी भी शैक्षणिक संस्थान में कोई धार्मिक शिक्षा प्रदान नहीं की जायेगी।

2. खंड 1 में कुछ भी ऐसे शैक्षणिक संस्थान पर लागू नहीं होगा जो राज्य द्वारा प्रशासित है लेकिन किसी बंदोबस्ती या ट्रस्ट के तहत स्थापित किया गया है जिसके लिए आवश्यक है कि ऐसे संस्थान में धार्मिक शिक्षा प्रदान की जायेगी।

3. राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त किसी शैक्षणिक संस्थान में भाग लेने वाले या राज्य निधि से सहायता प्राप्त करने वाले किसी भी व्यक्ति को ऐसे संस्थान में दिये जाने वाले किसी भी धार्मिक निर्देश में भाग लेने या किसी धार्मिक पूजा में भाग लेने की आवश्यकता नहीं होगी। जब तक ऐसा व्यक्ति या ऐसा व्यक्ति जो नाबालिग है, तो उसके अभिभावक ने इसके लिए अपनी सहमति नहीं दी है।

अनुच्छेद 29: अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा

- संस्कृति के संरक्षण का अधिकार : एक विशिष्ट भाषा, लिपि या संस्कृति वाले नागरिकों को इसे संरक्षित करने का अधिकार है।
- शिक्षा का अधिकार : किसी भी नागरिक को उसके धर्म, नस्ल, जाति या भाषा के आधार पर राज्य द्वारा संचालित शैक्षणिक संस्थान या राज्य से धन प्राप्त करने वाले संस्थान में प्रवेश से वंचित नहीं किया जा सकता है

अनुच्छेद 30: शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने और प्रशासन करने का अल्पसंख्यकों का अधिकार।

1. सभी अल्पसंख्यकों को, चाहे वे धर्म या भाषा पर आधारित हों, अपनी पसंद के शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने और संचालित करने का अधिकार होगा।
2. किसी अल्पसंख्यक द्वारा स्थापित और प्रशासित शैक्षणिक संस्थान की किसी भी संपत्ति के अनिवार्य अधिग्रहण के लिए प्रावधान करने वाला कोई भी कानून बनाते समय राज्य यह सुनिश्चित करेगा कि ऐसी संपत्ति के अधिग्रहण के लिए ऐसे कानून के तहत निर्धारित या निर्धारित राशि उतनी ही हो जितनी कि उस खंड के तहत गारंटीकृत अधिकार को प्रतिबंधित या निरस्त नहीं करेगा।

PARMAR SSC

3. राज्य, शैक्षणिक संस्थानों को सहायता देते समय, किसी भी शैक्षणिक संस्थान के खिलाफ इस आधार पर भेदभाव नही करेगा कि यह किसी अल्पसंख्यक के प्रबंधन के अधीन है, चाहे वह धर्म या भाषा पर आधारित हो।

" बहुसंख्यकों पर यह देखने की भारी जिम्मेदारी डाली जायेगी कि वास्तव में अल्पसंख्यक सुरक्षित महसूस करें.... अल्पसंख्यकों के लिए एकमात्र सुरक्षा एक धर्मनिरपेक्ष राज्य में है। "

सरदार हुकम सिंह

संवैधानिक उपचारो का अधिकार (अनु॰ 32-35)

अनुच्छेद 32 - " संविधान का हृदय एवं आत्मा " → भीमराव अम्बेडकर

अनुच्छेद 32 :

" संवैधानिक उपचारो का अधिकार "

- यह मौलिक अधिकारो के सुरक्षा की गारंटी देता है।
- मौलिक अधिकारो के उल्लंघन पर अनुच्छेद 32 के तहत SC एवं अनु॰ 226 के तहत HC जाकर लागू करवा सकते है।

→ उच्चतम न्यायालय दाखिल किये गये रिट की सुनवाई से इनकार नही कर सकता जबकि अनु॰ 226 के तहत उच्च न्यायालय द्वारा रिट की सुनवाई के लिए स्वीकार किया जाना संवैधानिक रूप से अनिवार्य नही है।

→ उच्च न्यायालय का अधिकार क्षेत्र (writ jurisdiction) सर्वोच्च न्यायालय की तुलना मे व्यापक है।

→ SC केवल मौलिक अधिकारो के लिए ही रिट जारी करता है जबकि HC मौलिक अधिकार एव विधिक अधिकार दोनो के लिए रिट जारी करता है।

न्यायालय द्वारा जारी रिट के प्रकार :

" बंदी प्रत्यक्षीकरण "

बंदी प्रत्यक्षीकरण एक कानूनी आदेश है जिसके लिए हिरासत में लिए गए व्यक्ति को आरोपों का जवाब देने और यह निर्धारित करने के लिए अदालत के समक्ष लाने की आवश्यकता होती है कि क्या उनकी हिरासत वैध है।

अर्थ: वाक्यांश ' बंदी प्रत्यक्षीकरण ' लैटिन में ' आपको शरीर मिलेगा '

उद्देश्य: बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट का उपयोग यह सुनिश्चित करने के लिए किया जाता है कि किसी व्यक्ति की कारावास या हिरासत वैध है और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के उल्लंघन को सही करने के लिये।

यह कैसे काम करता है: बंदी याचिका राज्य एजेंट के खिलाफ एक नागरिक कार्रवाई है जो प्रतिवादी को हिरासत में रखती है।

उपयोग: इसका उपयोग प्रत्यर्पण प्रक्रियाओं, जमानत की राशि और अदालत के अधिकार क्षेत्र की जांच के लिए किया जा सकता है।

" परमादेश " ' हम आदेश देते हैं।'

यह रिट एक अदालती आदेश है जो किसी सरकारी अधिकारी या संस्था को कानूनी कर्तव्य निभाने या किसी गैरकानूनी कार्य से परहेज करने के लिए मजबूर करता है। यह अंग्रेजी और अमेरिकी आम कानून प्रणालियों में एक न्यायसंगत न्यायिक उपाय है।

" निषेध " 'हम मना करते हैं।'

निषेधाज्ञा एक कानूनी उपाय है जो निचली अदालत, न्यायाधिकरण या प्रशासनिक निकाय को गैरकानूनी तरीके से कार्य करने या उसके अधिकार क्षेत्र से आगे बढ़ने से रोकता है।

↳ वरिष्ठ अदालत

↓

निचली अदालत

→ निषेध रिट तब जारी की जाती है जब:

- निचली अदालत बिना अधिकार क्षेत्र के काम कर रही है।
- निचली अदालत अपने वैध अधिकार का उल्लंघन कर रही है।
- कोई अन्य पर्याप्त कानूनी उपाय उपलब्ध नहीं है।
- निचली अदालत प्राकृतिक न्याय का उल्लंघन कर रही है। & मौलिक अधिकारों का उल्लंघन कर रही है।

" उत्प्रेषण "

इसमें उच्च न्यायालय को निचली अदालत के फैसले या सरकारी एजेंसी की कार्रवाई की समीक्षा करने की अनुमति देती है। यह शब्द लैटिन वाक्यांश से आया है जिसका अर्थ है 'सूचित होना' या 'प्रमाणित होना'

→ उपयोग:

- त्रुटियों को सुधारने के लिए।
- यह सुनिश्चित करने के लिए कि निचली अदालतें अपने अधिकार का उल्लंघन न करें।
- कानून के प्रश्नों की समीक्षा करना।
- किसी राज्य के सर्वोच्च न्यायालय के फैसले की समीक्षा करने के लिए जब कोई प्रश्न संघीय या राज्य कानून का हो।

• व्यक्तियों के अधिकारों को प्रभावित करने वाले प्रशासनिक अधिकारियों के निर्णयों की समीक्षा करना।

"अधिकार पृच्छा" 'आपका प्राधिकार क्या है?'

यह एक कानूनी कार्यवाही है जो किसी व्यक्ति के सार्वजनिक या कॉर्पोरेट कार्यालय रखने के अधिकार को चुनौती देती है।

क्वोवारंटो शब्द लैटिन में 'किस प्राधिकार द्वारा' या 'वारंट' के लिए है।

यदि किसी व्यक्ति ने गलत तरीके से सार्वजनिक पद को धारण किया है तो उसके विरुद्ध यह रिट जारी होती है।

अनुच्छेद 33 : सुरक्षाबल, पुलिस, सेना, आसूचना संगठनो के मौलिक अधिकारो को सीमित करने के संसद की शक्ति।

अनुच्छेद 34 : किसी भी terrority मे martial law (सेना विधि) लागू है तो वहाँ मौलिक अधिकारो को निलंबित या सीमित करने की संसद की शक्ति।

अनुच्छेद 35: मौलिक अधिकार के उल्लंघन की स्थिति मे निर्धारित करने हेतु कानून बनाने की अंतिम संसद के पास होगी।

विधि के समक्ष समानता
Law
14

Created
×

opportunity, titles
D O U B T
15 16 17 × 18
discrimination, untouchability

S A A M R O
19

C L E A R L Y
20 21 21A 22 × 23
Edu
Life & Liberty
Arrest & Detention
Labour / Child Labour

केवल नागरिको को प्राप्त अधिकार:

मंत्र → 15 16 19 29 30

- संघ. संसद / राज्य विधानसभाओ द्वारा बनाए गए कानूनों पर संविधान प्रावधान को कौनसा अनु० प्राथमिकता देता है - अनु० 13
- संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार के हिस्से के रुप मे आजीविका का अधिकार किस मामले के कारण बरकरार रखा गया था। - ओल्गा टेलिस बनाम बॉम्बे नगर निगम
- जब संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार के रुप मे समाप्त कर दिया गया तब प्रधानमंत्री कौन थे - मोरारजी देसाई

PARMAR SSC

भाग-4

राज्य के नीति निर्देशक तत्व

अनुच्छेद - 36 से 51

ग्रहण - आयरलैण्ड

- "नवीन विशेषताएं / भारत सरकार अधिनियम 1935 में निहित निर्देशों के साधन से मिलती जुलती" → BR अम्बेडकर
- "सिद्धांत जो सामाजिक बहिष्कार के लक्ष्य को आगे बढ़ाएंगे" → ग्रेनविल ऑस्टिन
- "लक्ष्यों और आकांक्षाओं का घोषणापत्र" → के.सी व्हीयर
- "चेक का भुगतान बैंक द्वारा अपनी सुविधानुसार किया जा सकता है" → के.टी. शाह
- "राज्य के अधिकार के लिए नैतिक धारणाएँ" → BN राव

अनुच्छेद 36 : राज्य की परिभाषा (अनु० 12 के समान)

राज्य

- संसद एवं केन्द्र सरकार
- राज्यों का विधानमंडल एवं राज्यों की सरकार
- स्थानीय प्राधिकारी
- अन्य प्राधिकारी

PARMAR SSC

अनुच्छेद 37 : यह अप्रवर्तनीय है। (Non-Justiciable)

PARMAR SSC

संविधान के भाग IV के सिद्दांत भारत के शासन के लिए मौलिक है, लेकिन इन्हे किसी भी अदालत द्वारा लागू नही किया जा सकता है। कानून बनाते समय राज्य को इन सिद्दांतों को लागू करना आवश्यक है।

अम्बेडकर - 'नवीन विशेषता' (Novel features)

ग्रैनविल ऑस्टिन - 'संविधान की समझ'
(Conscience of the Constitution)

→ इन्हे 'निर्देशों का साधन' माना गया है।
↳ भारत शासन अधिनियम 1935
↳ गवर्नर जनरल

→ यह राज्य के कर्तव्यों का निर्धारण / लोक कल्याण की बात करते है।

→ यह सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र को स्थापित करने की बात करते है।
(राजनीतिक लोकतंत्र - F.R.)

अनु-38 Welfare → अनु०-39 LDC PHC → अनु०-39(A) Free legal Aid → अनु०-40 Panchayat
↓
अनु०-41 Right to work → अनु० - 42 Just & Humane conditions maternity relief → अनु०-43 Living wage → अनु० - 43(A) Participation of workers in the management of industries
↳ अनु०43(B) सहकारी समिति

PARMAR SSC

अनुच्छेद 38: यह राज्य को लोगो के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए एक सामाजिक व्यवस्था को सुरक्षित के लिए अधिकृत करता है।

अनुच्छेद 39: LDC PHC

- **Livelyhood** - पुरुषो & स्त्रियो को पर्याप्त आजीविका के साधन।
- **Distribution** - समाज के भौतिक संसाधनो का उचित स्वामित्व एवं वितरण।
- **Centralization** - आय एवं उत्पादन के संसाधनो का अहितकारी केन्द्रीकरण का निषेध।
- **Pay** - स्त्रियो एवं पुरुषो को समान कार्य के लिए समान वेतन।
- **Health** - स्त्रियो / पुरुष श्रमिको / बच्चो को प्रतिकूल रोजगार मे जाने से बचाना।
- **Children** - बच्चो का गरिमा के साथ विकास एवं उन्हे प्रत्येक प्रकार के शोषण से बचाना। बच्चों के स्वस्थ विकास का अवसर
  ↳ 42 वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया।

अनुच्छेद 39(A): समान अवसर के आधार पर न्याय देना, निशुल्क कानूनी सहायता, गरीबो को अन्याय का शिकार न होना पड़े। → 42 वें सशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया।

अनुच्छेद 40: ग्राम पंचायतो का गठन।

राज्य ग्राम पंचायतों को संगठित करने के लिए कदम उठाएगा और उन्हे ऐसी शक्तियाँ प्रदान करेगा जो उन्हे स्वशासन की इकाइयों के रूप मे कार्य करने में सक्षम बनाने के लिए आवश्यक हों।

↳ 73 वां संविधान संशोधन 1992 द्वारा जोड़ा गया

PARMAR SSC

अनुच्छेद 41: कुछ मामलो मे काम, शिक्षा और सार्व सहायता का अधिकार /

राज्य अपनी आर्थिक क्षमता और विकास की सीमा के भीतर, काम करने का अधिकार, शिक्षा का अधिकार और बेरोजगारी, बुढ़ापा, बीमारी और विकलांगता के मामलों में और अवांछित अभाव के अन्य मामलों में सार्वजनिक सहायता प्राप्त करने के लिए प्रभावी प्रावधान करेगा |

अनुच्छेद 42: काम और मातृत्व (maternity leave) अवकाश की न्याय-संगत और मानवीय स्थितियो का प्रावधान |

↳ 42 वें संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा जोड़ा गया |

अनुच्छेद 43: मजदूरी / श्रमिको को निर्वाह योग्य मजदूरी |

राज्य उपयुक्त कानून या आर्थिक संगठन या किसी अन्य तरीके से सभी श्रमिकों, चाहे कृषि, औद्योगिक या अन्य को काम, जीवनयापन योग्य मजदूरी, काम की स्थितियां सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा, जिससे जीवन का एक सभ्य मानक और अवकाश का पूरा आनंद सुनिश्चित हो सके | सामाजिक & सांस्कृतिक अवसर और विशेष रूप से राज्य ग्रामीण क्षेत्रों में व्यक्तिगत या सहकारी आधार पर कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देने का प्रयास करेगा |

43(A): उद्योगो के प्रबंधन मे श्रमिको की भागीदारी /

→ 42 वाँ संविधान संशोधन 1976 से जोड़ा गया |

PARMAR SSC

43(B): सहकारी समितियों को बढ़ावा देना।

97 वां संविधान संशोधन 2011 द्वारा जोड़ा गया।

राज्य सहकारी समितियों के स्वैच्छिक गठन, स्वायत्त कामकाज, लोकतांत्रिक नियंत्रण और पेशेवर प्रबंधन को बढ़ावा देने का प्रयास करेगा।

अनुच्छेद 44: समान नागरिक संहिता

राज्य पूरे भारत में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा।

PARMAR SSC

अनुच्छेद 45 : 0-6 वर्ष तक के बच्चो की देखभाल एवं शिक्षा

PARMAR SSC

राज्य इस संविधान के प्रारंभ से दस वर्ष की अवधि के भीतर, सभी बच्चों को चौदह वर्ष की आयु पूरी करने तक निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का प्रयास करेगा/

↳ 86 वां संविधान संशोधन 2002 द्वारा जोड़ा गया/

अनुच्छेद 46 : SC/ST/OBC के हितो की अभिवृद्धि /

राज्य लोगो के कमजोर वर्गों और विशेष रूप से अनुसूचित जातिओं और अनुसूचित जनजातियों के शैक्षिक और आर्थिक हितों को विशेष ध्यान से बढ़ावा देगा और उन्हे सामाजिक अन्याय और सभी प्रकार के शोषण से बचाएगा/

अनुच्छेद 47 : पोषण स्तर को उच्च करना / मदिरा निषेध /

पोषण स्तर और जीवन स्तर को ऊपर उठाना & सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार करना राज्य का कर्त्तव्य है/

स्वास्थ्य के लिए हानिकारक नशीले पेय & दवाओं के सेवन पर रोक लगाना/

PARMAR SSC

अनुच्छेद 48: कृषि और पशुपालन का संगठन

राज्य आधुनिक और वैज्ञानिक तर्ज पर कृषि और पशुपालन को व्यवस्थित करने का प्रयास करेगा और विशेष रूप से नस्लों के संरक्षण और सुधार के लिए कदम उठाएगा, और गायों एवं बछड़ों और अन्य दुधारू एवं वाहक मवेशियों के वध पर रोक लगाएगा/

अनुच्छेद 48(A): पर्यावरण की सुरक्षा और सुधार तथा वनों एवं वन्य जीवन की सुरक्षा/

राज्य पर्यावरण की रक्षा और सुधार करने तथा देश के वनों और वन्य जीवों की सुरक्षा करने का प्रयास करेगा/

↳ 42 वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया/

अनुच्छेद 49: राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों और धरोहरों का संरक्षण/

राज्य को राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं को विनाश, निष्कासन, निर्यात और अन्य प्रकार की क्षति से बचाने की आवश्यकता है। राज्य को इन वस्तुओं का संरक्षण और रखरखाव करना चाहिए और संसद द्वारा बनाए गए कानूनों के अनुसार कार्य करना चाहिए/

अनुच्छेद 50: न्यायपालिका और कार्यपालिका का पृथक्करण

अनुच्छेद 51: अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना।

(A) अंतर्राष्ट्रीय शांति & सुरक्षा को बढ़ावा देना।
(B) राष्ट्रों के बीच न्यायसंगत और सम्मानजनक संबंध बनाए रखें।
(C) एक दूसरे के साथ संगठित लोगों के व्यवहार में अन्तर्राष्ट्रीय कानून और संधि दायित्वों के प्रति सम्मान को बढ़ावा देना।
(d) अंतर्राष्ट्रीय विवादों को मध्यस्थता द्वारा निपटाने को प्रोत्साहित करना।

DPSP का वर्गीकरण

सामाजिक आर्थिक सिद्दांत	गांधीवादी सिद्दांत	उदारवादी सिद्दांत
अनु- 38, 39, 39A, 41, 42, 43, 43A 47	अनु॰- 40, 43, 43B, 46, 47, 48	अनु॰- 44, 45, 48, 48A, 49, 50

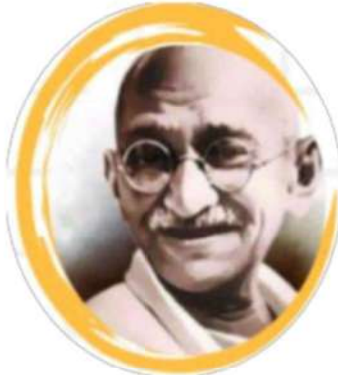

PARMAR SSC

DPSPs added through Amendment

PARMAR SSC

* 42 वां संविधान संशोधन
  - गरीब - (निशुल्क विधिक सहायता - अनु० 39(A)
  - श्रमिक - (उद्योगो मे भागीदारी - 43(A))
  - बच्चे - (विकास का अवसर) (39)
  - पर्यावरण (48(A))

* **44 वां** - आय, सुविधाओ व अवसर की असमानता को दूर करना (अनु० 38)

* **86 वां** - अनु० 21 A, अनु० 45, अनु० 51 A(K)
  [6-14 वर्ष तक के बच्चो को निशुल्क प्राथमिक शिक्षा।]

* **97 वां** - सहकारी समिति (अनु० 43(B))

मौलिक अधिकार Vs DPSP

◉ **चम्पाकम दोराईराजन मामला (1951)** (अनु० 15(1), 29(2) का उल्लंघन)

मौलिक अधिकार, DPSP से ऊपर है।

मौलिक अधिकारो को संशोधित किया जा सकता है। (संवैधानिक संशोधन अधिनियम बनाकर)

◉ **गोलकनाथ मामला (1967)** - संसद, मौलिक अधिकारो को नही छीन सकती। (संवैधानिक संशोधनों मे भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों को कम करने की शक्ति नही होगी।)

PARMAR SSC

- **24 वां संविधान संशोधन** - संसद, मौलिक अधिकारो को संशोधित कर सकती है।

- **25 वां** - (1) अनु० 39 (B), (C) मे वर्णित निदेशक तत्वो को प्रभावी करने के लिए बनाई गई किसी भी विधि को अनु० 14, 19 द्वारा अभिनिश्चित अधिकारो के उल्लंघन के आधार पर चुनौती नही दी जा सकती। (2) न्यायपालिका विरोध नही कर सकती।

- **केशवनन्दा भारती मामला (1973)** - (13 जज) मौलिक अधिकारो मे संशोधन किया जा सकता है लेकिन संविधान के मूल ढांचा मे परिवर्तन किये बिना।

25 वां संविधान संशोधन मे पहला प्रावधान - संवैधानिक (✓)
दूसरा प्रावधान - असंवैधानिक

- **मिनर्वा मिल्स मामला** - (1980) संविधान मौलिक अधिकार और DPSP के संतुलन पर टिका हुआ है। न तो मौलिक अधिकार ऊपर है और न ही DPSP। दोनो संतुलन मे है।

→ राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत बैंक के एक चेक की तरह है जो बैंक की सुविधानुसार देय होता है- प्रो० के टी शाह।

CONSTITUENTS OF THE BASIC STRUCTURE

Federal & secular character of the Constitution	Democratic character of our policy	Liberty of thought, expression, belief, faith and worship
Welfare state and egalitarian society	Equality of status and opportunity	Separation of powers
Dignity of the individual	Unity and integrity of the nation	Sovereignty of India

अंतर

मौलिक अधिकार	DPSP
इनमें नकारात्मक दायित्व शामिल होता है जो राज्य को कुछ कार्यों से रोकता है।	इनमें सकारात्मक दायित्व शामिल है जो राज्य को विशिष्ट कार्यवाही करने के लिए बाध्य करते है।
ये न्यायसंगत हैं, इन्हे कानूनी रूप से लागू किया जा सकता है।	वे गैर न्यायसंगत है, उनमें कानूनी प्रवर्तनीयता का अभाव है।
देश के भीतर राजनीतिक लोकतंत्र स्थापित करने का लक्ष्य	देश के अंदर सामाजिक & आर्थिक लोकतंत्र स्थापित करने का लक्ष्य
कानूनी प्रतिबंधों द्वारा समर्थित	नैतिक & राजनीतिक प्रतिबंधों द्वारा समर्थित
व्यक्तिगत कल्याण पर जोर	समाजिक कल्याण पर जोर
अतिरिक्त कानूनों की आवश्यकता के बिना स्वचालित रूप से लागू किया गया।	कार्यान्वयन के लिए विधायी अधिनियम की आवश्यकता।
न्यायालय मौलिक अधिकारों के उल्लंघन वाले कानूनों को अमान्य कर सकते है।	अदालतें DPSP का उल्लंघन करने वाले कानूनों को सीधे तौर पर अमान्य नहीं कर सकती हैं, लेकिन उन्हें पूरा करने के उद्देश्य से बनाए गए कानूनों को बरकरार रख सकती।

PARMAR SSC

मौलिक कर्तव्य

सरदार स्वर्ण सिंह → भूतपूर्व सोवियत संघ

- 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गये। (प्रधानमंत्री - इंदिरा गांधी)
- मूल संविधान मे मौलिक कर्तव्य नही थे, इन्हे 42 वें संविधान संशोधन 1976 के तहत जोडा गया / भाग- 4(क) - अनु० 51 (A)
- अंतिम मौलिक कर्तव्य - 51 A(k) को 86 वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोडा गया /

  वर्तमान - 11 मौलिक कर्तव्य

मौलिक कर्तव्य :

1. प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह संविधान का पालन करे और उसके आदर्शों, संस्थाओ, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करे।
2. स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय मे संजोए रखे और उनका पालन करे।
3. भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करे।
4. देश की रक्षा करें।
5. भारत के सभी लोगो मे समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें।
6. हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे और उसका परीक्षण करें।
7. प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और उसका संवर्धन करें।
8. वैज्ञानिक दृष्टिकोण और ज्ञानार्जन की भावना का विकास करें।

9. सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें।

10. व्यक्तिगत एवं सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें।

11. माता-पिता या संरक्षक द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों हेतु प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना। (86वां संशोधन द्वारा)

→ मौलिक कर्तव्य केवल भारतीय पर लागू हैं न कि विदेशी नागरिको पर।

→ मौलिक कर्तव्यो का नैतिक, सामाजिक और आर्थिक महत्व है।

→ 51A(K) मौलिक कर्तव्य प्रावधान अनु० 21(A) के समान हैं।

PARMAR SSC

संघ

भाग 5

(अनुच्छेद 52-151)

संघ :

1. कार्यपालिका (52-78)
2. संसद (79-122)
3. राष्ट्रपति की विधायी शक्तियाँ (123)
4. केन्द्रीय न्यायपालिका (124-147)
5. नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (148-151)

शासन

- विधायिका — कानून का निर्माण
- कार्यपालिक — कानून को लागू करना
- न्यायपालिका — कानून के आधार पर न्याय

कार्यपालिका

- राष्ट्रपति
- उपराष्ट्रपति
- pm + cm
- महान्यायवादी

PARMAR SSC

PARMAR SSC

अनुच्छेद 52: भारत का एक राष्ट्रपति होगा।
यह संघ की कार्यपालिका का अध्यक्ष होगा।

[राष्ट्रपति - राष्ट्राध्यक्ष]
भारत का पहला नागरिक

अनुच्छेद 53: कार्यपालिका की समस्त शक्तियाँ राष्ट्रपति मे केन्द्रित होगी।
सेनाओ का प्रमुख [जलसेना, स्थलसेना, वायुसेना]

देश का प्रमुख / नाममात्र का मुखिया / De Jure head

वास्तविक मुखिया - pm (de facto head)

अनुच्छेद 54: राष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक मंडल द्वारा।

- निर्वाचित [mp + mLA]
- मनोनीत सदस्य भाग नही लेते।

LS, RS } mp < निर्वाचित / मनोनीत (12)

LA - MLA

- दिल्ली / पुदुचेरी के निर्वाचित सदस्य (mLA)
  - ↳ 70 वें संविधान संशोधन 1992 से जोड़ा गया।

PARMAR SSC

अनुच्छेद 55: राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति

- अप्रत्यक्ष निर्वाचन
- अनुपातिक प्रतिनिधित्व
- एकल संक्रमणीय मत पद्धति
- गुप्त रीति

Direct प्रत्यक्ष → सीधे लोगों द्वारा

Indirect अप्रत्यक्ष → लोगों द्वारा चुने गये प्रतिनिधियों द्वारा

→ 50 प्रस्तावक + 50 अनुमोदक

जमानत राशि = 15000

→ $Quota = \frac{\text{कुल वोट}}{\text{उम्मीदवारों की संख्या} + 1} + 1$

→ $\text{विधायक वोट मूल्य} = \frac{\text{राज्य की सम्पूर्ण जनसंख्या}}{\text{निर्वाचित MLA की संख्या}} \times \frac{1}{1000}$

→ $\text{सांसद वोट मूल्य} = \frac{\text{सभी MLAs का कुल वोट}}{\text{सभी निर्वाचित MPs की संख्या}}$

अनुच्छेद 56: राष्ट्रपति का कार्यकाल - 5 वर्ष

राष्ट्रपति —त्याग पत्र→ उपराष्ट्रपति

- महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा पद से हटाया जा सकता है।
- जब तक उसका उत्तराधिकारी कार्यभार ग्रहण नहीं कर लेता तब तक वह अपने पांच वर्ष के कार्यकाल के बाद भी पद पर बना रह सकता है।

अनुच्छेद 57: राष्ट्रपति का पुर्ननिर्वाचन

जितनी बार चाहे उतनी बार चुनाव लड़ सकता।

सर्वाधिक कार्यकाल - डॉ० राजेन्द्र प्रसाद

USA ↓ max. 2 बार

देशीयकरण से नागरिक होने पर राष्ट्रपति X

भारत (✓)

अनुच्छेद 58: राष्ट्रपति की योग्यता

- भारत का नागरिक हो।
- 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो।
- लोकसभा का सदस्य चुने जाने की योग्यता रखता हो।
- वह संघ / राज्य के अधीन कोई लाभ का पद धारण न करता हो।
  - └ संविधान में परिभाषित नहीं।

अनुच्छेद 59: राष्ट्रपति के पद की शर्तें

- संघ / राज्य के अधीन किसी भी सदन का सदस्य न हो।
- उनके कार्यकाल के दौरान परिलब्धियां और भत्ता कम नहीं किया जायेगा।
- उसे किसी अन्य लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए।
- वह किराया भुगतान के बिना, अपने आधिकारिक निवास (राष्ट्रपति भवन) के उपयोग के लिए हकदार है।
- वह ऐसी परिलब्धियों, भत्ते और विशेषाधिकार जो संसद द्वारा निर्धारित किये जा सकते हैं का हकदार है।

अनुच्छेद 60: शपथ

└ सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश

↓ (अनुपस्थिति में)

वरिष्ठ न्यायाधीश

1. कार्यालय का ईमानदारी से निष्पादन करना।
2. संविधान एवं कानून की रक्षा और बचाव करना एवं संरक्षित करना।
3. भारत के लोगों की सेवा और भलाई के लिए खुद को समर्पित करना।

PARMAR SSC

संविधान मे परिभाषित नही

अनुच्छेद 61 : राष्ट्रपति पर महाभियोग (संविधान का उल्लंघन करने के लिए राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है।)

↓

संसद के सदस्य

महाभियोग → प्रस्ताव → 14 दिन पहले राष्ट्रपति को सूचना

लोकसभा राज्यसभा (किसी भी सदन मे प्रस्ताव लाया जा सकता)

↓

सदन के कुल सदस्यो की संख्या के $\frac{1}{4}$ सदस्यो के हस्ताक्षर

↓

विशिष्ट बहुमत [कुल सदस्य संख्या के $\frac{2}{3}$ सदस्यो के हस्ताक्षर]

↓

दूसरे सदन मे भी विशिष्ट बहुमत से पास

↓

इसके पश्चात उसी तिथि को राष्ट्रपति को अपने पद से हटना होगा।

→ MLAs राष्ट्रपति के चुनाव मे हिस्सा लेते है लेकिन महाभियोग मे हिस्सा नही लेते।

→ मनोनीत MPs चुनाव मे भाग नही लेते किंतु महाभियोग मे भाग लेते है।

क्या आप जानते है कि महाभियोग अर्ध-न्यायिक है ??

1. संसद के किसी भी सदन के नामांकित सदस्य राष्ट्रपति के महाभियोग में भाग ले सकते हैं, हालांकि वे उसके चुनाव में भाग नहीं लेते हैं।

2. राज्यों & केन्द्र शासित प्रदेशों दिल्ली और पुडुचेरी की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के महाभियोग में भाग नहीं लेते हैं हालांकि वे उनके चुनाव मे भाग लेते है।

अनुच्छेद 62: राष्ट्रपति का कार्यकाल पूर्ण होने से पहले ही अगले राष्ट्रपति का चुनाव। (5 वर्ष के कार्यकाल की समाप्ति पर)

मृत्यु
त्यागपत्र
महाभियोग
→ उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा
अधिकतम - 6 महिना

{ उपराष्ट्रपति → CJI → वरीष्ठ न्यायाधीश }
(मुख्य न्यायाधीश)

- राष्ट्रपति के पद पर उनकी मृत्यु, त्यागपत्र या निष्कासन या किसी अन्य कारण से हुई रिक्ति को भरने के लिए चुनाव रिक्ति की तिथि के बाद यथाशीघ्र और किसी भी स्थिति में 6 महीने से अधिक बाद नहीं करवाया जायेगा।
- राष्ट्रपति के पद की समाप्ति के कारण हुई रिक्ति को भरने के लिए चुनाव कार्यकाल की समाप्ति से पहले पूरा किया जाएगा।

{ प → पद (52)
का → कार्यपालिका (53)
नि → निर्वाचन (54) }

{ को → कोटा (55)
का → कार्यकाल (56) }

{ दु → दुबारा / पुर्ननिर्वाचन (57)
यो → योग्यता (58) }

{ द → दशाएं (59)
श → शपथ (60)
म → महाभियोग (61) }

PARMAR SSC

PRESIDENTS OF INDIA

1st **Dr. Rajendra Prasad**

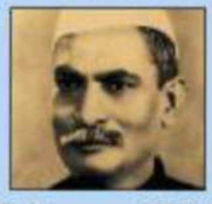

26 January 1950 to 13 May 1962 (2 terms)

2nd **Dr. Sarvepalli Radhakrishnan**

13 May 1962 to 13 May 1967

3rd **Dr. Zakir Husain**

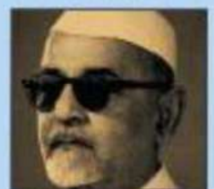

13 May 1967 to 3 May 1969

4th **Shri Varahagiri Venkata Giri**

24 August 1969 to 24 August 1974

5th **Dr. Fakhruddin Ali Ahmed**

24 August 1974 to 11 February 1977

6th **Shri Neelam Sanjiva Reddy**

25 July 1977 to 25 July 1982

7th **Giani Zail Singh**

25 July 1982 to 25 July 1987

8th **Shri R Venkataraman**

25 July 1987 to 25 July 1992

9th **Dr Shankar Dayal Sharma**

25 July 1992 to 25 July 1997

10th **Shri K.R. Narayanan**

25 July 1997 to 25 July 2002

11th **Dr. A.P.J. Abdul Kalam**

25 July 2002 to 25 July 2007

12th **Smt. Pratibha Devisingh Patil**

25 July 2007 to 25 July 2012

13th **Shri Pranab Mukherjee**

25 July 2012 to 25 July 2017

14th **Shri Ram Nath Kovind**

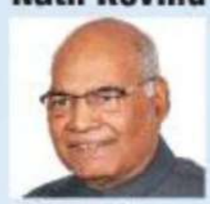

Sworn in on 25 July 2017

Acting Presidents: Shri V. V. Giri (3 May 1969 to 20 July 1969); Justice M. Hidayatullah (20 July 1969 to 24 August 1969); Shri B. D. Jatti (11 February 1977 to 25 July 1977)

अनुच्छेद - 63-71

" उपराष्ट्रपति "

अनुच्छेद 63: भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा।

अनुच्छेद 64: उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा।
(कोई लाभ का पद धारण नही करेगा)

अनुच्छेद 65: उपराष्ट्रपति का राष्ट्रपति के कर्तव्यों का पालन करना।

उपराष्ट्रपति का राष्ट्रपति के रूप में कार्य करना या कार्यालय में आकस्मिक रिक्तियों के दौरान या राष्ट्रपति की अनुपस्थिति के दौरान अपने कार्यों का निर्वहन करना।

- किसी भी अवधि के दौरान जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है या अनु० 65 के तहत राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन करता है तो वह राज्यों की परिषद के अध्यक्ष के पद के कर्तव्यों का पालन नही करेगा।

अनुच्छेद 66: उपराष्ट्रपति का निर्वाचन

(1) निर्वाचन मण्डल - सभी सांसद (All MPs)
एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व
अप्रत्यक्ष मतदान एवं गुप्त रीति

(2) संघ अथवा राज्य के अधीन किसी भी सदन का सदस्य न हो।
(चुने जाने पर पहला पद त्यागना होगा)

(3) योग्यता:
- भारत का नागरिक
- उम्र - 35 वर्ष
- राज्यसभा का सदस्य चुने जाने की योग्यता रखता हो।
- लाभ का पद न धारण किये हो।

अनुच्छेद 67: उपराष्ट्रपति का कार्यकाल - 5 वर्ष

- त्यागपत्र ⟶ राष्ट्रपति
- हटाने की प्रक्रिया → राज्यसभा के एक ऐसे संकल्प द्वारा पद से हटाया जा सकता है, जिसे राज्यसभा के तत्कालीन सदस्यों के बहुमत ने पारित किया हो। और जिससे लोकसभा सहमत हो।

अनुच्छेद 68: उपराष्ट्रपति की पदावधि समाप्त होने वाली हो।

अगले उपराष्ट्रपति का निर्वाचन, कार्य खत्म होने से पहले। (60 day)

1. उसके 5 वर्ष के कार्यकाल की समाप्ति पर।
2. उसके त्यागपत्र से।
3. संसद द्वारा उसे हटाए जाने पर।
4. उसकी मृत्यु पर।
5. जब वह पद धारण करने के अयोग्य हो जाता है या जब उसका चुनाव अमान्य घोषित कर दिया जाता है।

अनुच्छेद 69: शपथ

└ राष्ट्रपति दिलाते

अनुच्छेद 70: अन्य अकस्मिकताओ मे राष्ट्रपति के कर्तव्यो का निर्वहन उपराष्ट्रपति करेगें।

अनुच्छेद 71: (1) राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव के संबध मे या उसके संबध मे उत्पन्न होने वाले सभी संदेहो और विवादो की जांच और निर्णय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किया जायेगा। इनके द्वारा किये गये कार्य अमान्य नही होगें

राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित या उससे जुड़ा मामला,

(2) संविधान के प्रावधानों के अधीन, संसद कानून द्वारा, राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित या उससे जुड़े किसी भी मामले को विनियमित कर सकती है।

अनुच्छेद 72: राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति (मृत्युदण्ड की माफ) निलम्बन, लघुकरण, परिहार

संविधान का अनु० 72 राष्ट्रपति को उन सभी मामलों में किसी भी अपराध के लिए मुकदमा चलाए गए और दोषी ठहराए गये व्यक्तियों को क्षमा देने का अधिकार देता है।

1. सजा संघ कानून के विरूद्ध अपराध के लिए है;
2. सजा कोर्ट मार्शल (सैन्य अदालत) द्वारा होती है;
3. सजा- मौत की सजा है।

अनुच्छेद 161 : राज्यपाल की क्षमादान शक्ति

- (राज्यपाल मृत्युदण्ड को माफ नही कर सकता)
- राज्यपाल कोर्ट-मार्शल द्वारा दी गई सजा को भी माफ
- नही कर सकते।

उपराष्ट्रपति के चुनाव → 20 प्रस्तावक + 20 अनुमोदक

भारत के पहले उपराष्ट्रपति - सर्वपल्ली राधाकृष्णन (2 बार) लगातार

सर्वाधिक कार्यकाल - हामिद अंसारी

तीसरे राष्ट्रपति - वीवी गिरि

प्रमुख शब्दावली:

- **क्षमा (Pardon):** इसमें **दंड और बंदीकरण दोनों को हटा दिया जाता है** तथा दोषी की सज़ा को दंड, दंडादेशों एवं निर्हर्ताओं से पूर्णतः मुक्त कर दिया जाता है।
- **लघुकरण** (Commutation): इसमें **दंड के स्वरुप में परिवर्तन करना** शामिल है, उदाहरण के लिये मृत्युदंड को आजीवन कारावास और कठोर कारावास को साधारण कारावास में बदलना।
- **परिहार** (Remission): इसमें **दंड कीअवधि को कम** करना शामिल है, उदाहरण के लिये दो वर्ष के कारावास को एक वर्ष के कारावास में परिवर्तित करना।
- **विराम** (Respite): इसके अंतर्गत किसी दोषी को प्राप्त **मूल सज़ा के प्रावधान को किन्हीं विशेष परिस्थितियों में बदलना** शामिल है। उदाहरण के लिये महिला की गर्भावस्था की अवधि के कारण सज़ा को परिवर्तित करना।
- **प्रविलंबन** (Reprieve): इसका अर्थ है अस्थायी समय के लिये किसी सज़ा (विशेषकर मृत्युदंड) के निष्पादन पर रोक लगाना। इसका उद्देश्य दोषी को राष्ट्रपति से क्षमा या लघुकरण प्राप्त करने के लिये समय देना है।

PARMAR SSC

केहर सिंह Vs भारत संघ मामला, 1988 :

केहर सिंह मामले (1988) में, सर्वोच्च न्यायालय ने राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति की जांच की और कहा कि:

राष्ट्रपति द्वारा क्षमादान की शक्ति का प्रयोग समीक्षा के अधीन नहीं है, सिवाय इसके कि जहां राष्ट्रपति का निर्णय मनमाना, तर्कहीन, दुर्भावनापूर्ण या भेदभावपूर्ण हो।

न्यायिक शक्तियाँ :

1. वह मुख्य न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है।
2. वह कानून या तथ्य के किसी प्रश्न पर सर्वोच्च न्यायालय से सलाह ले सकता है। हालांकि, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दी गई सलाह राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी नहीं है।
3. वह क्षमादान, राहत, माफी, निलंबन और किसी भी अपराध के लिए दोषी ठहराए गये किसी भी व्यक्ति की सजा माफ कर सकता है।

PARMAR SSC

Mohammad Hamid Ansari
2007-2017

Bhairon Singh Shekhawat
2002-2007

Krishan Kant
1997-2002

K. R. Narayanan
1992-1997

Shankar Dayal Sharma
1987-1992

R. Venkataraman
1984-1987

Mohammad Hidayatullah
1979-1984

B. D. Jatti
1974-1979

Gopal Swarup Pathak
1969-1974

V. V. Giri
1967-1969

Zakir Husain
1962-1967

Sarvepalli Radhakrishnan
1952-1962

Venkaiah Naidu
2017-

PARMAR SSC

प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद

अनुच्छेद 73 : संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार।

Art-74

मंत्रीपरिषद का उल्लेख।

1. राष्ट्रपति मंत्रीपरिषद की सलाह पर कार्य करेगा।

President → मंत्रीपरिषद → pm

(राष्ट्रपति → निर्वाचित)

pm ↓ वास्तविक शक्ति, सरकार का मुखिया

अनु० - 352(3)
↓
कैबिनेट
44 वां संविधान संशोधन

राष्ट्रपति मंत्रीपरिषद की सलाह को एक बार लौटा सकता है लेकिन मंत्रीपरिषद द्वारा दोबारा भेजने पर राष्ट्रपति सलाह मानने के लिए बाध्यकारी होगा। (44 वां संविधान संशोधन)

PARMAR SSC

Art-75

मंत्रियों के संबंध में अन्य प्रावधान

1. प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा एवं अन्य मंत्री भी प्रधानमंत्री के परामर्श पर राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किये जाते है।

प्रधानमंत्री –
- जो लोकसभा मे बहुमत दल का नेता हो।
- किसी पार्टी को बहुमत न मिलने पर राष्ट्रपति उस पार्टी के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त कर देगा लेकिन उसे 1 महीने के अंदर सदन मे बहुमत पाना होगा।

75.1(A): मंत्रिपरिषद मे प्रधानमंत्री सहित मंत्रियो की कुल संख्या, लोकसभा के सदस्यो की कुल संख्या के 15% से अधिक नही होगी।
(91 वां संविधान संशोधन)

75.1(B): किसी राजनीतिक दल का संसद के किसी भी सदन का सदस्य, जो 10वीं अनुसूची के पैरा 2 के अधीन उस सदन का सदस्य होने के लिए निरर्हित है, अपनी निरर्हता की तारीख से प्रारंभ होने वाली और उस तारीख तक जिसको ऐसे सदस्य के रूप मे उसकी पदावधि समाप्त होगी या जहॉं वह ऐसी अवधि के समाप्ति के पूर्व संसद के किसी सदन के लिए निर्वाचन लड़ता है, उस तारीख तक जिसको वह निर्वाचित घोषित किया जाता है, इनमे से जो भी पहले हो, की अवधि के दौरान, खंड (1) के अधीन मंत्री के रूप मे नियुक्त किए जाने के लिए भी निरर्हित होगा। (दलबदल)
(अयोग्य)

75(2): मंत्री, राष्ट्रपति के प्रसादपर्यन्त पद धारण करते है।

75(3): मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती हैं।

75(4): शपथ ⟶ राष्ट्रपति

75(5): मंत्री, जो किसी भी सदन का सदस्य नही हैं, को किसी भी सदन की सदस्यता 6 महीने के अंदर लेनी होगी।

→ pm दोनो सदनो में से किसी भी सदन का सदस्य हो सकता है।

इंदिरा गांधी
HD देवगोड़ा
मनमोहन सिंह
} राज्यसभा के सदस्य
↓
सदन का नेता
(Leader of House)

75(6): वेतन और भत्ते

कैबिनेट मंत्री | राज्य मंत्री | उप मंत्री

कैबिनेट मंत्री: केंद्रीय मंत्रिमंडल का सदस्य; मंत्रालय का नेतृत्व करता है।
राज्य मंत्री(स्वतंत्र प्रभार): कनिष्ठ मंत्री जो कैबिनेट मंत्री को रिपोर्ट नहीं करता।
राज्य मंत्री (MoS): उप मंत्री जो कैबिनेट मंत्री को रिपोर्ट करता है, जिसे आमतौर पर उस मंत्रालय में एक विशिष्ट जिम्मेदारी सौंपी जाती है।

PARMAR SSC

Art-76

महान्यायवादी :

अनु० - 76   भाग - 5

- सर्वप्रथम एवं सर्वप्रमुख विधि अधिकारी।
- राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त।
- सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश चुने जाने के लिये जिन योग्यताओ की आवश्यकता होती है उनके योग्य हो।
- राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यन्त पद धारण करता है।
- वेतन और सेवा की शर्तें राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित।
- SC/HC मे भारत सरकार की ओर से पेश होता है।
- AG सरकार के लिए पूर्णकालिक वकील नही है। (कभी भी हटाये जा सकते)
- AG को निजी कानूनी अभ्यास से वंचित नही किया गया है।

प्रथम महान्यायवादी - MC सीतलवाड

वर्तमान - R वेंकटरमणी

1. राष्ट्रपति एक ऐसे व्यक्ति को भारत के लिए महान्यायवादी नियुक्त करेगा जो सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के योग्य हो।
2. महान्यायवादी का कर्त्तव्य कानूनी मामलों पर भारत सरकार को सलाह देना है।
3. महान्यायवादी को भारत के क्षेत्र में सभी अदालतों में सुनवाई का अधिकार है।
4. महान्यायवादी राष्ट्रपति की मर्जी तक पद पर रहेगा और राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित पारिश्रमिक प्राप्त करेगा।

PARMAR SSC

सॉलिसिटर जनरल : भारत मे महान्यायवादी के बाद दूसरे सबसे उच्च पद वाले विधि अधिकारी।

सॉलिसिटर जनरल विधि अधिकारी अधिनियम 1968 के तहत एक वैधानिक पद है।

वर्तमान सॉलिसिटर जनरल- तुषार मेहता

महाधिवक्ता : राज्य का सबसे बड़ा विधि अधिकारी
अनुच्छेद- 165

1. राज्यपाल एक ऐसे व्यक्ति को राज्य के लिए महाधिवक्ता नियुक्त करेगा जो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के योग्य हो।
2. महाधिवक्ता का कर्त्तव्य कानूनी मामलों पर राज्य सरकार को सलाह देना है।
3. महाधिवक्ता राज्यपाल की मर्जी तक पद पर रहेगा और राज्यपाल द्वारा निर्धारित पारिश्रमिक प्राप्त करेगा।

वह सरकार का पूर्णकालिक सलाहकार नही है।

उसे निजी कानूनी अभ्यास से वंचित नही किया जायेगा।

सरकारी कामकाज का संचालन

Art-77

मंत्रियो के मध्य कार्य का बँटवारा राष्ट्रपति करेगे।

मंत्रिपरिषद के सभी कार्य राष्ट्रपति के नाम से होगे।

Art-78

यह प्रधानमंत्री का कर्तव्य होगा:

1. संघ के मामलों के प्रशासन और कानून के प्रस्तावों से संबंधित मंत्रिपरिषद के सभी निर्णयों के बारे में राष्ट्रपति को सूचित करना।
2. संघ के मामलों के प्रशासन और कानून के प्रस्तावों से संबंधित ऐसी जानकारी प्रस्तुत करने के लिए जिसे राष्ट्रपति मांग सकते हैं।
3. यदि राष्ट्रपति की आवश्यकता हो, तो किसी भी मामले को मंत्रिपरिषद के विचारार्थ प्रस्तुत करना होगा जिस पर किसी मंत्री द्वारा निर्णय लिया गया हैं लेकिन जिस पर परिषद द्वारा विचार नहीं किया गया हैं।

"pm is the linchpin of govt." → नेहरू

मंत्रीपरिषद —— प्रधानमंत्री —— राष्ट्रपति

प्रधानमंत्री की नियुक्ति:

राष्ट्रपति को लोकसभा मे बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करना होता हैं।

PARMAR SSC

प्रधानमंत्री की शपथ, कार्यकाल और वेतन:

- राष्ट्रपति उसे पद और गोपनीयता की शपथ दिलाते हैं।
- प्रधानमंत्री का कार्यकाल निश्चित नही होता है और वह राष्ट्रपति की मर्जी तक पद बना रहता है। इसका मतलब ये नही कि राष्ट्रपति कभी भी pm को बरखास्त कर सकते हैं।
- प्रधानमंत्री का वेतन और भत्ते समय-समय पर संसद द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। (लोकसभा सदस्य के रूप में)

प्रधानमंत्री की शक्तियाँ एवं कार्य:

- वह राष्ट्रपति को संसद के सत्र बुलाने और स्थगित करने के संबंध में सलाह देता है।
- वह लोकसभा को भंग करने की सिफारिश कर सकता है।
- वह सदन के पटल पर सरकारी नीतियों की घोषणा करता है।
- वह ऐसे व्यक्तियों की सिफारिश करता है जिन्हे राष्ट्रपति द्वारा मंत्री के रूप में नियुक्त किया जा सकता है।
- वह मंत्रियों के मध्य विभिन्न विभागों का आवंटन और फेरबदल करता है।
- वह मतभेद के मामले में किसी भी मंत्री को इस्तीफा देने के लिए कह सकता है या राष्ट्रपति को उसे बरखास्त करने की सलाह दे सकता है।
- वह मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता करता है और उसके निर्णयों को प्रभावित करता है।
- वह सभी मंत्रियों की गतिविधियों का मार्गदर्शन, निर्देशन, नियंत्रण और समन्वय करता है।
- वह पद से इस्तीफा देकर मंत्रिपरिषद का पतन कर सकता है।

PARMAR SSC

PARMAR SSC

- सबसे लम्बे समय तक सेवा देने वाले PM - पं. जवाहर लाल नेहरू [16 साल 286 दिन]
- चौधरी चरण सिंह - 170 दिन
- चंद्र शेखर - 7 महिने
- VP सिंह - 11 महिने
- HD देवगोड़ा - 10 महिने
- अटल बिहारी वाजपेयी -
  - 1996 → 13 दिन
  - 1998 → 13 महिने

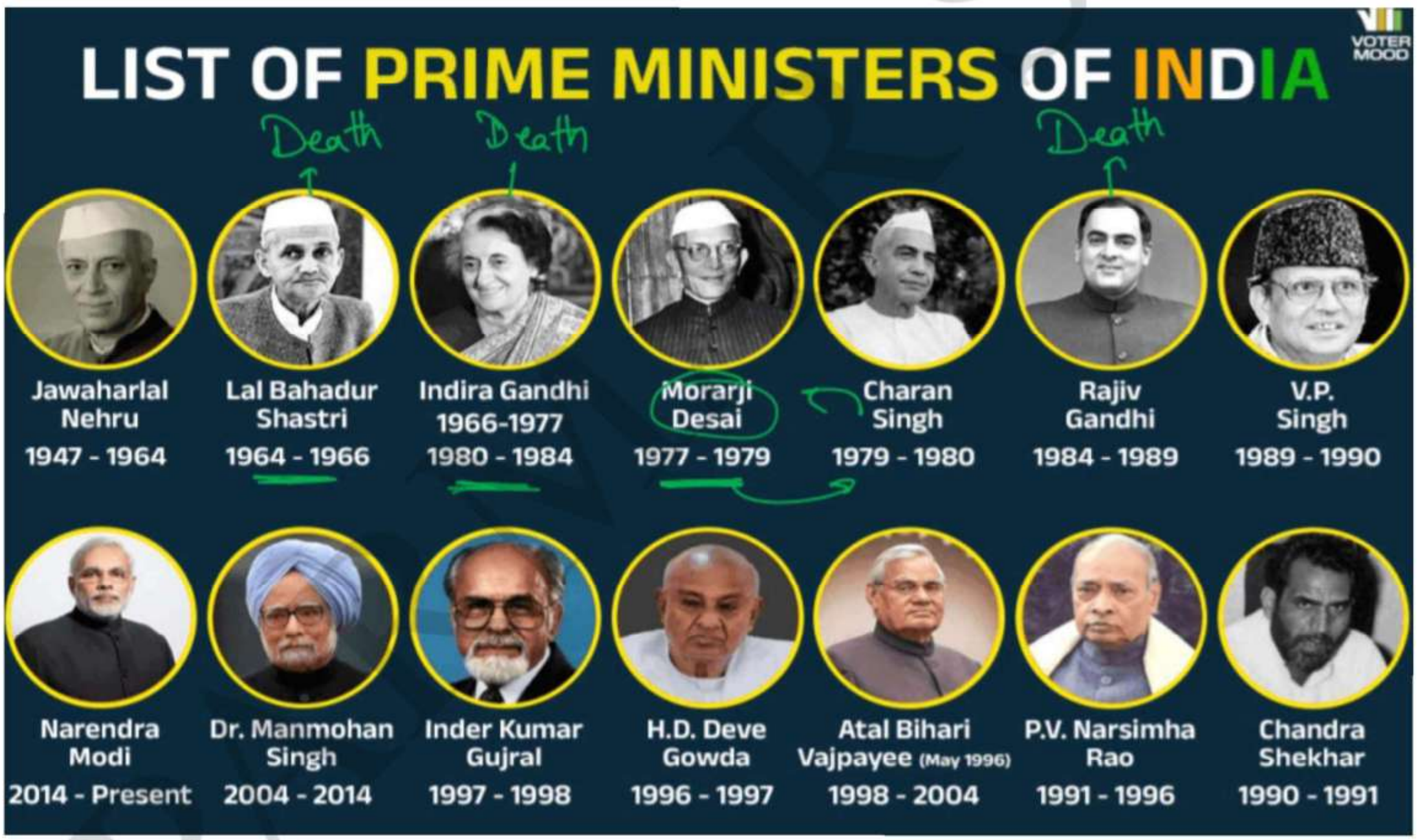

PARMAR SSC

Let's! Start

1. Which one of the following is *not* a correct description of the Union Cabinet ?

(a) It is part of the Parliament.

(b) It is responsible to the Parliament.

(c) It remains in power till it enjoys the confidence of the Parliament.

(d) A person from outside the Parliament can never be appointed a member of the Cabinet.

2. निम्नलिखित में से कौन-सा केंद्रीय मंत्रिमंडल का सही विवरण *नहीं* है ?

(a) यह संसद का एक भाग है ।

(b) यह संसद के प्रति उत्तरदायी है ।

(c) यह उस समय तक सत्ता में रहता है, जब तक उसे संसद का विश्वास प्राप्त हो ।

(d) संसद से बाहर के किसी व्यक्ति को कभी भी मंत्रिमंडल का सदस्य नियुक्त नहीं किया जा सकता है ।

3. Which one of the following Articles of the Constitution of India requires the Prime Minister of India to furnish information related to decisions of the Council of Ministers to the President of India ?

(a) Article 78

(b) Article 74

(c) Article 75

(d) Article 81

3. भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन-सा एक, भारत के प्रधान मंत्री से अपेक्षा करता है कि मंत्रिपरिषद् के निर्णयों से संबंधित सूचना भारत के राष्ट्रपति को प्रस्तुत करे ?

(a) अनुच्छेद 78

(b) अनुच्छेद 74

(c) अनुच्छेद 75

(d) अनुच्छेद 81

4. Which one of the following statements with regard to the Attorney-General of India as per Article 76 of the Constitution of India is ***not*** correct?

(a) The Attorney-General of India is appointed by the Chief Justice of India.

(b) A person who is qualified to be appointed a Judge of the Supreme Court of India is appointed as the Attorney-General of India.

(c) In the performance of his/her duties, the Attorney-General shall have right of audience in all courts in the territory of India.

(d) The Attorney-General shall hold office during the pleasure of the President of India.

4. भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 के अनुसार भारत के महान्यायवादी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सही नहीं है?

(क) भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा की जाती है।

(ख) वह व्यक्ति जो भारत के सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के योग्य है, उसे भारत का महान्यायवादी नियुक्त किया जाता है।

(ग) अपने कर्तव्यों के निर्वहन में महान्यायवादी को भारत के राज्यक्षेत्र में सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार होगा।

(घ) महान्यायवादी भारत के राष्ट्रपति की इच्छापर्यन्त पद धारण करेगा।

PARMAR SSC

5. भारत के महान्यायवादी (अटॉर्नी जनरल) के बारे में निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सही *नहीं* है ?

(a) उसे केवल भारत के उच्चतम न्यायालय में सुनवाई का अधिकार है ।

(b) वह ऐसा पारिश्रमिक प्राप्त करेगा जो राष्ट्रपति अवधारित करे ।

(c) वह उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए अर्हित (क्वालिफाइड) होगा ।

(d) वह भारत सरकार को सभी विधि संबंधी विषयों में सलाह देगा ।

5. Which one of the following statements about the Attorney General of India is ***not*** correct ?

(a) He has the right of audience only in the Supreme Court of India. 76(B)

(b) He shall receive such remuneration as the President may determine.

(c) He shall be qualified to be appointed as a Judge of the Supreme Court.

(d) He shall give advice to the Government of India on all legal matters.

6. भारत के महान्यायवादी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए :

1. वह भारत सरकार का प्रथम विधिक अधिकारी है
2. उसे मताधिकार के बिना संसद के किसी भी सदन में बोलने का अधिकार है
3. उसे भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है
4. वह न्यायालय में सरकार का पूर्णकालिक काउंसल होता है

उपर्युक्त कथनों में से कितने कथन सही है/हैं ?

(a) 1
(b) 2
(c) 3
(d) 4

6. Consider the following statements about Attorney-General in India :

1. She/he is the first law officer of the Government of India
2. She/he has a right to speak in any House of Parliament without any right to vote
3. She/he is appointed by the President of India
4. She/he is a whole-time counsel for the Government in the court of law

How many of the statements given above is/are correct ?

(a) 1
(b) 2
(c) 3
(d) 4

7. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए :

1. भारत के महान्यायवादी का यह कर्तव्य होगा कि वह भारत सरकार को विधि संबंधी ऐसे विषयों पर सलाह दे और विधिक स्वरूप के ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करे जो भारत के राष्ट्रपति उसको समय-समय पर निर्देशित करे
2. भारत का सालिसिटर जनरल देश का द्वितीयक विधि अधिकारी होता है, जो भारत के महान्यायवादी की सहायता करता है, और भारत के कई अपर सालिसिटर जनरल उसकी (सालिसिटर जनरल की) सहायता करते हैं

उपर्युक्त में से कौन-सा/कौन-से कथन सही है/हैं ?

(a) केवल 1
(b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों
(d) न तो 1, न ही 2

7. Consider the following statements :

1. The duties of the Attorney General of India are to give advice to the Government of India upon such legal matters, and to perform such other duties of a legal character, as may from time to time be referred to or assigned to him by the President of India
2. The Solicitor General of India is the secondary Law Officer of the country, who assists the Attorney General, and is himself assisted by several Additional Solicitor Generals of India

Which of the statements given above is/are correct ?

not a corrl-

(a) 1 only
(b) 2 only
(c) Both 1 and 2
(d) Neither 1 nor 2

PARMAR SSC

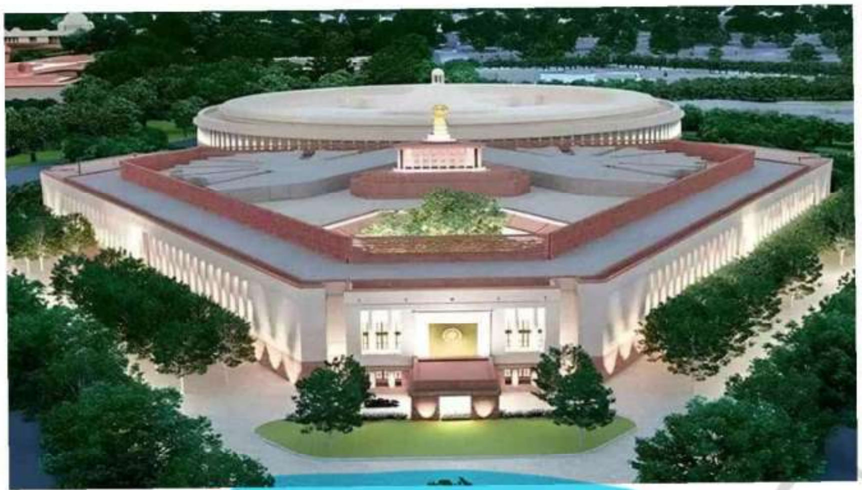

संसद

Art-79

संसद का गठन

संघ के लिए एक संसद होगी जिसमें राष्ट्रपति और दो सदन होंगे जिन्हे क्रमशः राज्यों की परिषद (राज्यसभा) और लोगों के सदन (लोकसभा) के रूप में जाना जाएगा।

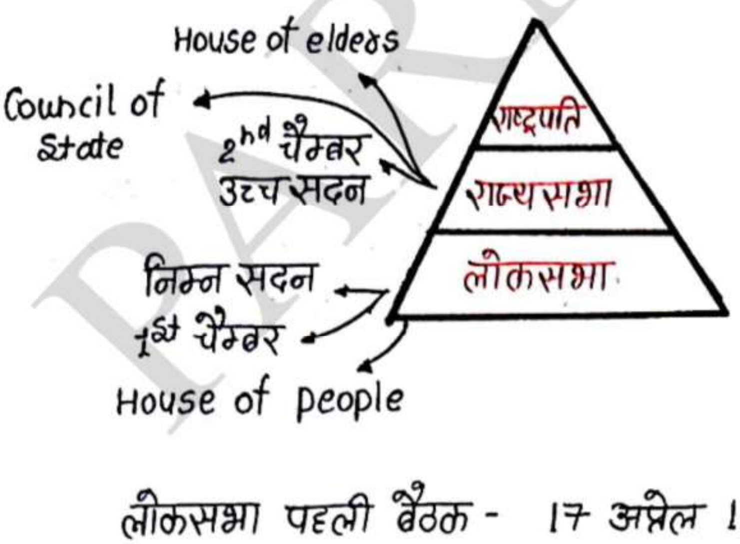

राष्ट्रपति, संसद का अभिन्न अंग है जिसकी सहमति के बिना कोई भी बिल, एक्ट नही बन सकता।

1954 मे हिन्दी नाम - लोकसभा
राज्यसभा

लोकसभा पहली बैठक - 17 अप्रैल 1952
राज्यसभा ,, ,, - 13 मई 1952

PARMAR SSC

Art-80 राज्यों की परिषद की संरचना।

1(A) : बारह सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा नामित किया जायेगा।

1(B) : राज्यों के / केन्द्रशासित प्रदेशों के 238 से अधिक प्रतिनिधि नहीं होंगे।

(2) राज्यों के प्रतिनिधियों द्वारा भरी जाने वाली राज्यों की परिषद में सीटों का आवंटन चौथी अनुसूची के प्रावधानों के अनुसार होगा।

(3) खंड (1) के उपखंड (A) के तहत राष्ट्रपति द्वारा नामित किए जाने वाले सदस्यों में साहित्य, विज्ञान, कला और समाजसेवा में विशेष ज्ञान या व्यावहारिक अनुभव रखने वाले व्यक्ति शामिल होंगे।

(4) राज्यसभा में प्रत्येक राज्य के प्रतिनिधियों का चुनाव विधान सभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा एकल संक्रमणीय मत के माध्यम से आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के साथ किया जाएगा।

(5) राज्यसभा में केन्द्रशासित प्रदेश के प्रतिनिधियों को उस तरीके से चुना जाएगा जैसा संसद द्वारा कानून निर्धारित किया जाए।

अधिकतम सदस्य - 250

- 238 चयनित
  - सभी 28 राज्य (229)
  - 2 केन्द्रशासित प्रदेश (9) (दिल्ली, पुदुचेरी)
- 12 मनोनीत ← राष्ट्रपति
  - (Li S A S)
  - Li → Literature साहित्य
  - S → Science विज्ञान
  - A → Art कला
  - S → Social Service समाज सेवा

{ अन्य UTs मे जनसंख्या राज्यसभा मे प्रतिनिधित्व पाने के लिए बहुत कम है। }

वर्तमान = 245

PARMAR SSC

राज्यसभा सदस्यों का चुनाव — दक्षिण अफ्रीका से ग्रहण

राज्यसभा सदस्यों का नामांकन — आयरलैंड से

राज्यसभा की पहली बैंठक — 17 अप्रैल 1952

लोकसभा की पहली बैंठक- 13 मई 1952

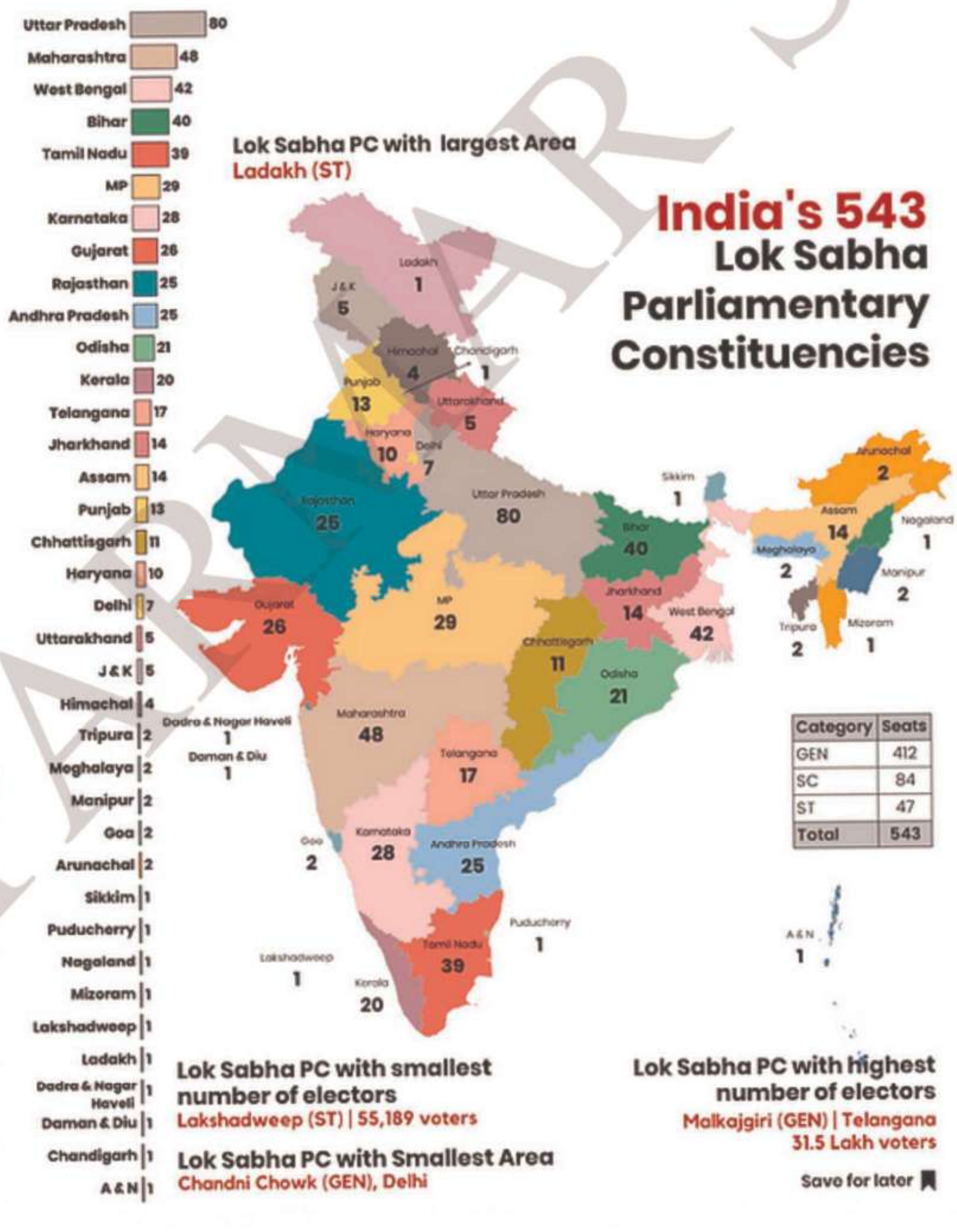

Category	Seats
GEN	412
SC	84
ST	47
Total	543

PARMAR SSC

Art-81 लोकसभा की संरचना

1. लोकसभा में शामिल होंगे-

(a) राज्यों में क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों से प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा चुने गये प्रतिनिधि 530 से अधिक नहीं।

(b) (20 से अधिक नहीं) UT से चुने हुये लोगों का प्रतिनिधित्व उस तरीके से करना जैसा कि संसद कानून द्वारा प्रदान करती है।

क्या आप जानते हैं?

पहले लोकसभा में भी 2 मनोनीत सदस्य होते थे।

↳ 104 वां संविधान संशोधन द्वारा हटा दिया गया।

अधिकतम - 550

- 530 राज्य
- 20 केन्द्रशासित प्रदेश

→ वर्तमान = 543

→ प्रत्यक्ष चुनाव

2(A) लोकसभा में सीटें इस तरह से होंगी कि उनकी संख्या और राज्य की जनसंख्या के बीच का अनुपात, जहां तक संभव हो, सभी राज्यों के लिए समान हो।

2(B) प्रत्येक राज्य को प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में इस प्रकार विभाजित किया जाएगा कि प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र की जनसंख्या और उसे आवंटित सीटों की संख्या के बीच अनुपात हो।

PARMAR SSC

(3) इस लेख में, अभिव्यक्ति 'जनसंख्या' का अर्थ पिछली जनगणना में सुनिश्चित की गई जनसंख्या है, जिसके प्रासंगिक आंकड़े प्रकाशित किए गए हैं:

क्या आप जानते हैं कि लोकसभा में हरा कारपेट & राज्यसभा में लाल कारपेट होता है ? लेकिन क्यों ?

लोकसभा → मोर

राज्यसभा → कमल

हरा रंग दर्शाता है कि भारत एक कृषि भूमि है और यहां के लोग जमीनी स्तर से चुने जाते हैं।

लाल रंग राजघराने का प्रतिनिधित्व करता है और स्वतंत्रता सेनानियों द्वारा किए गए बलिदान और भारत को आजादी दिलाने के लिए उनके द्वारा बहाए गए खून के बारे में भी बताता है।

Art-82

प्रत्येक जनगणना के बाद पुनः समायोजन

(i) 1971 की जनगणना के आधार पर राज्यों को लोकसभा में सीटों का आवंटन पुनः समायोजित किया गया, और

(ii) प्रत्येक राज्य का प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजन, जिसे 2001 की जनगणना के आधार पर पुनः समायोजित किया जा सकता है।

परिसीमन आयोग :

- 'परिसीमन' शब्द का शाब्दिक अर्थ क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाएँ या सीमाएं तय करने का कार्य या प्रक्रिया है।
- भारत में ऐसे परिसीमन आयोग का गठन 4 बार किया गया है-

  1952 में, परिसीमन आयोग अधिनियम 1952 के तहत
  1963 में, परिसीमन आयोग अधिनियम 1962 के तहत
  1973 में, परिसीमन आयोग अधिनियम 1972 के तहत
  2002 में, परिसीमन आयोग अधिनियम 2002 के तहत

- परिसीमन प्रक्रिया का मुख्य उद्देश्य 'एक वोट और एक मूल्य' के सिद्धांत पर चुनावी निर्वाचन क्षेत्रों की संरचना को तर्कसंगत बनाना है।

  84 वां संविधान संशोधन (2001) → 2026
  87 वां संविधान संशोधन (2003) → 2001

Art-83 संसद के सदनों की अवधि

(1) राज्यों की परिषद विघटन के अधीन नहीं होगी। लेकिन यथासंभव उसके एक-तिहाई सदस्य हर दूसरे वर्ष की समाप्ति पर यथाशीघ्र सेवानिवृत्त हो जायेंगे।
प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल = 6 वर्ष

(2) लोकसभा जब तक शीघ्र भंग न हो जाए अन्यथा इसकी पहली बैठक के लिए नियुक्त तारीख से 5 साल तक जारी रहेगी।

- लोकसभा की अवधि को एक समय में एक वर्ष तक के लिए बढ़ाया जा सकता है → राष्ट्रीय आपातकाल में

Art-84 संसद की सदस्यता के लिए योग्यता।

कोई व्यक्ति संसद में सीट भरने के लिए चुने जाने के लिए तब तक योग्य नहीं होगा जब तक कि-

1. भारत का नागरिक हो।
2. राज्यसभा के लिए 30 वर्ष और लोकसभा के लिए 25 वर्ष से कम आयु नहीं होनी चाहिए।

राघव चड्ढा
राज्यसभा के सबसे कम उम्र के सदस्य

चंद्राणी मुर्मू
लोकसभा की सबसे युवा सदस्य

Art-85 संसद के सत्र, सत्रावसान और विघटन।

(1) संसद का सत्र, सत्रावसान और विघटन।

(2) राष्ट्रपति समय- समय पर कर सकते हैं- (मंत्रिपरिषद की सलाह पर)

(A) सदनों या किसी भी सदन का सत्रावसान करना।

(B) लोकसभा को भंग कर दें।

PARMAR SSC

बजट सत्र	मानसून सत्र	शीतकालीन सत्र
फरवरी - अप्रैल	जुलाई - अगस्त	दिसंबर

→ 2 सत्रों के बीच 6 महीनों से अधिक का अंतर नहीं हो सकता।

- सत्र बुलाना / सत्रावसान की घोषणा - राष्ट्रपति
- स्थगन → सदन का पीठासीन अधिकारी
(Adjournment) (बैठक का समापन)

Prorogation → सदन का समापन Dissolution - लोकसभा का समापन

11 am - 12 pm : प्रश्नकाल (पहला घण्टा)
दिन का एजेंडा तय है ← शून्य काल (12 pm - 1 pm)

Art-86

सदनों को संबोधित करने और संदेश भेजने का राष्ट्रपति का अधिकार।

(1) राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन को या एक साथ दोनों सदनों को संबोधित कर सकते हैं। और उस प्रयोजन के लिए सदस्यों की उपस्थिति की आवश्यकता होती है।

(2) राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन को संदेश भेज सकते हैं, चाहे वह संसद में लंबित किसी विधेयक के संबंध में हो या न हो।

PARMAR SSC

Art-87

राष्ट्रपति का विशेष संबोधन।
"motion of thanks"

(1) लोकसभा के प्रत्येक आम चुनाव के बाद पहले सत्र की शुरुआत पर और प्रत्येक वर्ष के पहले सत्र की शुरुआत पर राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों को एक साथ संबोधित करेंगे और संसद को इसके आव्हान के कारणों के बारे में सूचित करेंगे।

(2) ऐसे संबोधन में संदर्भित मामलों पर चर्चा के लिए समय के आवंटन के लिए किसी भी सदन की प्रक्रिया को विनियमित करने वाले नियमों द्वारा प्रावधान किया जाएगा।

Art-88

सदनों के संबंध में मंत्रियों और महान्यायवादी के अधिकार

सदनो के संबंध मे मंत्रियो और महान्यायवादी के अधिकार
किसी भी सदन मे बोल सकते है लेकिन मतदान नही कर सकते।

PARMAR SSC

संसद के अधिकारी

Art-89 राज्यों की परिषद के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष

89(1) : उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है।

(2) : उपसभापति - सदन द्वारा चयनित (राज्यसभा का सदस्य)

उपराष्ट्रपति - किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है।

Art-90

उपसभापति का पद रिक्त होना, त्यागपत्र देना और पद से हटाया जाना।

राज्यसभा के उपाध्यक्ष के रूप में पद धारण करने वाला सदस्य :

(1) यदि वह परिषद का सदस्य नहीं रह जाता है तो वह अपना पद खाली कर देगा।

(2) किसी भी समय, अध्यक्ष को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित पत्र द्वारा अपना पद त्याग सकता है।

(3) परिषद के सभी तत्कालीन सदस्यों के बहुमत द्वारा पारित परिषद के एक प्रस्ताव द्वारा उसके कार्यालय से हटाया जा सकता है।

Art-91

PARMAR SSC

अनुच्छेद 91: उपाध्यक्ष या अन्य व्यक्ति की अध्यक्ष के कार्यालय के कर्तव्यों का पालन करने या उसके रूप मे कार्य करने की शक्ति।

यदि दोनो अनुपस्थित हो तो 10 लोगो की एक समिति मे से कोई एक व्यक्ति कार्य करता है।

अगर दोनो की सीट खाली तब कोई सदस्य नही।

↳ राष्ट्रपति → किसी एक को अध्यक्ष बना देगा।

Art-92 सभापति या उपसभापति को उस समय अध्यक्षता नही करनी चाहिए जब उन्हे पद से हटाने का प्रस्ताव

(1) जब अध्यक्ष को हटाने का प्रस्ताव जारी है, वह सदन की अध्यक्षता नहीं कर सकते।

(2) अध्यक्ष को हटाने के प्रस्ताव के दौरान वह केवल कार्यवाही में भाग ले सकते है लेकिन ऐसे मामलों मे मतदान नहीं कर सकते।

Voting
- at first instance - 60 / 40
- Casting vote - 50 / 50

Art-93 लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष।

लोकसभा के सदस्य अपने बीच से 1 अध्यक्ष एवं 1 उपाध्यक्ष का चुनाव करते है।

PARMAR SSC

चुनाव की तारीखें

अध्यक्ष की चुनाव तिथि	उपाध्यक्ष की चुनाव तिथि
↑	↑
राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित	अध्यक्ष(speaker) द्वारा निर्धारित

- पहले लोकसभा अध्यक्ष - गणेश वासुदेव मावलंकर
- पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष - मीरा कुमार
- वर्तमान लोकसभा अध्यक्ष - ओम बिरला
- पहले उपाध्यक्ष - मदभुशी अनंतशयनम आयंगर
- वर्तमान उपाध्यक्ष - ×

Art-94

अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद रिक्त होना, त्यागपत्र देना और पद से हटाया जाना।

(1) यदि वह लोकसभा का सदस्य नहीं रहता तो वह अपना पद खाली कर देगा।

(2) इस्तीफा : अध्यक्ष ⇌ उपाध्यक्ष

(3) सदन के सभी तत्कालीन सदस्यों के बहुमत द्वारा पारित लोकसभा के एक प्रस्ताव द्वारा उसके कार्यालय से हटाया जा सकता है।

लोकसभा के भंग होने के बावजूद भी लोकसभा का अध्यक्ष अगली लोकसभा तक अपना पद का त्याग नहीं करेगा।

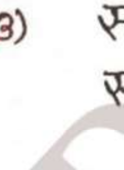

Art-95

उपाध्यक्ष या अन्य व्यक्ति की अध्यक्ष के कार्यालय के कर्तव्यों का पालन करने या अध्यक्ष के रूप में कार्य करने की शक्ति।

(1) जब अध्यक्ष का कार्यालय रिक्त हो, तो कार्यालय के कर्तव्यों का पालन उपाध्यक्ष द्वारा किया जाएगा या उपाध्यक्ष का कार्यालय भी रिक्त है तो अध्यक्षता लोकसभा के ऐसे सदस्य द्वारा की जायेगी जिसे राष्ट्रपति इस प्रयोजन के लिए नियुक्त करता है।

(2) जिस वक्त उपसभापति अनुपस्थित है तो ऐसा कोई अन्य व्यक्ति जो सदन द्वारा निर्धारित किया जा सकता है अध्यक्ष के रूप में कार्य करेंगे।

- अध्यक्ष के लिए कोई अलग योग्यता और शपथ की आवश्यकता नहीं है।

अध्यक्ष – उपाध्यक्ष <
- अनुपस्थित - उपाध्यक्ष का पैनल
- सीट खाली - राष्ट्रपति

Art-96

अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को तब अध्यक्षता नहीं करनी चाहिए जब उन्हे पद से हटाने का प्रस्ताव विचाराधीन हो।

(1) जब अध्यक्ष को हटाने का प्रस्ताव जारी है, वह सदन की अध्यक्षता नहीं कर सकते।

(2) अध्यक्ष को हटाने के प्रस्ताव के दौरान वह केवल कार्यवाही में भाग ले सकते है लेकिन ऐसे मामलों में मतदान नहीं कर सकते।

PARMAR SSC

Art-97

सभापति / उपसभापति एवं अध्यक्ष / उपाध्यक्ष के वेतन और भत्ते / → संसद द्वारा निर्धारित

Art-98

संसद का सचिवालय

संसद के प्रत्येक सदन में एक अलग सचिवीय स्टाफ होगा।

Art-99

सदस्यों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान

संसद के किसी भी सदन का प्रत्येक सदस्य, अपनी सीट लेने से पहले राष्ट्रपति के समक्ष सदस्यता (शपथ) लेगा।

PARMAR SSC

संसद -2

Art-100

सदनो मे मतदान , रिक्तियों और कोरम के बावजूद कार्य करने की सदनो की शक्ति /

100(3) : गणपूर्ति

↳ सदस्यों की वह न्यूनतम संख्या जिनके उपस्थित रहने से सदन की कार्यवाही आगे बढती है/ (10% या $\frac{1}{10}$ th)

100(4): अगर गणपूर्ति नही है तो पीठासीन अधिकारी बैठक को स्थगित Suspend कर देगा/

100(1): सदन मे मतदान → 1st Instance

Casting Vote

प्रश्नकाल → शून्यकाल → दिन का एजेंडा

(11AM - 12 PM) (12pm - 1pm)

PARMAR SSC

प्रश्नों के प्रकार :

तारांकित प्रश्न : सवालों का जवाब मौखिक तौर पर मांगा जाता है, इन पर तारांकित चिन्ह होता है। पूरक प्रश्न पूछा जा सकता है।

अतारांकित प्रश्न - लिखित उत्तर आवश्यक होता है। पूरक प्रश्न नही पूछा जा सकता।

अल्प सूचना प्रश्न - इससे जुड़े सवालों को तय सूचनावधि से कम समय में भी पूछा जा सकता है। (कम-से-कम 10 दिन का नोटिस)

निजी सदस्य → वह सदस्य जो मंत्री नही है।

Art-101 सीटों की रिक्ति

1. कोई भी व्यक्ति संसद के दोनो सदनों का सदस्य नही होगा।
2. कोई भी व्यक्ति राज्य विधानमण्डल का सदस्य और संसद का सदस्य नही हो सकता।
3. अनुच्छेद 102 मे उल्लिखित अनुसार सदस्य अयोग्यता के अधीन हो सकते है।

3(A). अध्यक्ष या स्पीकर को अपनी सीट से इस्तीफा दे सकता है।

4. यदि 60 दिनों की अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन का कोई सदस्य सदन की अनुमति के बिना उसकी सभी बैठकों से अनुपस्थित रहता है, तो सदन उसकी सीट रिक्त घोषित कर सकता है।

Art-102 सदस्यता के लिए अयोग्यताएँ

PARMAR SSC

1(a). यदि वह भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन किसी लाभ का पद धारण करता है।

1(b). यदि वह मानसिक रूप से विक्षिप्त है और सक्षम न्यायालय द्वारा ऐसा घोषित किया गया है।

1(c). यदि वह अनुन्मोचित दिवालिया है।

1(d). यदि वह भारत का नागरिक नही है या स्वेच्छा से विदेशी नागरिकता ग्रहण की है।

1(e). यदि वह संसद द्वारा बनाए गए किसी कानून या उसके तहत अयोग्य घोषित किया गया है।

(2) कोई व्यक्ति संसद के किसी भी सदन का सदस्य होने के लिए अयोग्य हो जायेगा यदि वह 10 वीं अनुसूची के तहत अयोग्य है।

52 वां संविधान संशोधन 1985 ← → दलबदल ↓ लोकसभा अध्यक्ष का निर्णय अंतिम

दलबदल के तहत अयोग्यता :

- यदि सदस्य स्वेच्छा से उस पार्टी की सदस्यता छोड़ देता है जिसके टिकट पर वह निर्वाचित हुआ है।
- यदि वह अपनी पार्टी के निर्देशों के विपरीत वोट करता है।
- यदि कोई निर्दलीय सदस्य किसी राजनीतिक दल में शामिल होता है।
- यदि कोई मनोनीत सदस्य 6 महीने के बाद पार्टी में शामिल होता है।
  ↳ राज्यसभा

→ अपवाद : 91 वां संविधान संशोधन → मिलना → 2/3rd सदस्य

→ किहोटो होलोहान Vs जाचिल्हो मामला : पीठासीन अधिकारी का निर्णय अंतिम है लेकिन न्यायपालिका समीक्षा कर सकती है।

PARMAR SSC

Art-103

सदस्यों की अयोग्यता संबंधी प्रश्नों का निर्णय

1. यदि कोई प्रश्न उठता है कि क्या संसद के किसी भी सदन का कोई सदस्य किसी अयोग्यता के अधीन हो गया है, तो राष्ट्रपति का निर्णय अंतिम होगा।
2. ऐसे किसी भी प्रश्न पर कोई भी निर्णय देने से पहले राष्ट्रपति चुनाव आयोग की राय लेंगे।

दलबदल: पीठासीन अधिकारी

Art-104

अनु० 99 के तहत शपथ लेने या प्रतिज्ञान करने से पहले बैठने और मतदान करने के लिए जुर्माना या जब योग्य न हो या अयोग्य हो।

↳ 500₹/दिन

Art-105

संसद और सदनों की शक्तियाँ एवं उसके सदस्यों और समितियों की शक्तियाँ, विशेषाधिकार आदि।

1. संसद मे बोलने की आजादी होगी।
2. संसद का कोई भी सदस्य संसद में अपने द्वारा कही गई किसी बात या दिये गए वोट के संबंध में किसी भी अदालत में किसी भी कार्यवाही के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।
3. संसद के प्रत्येक सदन के सदस्यों की शक्ति विशेषाधिकार और उन्मुक्तियां समय-समय पर संसद द्वारा परिभाषित की जाती है।

↳ उनके खिलाफ कोई नागरिक कार्यवाही नहीं की जाती है।

PARMAR SSC

Art-106 सदस्यों के वेतन एवं भत्ते।

संसद के किसी भी सदन के सदस्य ऐसे वेतन और भत्ते प्राप्त करने के हकदार होंगे जो समय-समय पर संसद द्वारा कानून द्वारा निर्धारित किए जाएं।

Art-107 विधेयकों को पेश करने और पारित करने के संबंध में प्रावधान।

विधेयक किसी भी सदन में आ सकता है।

बिल
- साधारण विधेयक
  - सार्वजनिक विधेयक (1 हफ्ते का नोटिस)
  - निजी विधेयक (1 महीने का नोटिस)
    - निजी सदस्य लाता है। (जो मंत्री नही होता)
- धन विधेयक
- संविधान संशोधन विधेयक

बिल का पतन (lapse) → सत्रावसान (Prorogation) मे बिल खत्म (lapse) नही होगा।
→ Dissolution मे खत्म होता है।

Art-108 कुछ मामलों में दोनो सदनों की संयुक्त बैठक।

1. यदि कोई विधेयक संसद के एक सदन में पारित हो जाता है, लेकिन दूसरे सदन द्वारा खारिज कर दिया जाता है और विधेयक को संसद में पेश किए जाने की तारीख से 6 महीने की अवधि बीत चुकी है तो राष्ट्रपति असहमति के समाधान के लिए संसद के दोनो सदनों का संयुक्त सत्र बुला सकता है।

PARMAR SSC

2. ऐसे संयुक्त सत्र की प्रक्रियाओं को लोकसभा अध्यक्ष द्वारा बनाए गए नियमों द्वारा विनियमित किया जाना चाहिए।

सदन बहुमत से इसे स्वीकृत या अस्वीकृत कर सकता है।

संयुक्त बैठक का प्रावधान लिया गया → ऑस्ट्रेलिया से

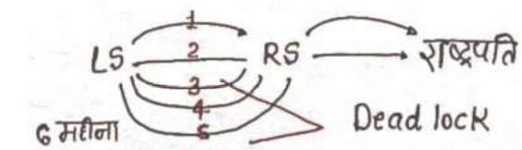

Deadlock- राष्ट्रपति संयुक्त बैठक बुलाता।
↳ लोकसभा के नियमानुसार

3 बार संयुक्त बैठक - दहेज प्रथा बिल (1960)
बैंकिंग सर्विस कमीशन बिल (1977)
आतंकवाद की रोकथाम विधेयक (2002)

संयुक्त बैठक की अध्यक्षता - लोकसभा अध्यक्ष
↓ (अनुपस्थित)
उपाध्यक्ष लोकसभा
↓
राज्यसभा का उपाध्यक्ष

राज्यसभा का सभापति संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कभी नहीं करता।

विधेयक का पतन :

संसद में लंबित कोई विधेयक सदन के सत्रावसान के कारण समाप्त नहीं होगा।

PARMAR SSC

राज्यसभा में लंबित कोई विधेयक, जिसे लोकसभा द्वारा पारित नही किया गया है, लोकसभा के विघटन पर समाप्त नही होगा।

एक विधेयक जो लोकसभा मे लंबित है या जो लोकसभा द्वारा पारित किया गया है, राज्य परिषद में लंबित है, अनुच्छेद 108 के प्रावधानों के अधीन, लोकसभा के विघटन पर समाप्त हो जायेगा।

Art-109

धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया

1. धन विधेयक राज्यसभा में पेश नहीं किया जायेगा।
2. धन विधेयक > लोकसभा द्वारा पारित > राज्यसभा को भेजा गया > सिफारिशें-14 दिन > या तो विधेयक को पारित करें या लोकसभा मे लौटाएं > विधेयक पारित हो गया।
3. लोकसभा > राज्यसभा की सिफारिश स्वीकार > विधेयक पारित
4. लोकसभा > राज्यसभा की सिफारिश अस्वीकार > विधेयक पारित
5. धनविधेयक > 14 दिनों के भीतर RS द्वारा पारित नही किया गया > विधेयक पारित

Art-110

धन विधेयक की परिभाषा

1. धन विधेयक मे निम्नलिखित प्रावधान होते है-

- (a) किसी कर का अधिरोपण, उन्मूलन, छूट, परिवर्तन या विनियमन।
- (b) भारत सरकार द्वारा धन उधार लेने या कोई गारंटी देने से जुड़े नियम।

PARMAR SSC

(c) भारत सरकार की संचित निधि या आकस्मिकता निधि से जुड़े मामलों से जुड़े प्रावधान।

(d) भारत सरकार की संचित निधि से धन का विनियोग।

(e) भारत की संचित निधि पर भारित किसी व्यय की घोषणा या इस तरह के व्यय की राशि में वृद्धि।

(f) भारत की संचित निधि या लोक लेखे से जुड़े मामलों से जुड़े प्रावधान

(g) उपखंड (a) से (f) में निर्दिष्ट किसी भी मामलें से संबंधित कोई भी मामला।

किसी विधेयक को धन विधेयक नहीं माना जाता है यदि उसमें प्रावधान हो :-

- जुर्माना लगाने के लिए
- अन्य आर्थिक दंड
- लाइसेंस के लिए शुल्क या प्रदान की गई सेवाओं के लिए शुल्क की मांग या भुगतान के लिए।
- इस कारण से कि यह अधिरोपण, उन्मूलन, छूट, स्थानीय उद्देश्यों के लिए किसी स्थानीय प्राधिकारी या निकाय द्वारा किसी कर में परिवर्तन या विनियमन का प्रावधान करता है।

कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं इसका निर्णय करता - ?

→ लोकसभा का अध्यक्ष

आधार विधेयक - 2018

Art-111 विधेयकों पर सहमति

संसद द्वारा पारित विधेयक > सहमति के लिए राष्ट्रपति के पास प्रस्तुत

लोकसभा → राज्यसभा → राष्ट्रपति → अनुमति / वीटो

PARMAR SSC

राष्ट्रपति कर सकते हैं :

- अपनी सहमति दे
- विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटाएँ (लेकिन धन विधेयक नही)

संवैधानिक संशोधन बिल के मामले मे वीटो का उपयोग नही किया जा सकता

↳ 24 वां संविधान संशोधन

वीटो के प्रकार:

पूर्ण वीटो : राष्ट्रपति संसद द्वारा पारित किसी विधेयक को अपने पास रख लेते हैं, इससे वह विधेयक अधिनियम नहीं बन पाता।

निलंबनकारी वीटो : राष्ट्रपति किसी विधेयक को संसद के पास पुनर्विचार के लिए लौटा देते हैं।

पॉकेट वीटो : राष्ट्रपति संसद द्वारा पारित विधेयक पर कोई कार्रवाई नही करते, वे इसे अनिश्चितकाल के लिए लंबित रख सकते हैं।

क्वॉलिफाइड वीटो : भारत के राष्ट्रपति के पास नही हैं।

→ ज्ञानी जैल सिंह द्वारा पहली बार प्रयोग - 1986

↳ भारतीय पोस्ट ऑफिस (संशोधन) विधेयक

वित्तीय मामलों में प्रक्रिया :

Art-112 वार्षिक वित्तीय विवरण

'बजट' → संविधान में उल्लेखित नही

PARMAR SSC

1. राष्ट्रपति प्रत्येक वित्तीय वर्ष के संबंध में उस वर्ष के लिए भारत सरकार की अनुमानित प्राप्तियों और व्यय का विवरण संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखवाएंगे , इस भाग में इसे वार्षिक वित्तीय विवरण कहा जायेगा।

वित्तीय वर्ष : 1 अप्रैल - 31 मार्च

2. वार्षिक वित्तीय विवरण में सन्निहित व्यय का अनुमान अलग से दिखाया जाएगा।

Art-113 अनुमान के संबंध में संसद में प्रक्रिया।

1. भारत की संचित निधि पर लगाए गए (व्यय) से संबंधित अधिकांश अनुमान संसद के मतदान के लिए प्रस्तुत नहीं किए जायेंगे। → वेतन, पेंशन

2. अन्य व्यय से संबंधित अनुमान लोकसभा को अनुदान की मांग के रूप में प्रस्तुत किए जायेंगे और लोकसभा के पास किसी भी मांग पर सहमति देने, या सहमति देने से इंकार करने, या सहमति देने की शक्ति होगी। किसी भी मांग के लिए उसमें निर्दिष्ट राशि में कमी की शर्त होगी।

3. राष्ट्रपति की सिफारिश के अलावा अनुदान की कोई मांग नहीं की जायेगी।

कटौती प्रस्ताव :

नीति कटौती → अनुदान घटाकर 1 ₹ की मांग
आर्थिक कटौती → प्रस्तावित कटौती के अनुरूप कम करना
टोकन कटौती → 100 ₹ की कटौती की अनुमति

राज्यसभा केवल बहस कर सकती है लेकिन मत नहीं दे सकती।

PARMAR SSC

Art-114 विनियोग विधेयक

1. लोकसभा द्वारा अनुच्छेद 113 के तहत अनुदान दिए जाने के बाद जितनी जल्दी हो सके, भारत की संचित निधि से विनियोग का प्रावधान करने के लिए एक विधेयक पेश किया जायेगा।
2. संसद के किसी भी सदन में ऐसे किसी भी विधेयक में कोई संशोधन प्रस्तावित नहीं किया जाएगा जिसका प्रभाव राशि को बदलने या किसी भी अनुदान के गंतव्य को बदलने या भारत के समेकित निधि पर लगाए गए किसी भी व्यय की राशि को बदलने पर होगा।
3. अनुच्छेद 115 & 116 के प्रावधानों के अधीन, इस अनुच्छेद के प्रावधानों के अनुसार पारित कानून द्वारा किए गए विनियोग के अलावा भारत की संचित निधि से कोई पैसा नहीं निकाला जाएगा।

Art-115 अनुपूरक, अतिरिक्त या अधिक अनुदान

Art-116 लेखानुदान, श्रेय मत और असाधारण अनुदान

Art-117 वित्तीय विधेयकों के संबंध में विशेष प्रावधान।

117(1)
वित्तीय विधेयक 1
↓
राष्ट्रपति
लोकसभा

117(3)
वित्तीय विधेयक 2
↓
साधारण विधेयक के समान

PARMAR SSC

भारत सरकार की निधि:

1. संचित निधि (226) : कर , पब्लिक पर्स ,राजस्व
2. आकस्मिक निधि (267): अप्रत्याशित खर्चों को पूरा करने के लिए।
   राष्ट्रपति के हाथ में।
3. सार्वजनिक खाते (266): रक्षा कोष
   विभिन्न मंत्रालयों / विभागो के बचत खाते
   भविष्य निधि
   आपदा प्रबंधन के लिए निधि

Art-118

प्रक्रिया के नियम

संसद का प्रत्येक सदन अपनी प्रक्रिया और अपने कार्य संचालन की विनियमित करने के लिए नियम बना सकता है।

Art-119

वित्तीय व्यवसाय के संबंध मे संसद मे प्रक्रिया का कानून द्वारा विनियमन

Art-120

संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा

संसद में कामकाज हिंदी या अंग्रेजी में किया जायेगा।

1. भाग 17 में किसी बात के होते हुए भी, लेकिन अनुच्छेद 348 के प्रावधानों के अधीन संसद में कामकाज हिंदी या अंग्रेजी में किया जाएगा।
2. जब तक संसद विधि द्वारा अन्यथा उपबंध न करे तब तक यह अनुच्छेद, इस संविधान के प्रारंभ से 15 वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात ऐसे प्रभावी होगा मानो "या अंग्रेजी में" शब्द उसमें से हटा दिए गए हों।

PARMAR SSC

Art-121 संसद में चर्चा पर रोक

सर्वोच्च या उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश के अपने कर्तव्यों के निर्वहन में आचरण के संबंध में संसद में कोई चर्चा नहीं होगी, सिवाय इसके कि राष्ट्रपति को संबोधित एक प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए न्यायाधीश को हटाने की प्रार्थना की जाए, जैसा कि इसके बाद प्रावधान किया गया है।

Art-122 अदालतें संसद की कार्यवाही की जांच नहीं करेंगी।

1. प्रक्रिया की किसी भी कथित अनियमितता के आधार पर संसद में किसी भी कार्यवाही की वैधता पर सवाल नहीं उठाया जाएगा।
2. संसद में अधिकारियों या सांसदों का कोई भी व्यावसायिक आचरण किसी भी न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अधीन नहीं है।

Art-123 संसद के अवकाश के दौरान अध्यादेश प्रख्यापित करने की राष्ट्रपति की शक्ति।

1. जब संसद का कोई सत्र नहीं चल रहा हो, तो वह ऐसे अध्यादेशों को प्रख्यापित कर सकता है जिनकी उसे आवश्यकता लगे।
2. इस अनुच्छेद के तहत प्रख्यापित अध्यादेश की शक्ति और प्रभाव संसद के अधिनियम के समान होगा, लेकिन ऐसा प्रत्येक अध्यादेश-

(a) संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखा जाएगा, संसद की पुनः बैठक के छह सप्ताह की समाप्ति पर कामकाज बंद हो जाएगा। या

(b) राष्ट्रपति द्वारा किसी भी समय वापस लिया जा सकता है।

PARMAR SSC

3. यदि और जहां तक इस अनुच्छेद के तहत कोई अध्यादेश कोई प्रावधान करता है जिसे संसद इस संविधान के तहत अधिनियमित करने में सक्षम नहीं होगी, तो वह शून्य/ अमान्य होगा।

अध्यादेश द्वारा कानून बनाने की शक्ति राष्ट्रपति की शक्ति कानून की समांतर शक्ति नहीं है।

डीसी वाधवा मामला (1987) → SC → अध्यादेश

राज्यसभा की विशेष शक्तियाँ:

यह संसद को राज्यसूची के किसी बिषय पर कानून बनाने के लिए अधिकृत कर सकता है।

यह संसद को नई अखिल भारतीय सेवाएँ (312) बनाने के लिए अधिकृत कर सकता है।

- अंतर्राष्ट्रीय संधि
- 2 या अधिक राज्य
- राष्ट्रीय आपातकाल
- राष्ट्रपति शासन

संसद द्वारा प्रयोग किये जाने वाले कुछ उपकरण:

निंदा प्रस्ताव		अविश्वास प्रस्ताव
व्यक्तिगत मंत्री / पूरी मंत्रिपरिषद		पूरी मंत्रिपरिषद
		50 सदस्य
कारण बताना पड़ेगा	→	×
→ पास होने पर सरकार को इस्तीफा देने की आवश्यकता नहीं।		• पारित होने पर सरकार को इस्तीफा देना पड़ेगा।

व्यवस्था का प्रश्न: इसे तब उठाया जाता है जब सदन की कार्यवाही प्रक्रिया के सामान्य नियमों का पालन नहीं करती है।

CHAPTER 1	CHAPTER 2	CHAPTER 3	CHAPTER 4	CHAPTER 5	CHAPTER 6
152 राज्य	153-167 राज्य की कार्यपालिका	168-212 राज्य की विधानमंडल	213 अध्यादेश	उच्च न्यायालय	अधिनस्थ न्यायालय

भाग 5   **भाग 6**

de jure ← राष्ट्रपति → राज्यपाल → de jure

de facto ← प्रधानमंत्री → मुख्यमंत्री → de facto

मंत्रिपरिषद → मंत्रिपरिषद

महान्यायवादी → महाधिवक्ता

अनुच्छेद 153

राज्यों के राज्यपाल

प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा।

अनुच्छेद 154 : राज्य की कार्यकारी शक्ति / समस्त कार्यपालिका संबंधी शक्ति।

राज्य की कार्यकारी शक्ति राज्यपाल में निहित होगी और इसका प्रयोग वह सीधे या इस संविधान के अनुसार अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करेगा।

अनुच्छेद 155 : राज्यपाल की नियुक्ति

किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा उसके हस्ताक्षर और मुहर के तहत वारंट द्वारा की जाएगी।

अनुच्छेद 156 : राज्यपाल के पद का कार्यकाल

1. राज्यपाल राष्ट्रपति की इच्छा तक पद पर बने रहेंगे।
2. राज्यपाल, राष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित पत्र द्वारा, अपना पद त्याग सकता है।

PARMAR SSC

(3) इस अनुच्छेद के पूर्वगामी प्रावधानों के अधीन, एक राज्यपाल अपने कार्यालय मे प्रवेश करने की तारीख से पांच साल की अवधि के लिए पद धारण करेगा।

अनुच्छेद 157 : राज्यपाल के रूप में नियुक्ति के लिए योग्तायें।

कोई भी व्यक्ति राज्यपाल के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र नही होगा जब तक कि वह-

- भारत का नागरिक न हो।
- 35 वर्ष की आयु पूरी न कर चुका हो।

अनुच्छेद 158 : राज्यपाल के कार्यालय की शर्तें।

1. राज्यपाल संसद या राज्य विधानमंडल के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होगा, यदि हां, तो उसे राज्यपाल के पद पर प्रवेश करने से पहले अपनी सीट खाली करनी होगी।
2. राज्यपाल कोई लाभ का पद धारण नहीं करेगा।
3. राज्यपाल अपने आधिकारिक आवासों के उपयोग के लिए किराए का भुगतान किए बिना हकदार होंगे और ऐसी परिलब्धियों, भत्तों और विशेषाधिकारों के भी हकदार होंगे जो संसद द्वारा कानून द्वारा निर्धारित किए जा सकते है।

3(A). जहां एक ही व्यक्ति को दो या दो से अधिक राज्यों के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया जाता है, वहां राज्यपाल को देय परिलब्धियां और भत्ते राज्यों के बीच उस अनुपात में आवंटित किए जायेंगे जो राष्ट्रपति आदेश द्वारा निर्धारित करते है।

(4). राज्यपाल की परिलब्धियाँ और भत्ते उनके कार्यकाल के दौरान कम नहीं किये जायेंगे।

7 वां संविधान संशोधन: 1956 — दो या दो से अधिक राज्यो में एक ही राज्यपाल हो सकता है।

अनुच्छेद 159 : राज्यपाल द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान।

राज्यपाल को उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की उपस्थिति में शपथ लेनी होती है यदि वह अनुपस्थित है, तो राज्यपाल को उपलब्ध उच्च न्यायालय के वरिष्ठम न्यायाधीश की उपस्थिति में शपथ लेनी होती है।

राष्ट्रपति → भारत के मुख्य न्यायाधीश

अनुच्छेद 160 : कुछ आकस्मिकताओं मे राज्यपाल के कर्तव्यो का निर्वहन।

भारत के राष्ट्रपति कुछ स्थितियों में राज्य के राज्यपाल के कार्यों को संभालने के लिए किसी को नियुक्त कर सकते हैं।

अनुच्छेद 161 : राज्यपाल की क्षमादान शक्ति।

किसी राज्य के राज्यपाल के पास किसी भी अपराध के लिए दोषी ठहराए गए किसी भी व्यक्ति की सजा को माफ करने, कम करने, निलंबित करने, या राहत देने का अधिकार है।

→ राष्ट्रपति और राज्यपाल की क्षमादान शक्ति में अंतर - (2)

1. राज्यपाल मृत्यु दण्ड की सजा को माफ़ नही कर सकते।
2. राज्यपाल कोर्ट- मार्शल द्वारा दी गई सज़ा को माफ नही कर सकते।

- **भारत में राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति:**
  - संविधान के अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति को अपराध के लिये दोषी ठहराए गए किसी भी व्यक्ति की सज़ा को माफ करने, राहत देने, छूट देने या निलंबित करने, हटाने या कम करने की शक्ति होगी, जहाँ दंड मौत की सज़ा के रूप में है।

- **क्षमा:** इसमें दंडादेश और दोषसिद्धि दोनों से मुक्ति देना शामिल है। ध्यातव्य है कि राज्यपाल मृत्युदंड को माफ़ नहीं सकता है, यह शक्ति केवल 'राष्ट्रपति' को ही प्राप्त है हालाँकि, राज्यपाल उक्त अपराध के फलस्वरूप अल्प सज़ा का प्रावधान कर सकता है।

- **लघुकरण:** इसमें दंड के स्वरुप को बदलकर कम करना शामिल है, उदाहरण के लिये मृत्युदंड को आजीवन कारावास और कठोर कारावास को साधारण कारावास में बदलना।

- **परिहार:** इसमें दंड की प्रकृति में परिवर्तन किया जाना शामिल है, उदाहरण के लिये दो वर्ष के कारावास को एक वर्ष के कारावास में परिवर्तित करना।

- **विराम:** इसके अंतर्गत किसी दोषी को प्राप्त मूल सज़ा के प्रावधान को किन्हीं विशेष परिस्थितियों में बदलना शामिल है। उदाहरण के लिये महिला की गर्भावस्था की अवधि के कारण सज़ा को परिवर्तित करना।

- **प्रविलंबन:** इसके अंतर्गत क्षमा या लघुकरण की कार्यवाही के लंबित रहने के दौरान दंड के प्रारंभ की अवधि को आगे बढ़ाना या किसी दंड पर अस्थायी रोक लगाना शामिल है।

अनुच्छेद 162: राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार।

किसी राज्य की कार्यकारी शक्ति उन मामलों तक विस्तारित होती है जहां राज्य की विधानमंडल के पास कानून बनाने की शक्ति होती है।

अनुच्छेद 163: राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद

राज्यपाल सलाह मानने के लिये बाध्य नही है।

अनुच्छेद 164: मंत्रियों के संबंध में अन्य प्रावधान।

- मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाएगी और अन्य मंत्रियों की
- नियुक्ति राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की सलाह पर की जायेगी।
- मंत्री राज्यपाल के प्रसादपर्यन्त पद धारण करेंगे।
- मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से राज्य की विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है।
- किसी मंत्री के अपना पद ग्रहण करने से पूर्व राज्यपाल उसे शपथ दिलाता है।
- कोई मंत्री, जो लगातार 6 माह की अवधि तक राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं है, उस अवधि की समाप्ति पर मंत्री नहीं रहेगा।
- मंत्रियों के वेतन और भत्ते ऐसे होंगे जो राज्य का विधानमंडल समय-समय पर विधि द्वारा अवधारित करे।

अनुच्छेद 165: राज्य का महाधिवक्ता

- राज्यपाल द्वारा नियुक्ति
- कार्यकाल - 5 वर्ष
- राज्यपाल के प्रसाद पर्यन्त पद धारण।

अनुच्छेद 166: किसी राज्य की सरकार के कामकाज का संचालन

अनुच्छेद 167: राज्यपाल को सूचना प्रस्तुत करने आदि के संबंध में मुख्यमंत्री के कर्तव्य

मंत्रिपरिषद —— मुख्यमंत्री —— राज्यपाल

अनुच्छेद 168: राज्यों में विधानमंडलों का गठन।

1. प्रत्येक राज्य के लिए एक विधानमंडल होगा जिसमें राज्यपाल शामिल होगा।

1 (a) आंध्रप्रदेश, बिहार, तेलंगाना, महाराष्ट्र, कर्नाटक, और उत्तरप्रदेश राज्यों में, द्विसदनीय विधानमंडल।

1(b). अन्य राज्यों में एक सदन।

2. जहां दो सदन हों उनमें से एक को विधानपरिषद और दूसरे को विधान~~मंडल~~ सभा कहा जाएगा।

यदि केवल एक सदन है वहां विधानसभा होनी चाहिए।

"कबूतम"

- K - कर्नाटक
- A - आंध्रप्रदेश
- B - बिहार
- U - UP
- T - तेलंगाना
- M - महाराष्ट्र

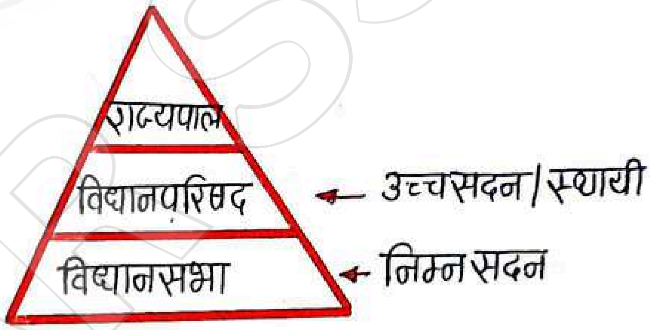

अनुच्छेद 169: राज्यों में विधान परिषदों का उन्मूलन या निर्माण।

1. अनुच्छेद 168 में किसी बात के होते हुए भी, संसद विधि द्वारा, किसी ऐसे राज्य में विधान परिषद को समाप्त करने के लिए, जिसमें ऐसी परिषद नहीं है, या किसी ऐसे राज्य में, जिसमें ऐसी परिषद नहीं है, विधान परिषद के सृजन के लिए उपबंध कर सकेगी, यदि उस राज्य की विधानसभा अपने कुल सदस्यों के बहुमत द्वारा तथा उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 (दो-तिहाई) बहुमत द्वारा उस आशय का संकल्प पारित कर दें।

उपर्युक्त जैसा कोई भी कानून अनुच्छेद 368 के प्रयोजनों के लिए संविधान का संशोधन नहीं माना जाएगा।

संसद → साधारण बहुमत

विधानसभा → विशिष्ट बहुमत

अनुच्छेद 170: विधान सभाओं की संरचना।

PARMAR SSC

1. अनुच्छेद 333 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, प्रत्येक राज्य की विधान सभा में 500 से अधिक तथा 60 से कम सदस्य नहीं होंगे, जो राज्य के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा चुने जाएंगे।

2. खंड(1) के प्रयोजनों के लिए, प्रत्येक राज्य को प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में इस प्रकार विभाजित किया जाएगा कि प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र की जनसंख्या और उसको आवंटित स्थानों की संख्या के बीच का अनुपात, जहां तक साध्य हो, सम्पूर्ण राज्य में एक समान होगा।

3. प्रत्येक जनगणना के पूरा होने पर, प्रत्येक राज्य की विधानसभा में सीटों की कुल संख्या और प्रत्येक राज्य के क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजन को फिर से समायोजित किया जायेगा।

अपवाद - (30) न्यूनतम
- सिक्किम
- गोवा
- अरुणाचल

नागालैण्ड - 46

मिजोरम - 40

अनुच्छेद 171: विधान परिषदों की संरचना।

1. विधानपरिषद में सदस्यों की कुल संख्या, राज्य विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के एक - तिहाई से ज्यादा नहीं होनी चाहिए।
   सदस्यों की संख्या 40 से कम नहीं होनी चाहिए।

2. जब तक संसद विधि द्वारा अन्यथा उपबंध नहीं करती, किसी राज्य की विधान परिषद की संरचना खंड (3) में उपबंधित अनुसार होगी।

3. किसी राज्य की विधान परिषद के सदस्यों की कुल संख्या-

(A) 1/3 भाग नगरपालिकाओं, जिला बोर्डों और अन्य स्थानीय प्राधिकरणों के सदस्यों वाले मतदाताओं द्वारा चुना जाता है।

(B) 1/12 वां - राज्य में रहने वाला व्यक्ति जो भारत के किसी भी विश्वविद्यालय में कम से कम 3 साल तक स्नातक किया हो।

PARMAR SSC

(c) 1/12 वां - कम से कम 3 वर्षों से शिक्षण में संलग्न व्यक्ति।

(d) 1/3 - विधानसभा के सदस्यों द्वारा।

(e) शेष राज्यपाल द्वारा नामांकित - ऐसे व्यक्ति जिनके पास साहित्य, विज्ञान, कला, सहकारी आंदोलन और सामाजिक सेवा में विशेष ज्ञान या व्यावहारिक अनुभव हो।

अनुच्छेद 172: राज्य विधानमंडलों की अवधि।

1. प्रत्येक राज्य की प्रत्येक विधानसभा, जब तक कि जल्दी भंग न हो जाए, अपनी पहली बैठक के लिए नियुक्त तिथि से 5 वर्ष तक जारी रहेगी।

2. किसी राज्य की विधान परिषद विघटन के अधीन नहीं होगी, लेकिन यथासंभव उसके 1/3 सदस्य हर दूसरे वर्ष की समाप्ति पर जितनी जल्दी हो सके सेवानिवृत्त हो जाएंगे।

अनुच्छेद 173: राज्य विधानमंडल की सदस्यता के लिए योग्यता।

कोई व्यक्ति किसी राज्य के विधानमंडल में सीट भरने के लिए चुने जाने के लिए तब तक योग्य नहीं होगा जब तक कि वह-

1. भारत का नागरिक हो।
2. विधानसभा के लिए 25 वर्ष और विधान परिषद के लिए 30 वर्ष से कम आयु नहीं होनी चाहिए।
3. उसके पास ऐसी अन्य योग्यताएं हों जो संसद द्वारा बनाई गई किसी विधि द्वारा या उसके अधीन उस निमित्त विहित की जाएं।

अनुच्छेद 174: राज्य विधानमंडल के सत्र, सत्रावसान और विघटन।

1. राज्यपाल विधायिका के सदन को ऐसे समय पर बैठक के लिए बुला सकता है जब वह उचित समझे, लेकिन एक सत्र में इसकी अंतिम बैठक और अगले सत्र में इसकी पहली बैठक के लिए नियुक्त तिथि के बीच 6 महीने का अंतर नहीं होगा।

2. राज्यपाल समय-समय पर-

(a) किसी भी सदन का सत्रावसान कर सकते।

(b) विधानसभा भंग कर सकते।

अनुच्छेद 175 : सदनों को संबोधित करने और संदेश भेजने का राज्यपाल का अधिकार।

1. राज्यपाल विधानसभा या विधानपरिषद (यदि हो तो) या दोनों सदनों को एक साथ संबोधित कर सकते हैं।

2. राज्यपाल सदन या राज्य विधानमंडल के सदनों को संदेश भेज सकता है, चाहे वह विधानमंडल में लंबित किसी विधेयक के संबंध में हो।

अनुच्छेद 176 : राज्यपाल का विशेष संबोधन।

1. विधानसभा के प्रत्येक आम चुनाव के बाद पहले सत्र की शुरुआत पर और प्रत्येक वर्ष के पहले सत्र की शुरुआत पर, राज्यपाल विधान सभा और विधान परिषद (यदि हो तो) को संबोधित करेंगे।

2. ऐसे संबोधन में निर्दिष्ट मामलों पर चर्चा के लिए समय के आवंटन के लिए सदन या किसी भी सदन की प्रक्रिया को विनियमित करने वाले नियमों द्वारा प्रावधान किया जाएगा।

अनुच्छेद 177 : सदनों के संबंध में मंत्रियों और महाधिवक्ता के अधिकार।

किसी राज्य के प्रत्येक मंत्री और महाधिवक्ता को विधान सभा या परिषद (यदि वहां है) में बोलने या कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार होगा, लेकिन वोट नहीं दे सकते।

अनुच्छेद 178 : विधानसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष।

अनुच्छेद 179 : अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद रिक्त होना, त्यागपत्र देना और पद से हटाया जाना।

अनुच्छेद 180: उपाध्यक्ष या अन्य व्यक्ति की अध्यक्ष के कार्यालय के कर्तव्यों का पालन करने या अध्यक्ष के रूप में कार्य करने की शक्ति।

अनुच्छेद 181: जब अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को पद से हटाने का प्रस्ताव विचाराधीन हो, तब उनका पीठासीन न होना।

अनुच्छेद 182: विधानपरिषद के सभापति एवं उपसभापति

अनुच्छेद 183: सभापति / उपसभापति का पद रिक्त होना, त्यागपत्र देना और पद से हटाया जाना।

अनुच्छेद 184: उपसभापति या अन्य व्यक्ति की सभापति के कार्यालय के कर्तव्यों का पालन करने या उसके रूप में कार्य करने की शक्ति।

अनुच्छेद 185: जब सभापति या उपसभापति को पद से हटाने का प्रस्ताव विचाराधीन हो, तब उनका पीठासीन न होना।

अनुच्छेद 186: अध्यक्ष/उपाध्यक्ष तथा सभापति / उपसभापति के वेतन एवं भत्ते।

अनुच्छेद 187: राज्य विधानमंडल का सचिवालय।

अनुच्छेद 188: सदस्यों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान।
↳ राज्यपाल

अनुच्छेद 189: सदनों में मतदान, रिक्तियों और गणपूर्ति के बावजूद कार्य करने की सदनों की शक्ति।

स्पीकर या अध्यक्ष, या उसके रूप में कार्य करने वाला व्यक्ति, पहली बार में मतदान नहीं करेगा, लेकिन मतों की समानता के मामले में निर्णायक मत देगा और उसका प्रयोग करेगा।

अनुच्छेद 190: सीटों की रिक्ति।

अनुच्छेद 191: सदस्यता के लिए अयोग्यताएँ।

अनुच्छेद 192: सदस्यों की अयोग्यता संबंधी प्रश्नों पर निर्णय।
↳ राज्यपाल + चुनाव आयोग

अनुच्छेद 193: अगर कोई व्यक्ति अनु० 188 के मुताबिक शपथ लेने या प्रतिज्ञान करने से पहले किसी राज्य की विधान सभा / विधान परिषद का सदस्य बनता है या वोट करता है, तो उसे इसके लिए दंड देना होगा।

अनुच्छेद 194: विधानमंडलों के सदनों और उनके सदस्यों और समितियों की शक्तियाँ, विशेषाधिकार आदि।

अनुच्छेद 195: सदस्यों के वेतन एवं भत्ते।

अनुच्छेद 196: विधेयकों को पेश करने और पारित करने के संबंध में प्रावधान।

अनुच्छेद 197: धन विधेयक के अलावा अन्य विधेयकों के संबंध में विधान परिषद की शक्तियों पर प्रतिबंध।

यदि कोई विधेयक किसी विधान परिषद वाले राज्य की विधान सभा द्वारा पारित कर विधान परिषद को प्रेषित कर दिया गया है-

(A) विधेयक को परिषद द्वारा खारिज कर दिया गया है, या

(B) उस तारीख से 3 महीने से अधिक समय बीत चुका है जब विधेयक परिषद के समक्ष रखा गया है और विधेयक उसके द्वारा पारित नहीं हुआ है, या

(C) विधेयक को परिषद द्वारा उन संशोधनों के साथ पारित किया जाता है जिनसे विधानसभा सहमत नहीं है।

अनुच्छेद 198: धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया।

LA ← LC → राज्यपाल
14 दिन

अनुच्छेद 199: 'धन विधेयक' की परिभाषा

PARMAR SSC

अनुच्छेद 200: विधेयकों पर सहमति।

राज्यपाल
- आत्यंतिक वीटो
- निलंबनकारी वीटो → वापिस → धनविधेयक के मामले में नहीं।
- पॉकेट वीटो

अनुच्छेद 201: विधेयक विचार हेतु आरक्षित।

राज्यपाल, राष्ट्रपति के लिए विधेयक आरक्षित कर सकता है।

अनुच्छेद 202: वार्षिक वित्तीय विवरण → राज्यपाल

अनुच्छेद 203: प्राक्कलन के संबंध में विधानमंडल में प्रक्रिया।

अनुच्छेद 204: विनियोग विधेयक।

अनुच्छेद 205: अनुपूरक, अतिरिक्त या अतिरिक्त अनुदान।

अनुच्छेद 206: लेखानुदान, श्रेयमत और असाधारण अनुदान।

अनुच्छेद 207: वित्तीय विधेयकों के संबंध में विशेष प्रावधान।

अनुच्छेद 208: प्रक्रिया के नियम।

अनुच्छेद 209: वित्तीय व्यवसाय के संबंध में राज्य के विधानमंडल में प्रक्रिया का कानून द्वारा विनियमन।

अनुच्छेद 210: विधानमंडल में प्रयोग की जाने वाली भाषा।

अनुच्छेद 211: विधानमंडल में चर्चा पर प्रतिबंध।

अनुच्छेद 212: न्यायालयों द्वारा विधानमंडल की कार्यवाहियों की जांच न करना।

अनुच्छेद 213: विधानमंडल के अवकाश के दौरान अध्यादेश प्रख्यापित करने की राज्यपाल की शक्ति।

PARMAR SSC

"आपातकाल"

भाग - 18 | अनुच्छेद - 352-360 | जर्मनी से ग्रहण → वाइमर

आपातकाल
- राष्ट्रीय आपात
- राज्य आपात → राष्ट्रपति शासन
- वित्तीय आपात

उद्घोषणा - भारत शासन अधिनियम 1935

राष्ट्रीय आपात : अनुच्छेद 352

घोषणा :

- आपातकाल की उद्घोषणा कैबिनेट से निर्णय प्राप्त करने के बाद राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। 44 वां संविधान संशोधन, 1978
- आपातकाल की उद्घोषणा को इसके जारी होने की तारीख से 1 महीने के भीतर दोनों सदनों द्वारा विशेष बहुमत से अनुमोदित किया जाना चाहिए।
- यदि स्वीकृत हो जाता है तो यह 6 महीने तक जारी रहता है और हर 6 महीने के बाद संसद की मंजूरी के बाद इसे अनिश्चित काल तक बढ़ाया जा सकता है।
- उद्घोषणा का आधार : (3)
  - युद्ध
  - बाह्य आक्रमण
  - सशस्त्र विद्रोह

आंतरिक विद्रोह या अशांति → सशस्त्र विद्रोह (44 वां संशोधन)

निरसन :

- संसद की मंजूरी की आवश्यकता के बिना राष्ट्रपति द्वारा आपातकाल को किसी भी समय रद्द किया जा सकता है।
- लेकिन, यदि लोकसभा केवल साधारण बहुमत से आपातकाल को समाप्त करने का प्रस्ताव पारित करती है तो उस स्थिति में राष्ट्रपति को आपातकाल रद्द करना होगा।

PARMAR SSC

राष्ट्रीय आपातकाल के प्रभाव :

केन्द्र राज्य संबंधों पर प्रभाव :

- संघीय व्यवस्था का एकात्मक व्यवस्था में हो जाना।
- सामान्य समय में केंन्द्र निर्दिष्ट मामलों पर राज्य को निर्देश दे सकता है लेकिन आपातकाल के दौरान यह किसी भी मामले पर निर्देश दे सकता है।
- आपातकाल के दौरान संसद को राज्य सूची में उल्लिखित किसी भी विषय पर कानून बनाने का अधिकार है। (आपातकाल समाप्त होने के 6 महीने बाद ये कानून निष्क्रिय हो जाते हैं)

लोकसभा तथा विधानसभा के कार्यकाल पर प्रभाव :

इसे एक बार में 1 वर्ष के लिए बढाया जा सकता है लेकिन आपातकाल लागू होने के बाद यह विस्तार 6 महीने की अवधि से अधिक जारी नहीं रह सकता है।

मूल अधिकारों पर प्रभाव :

अनुच्छेद 358
↓
अनु० 19 द्वारा दिये गए मूल अधिकारों के निलंबन से संबंधित
↓
अनुच्छेद 19 द्वारा प्रदत्त 6 मूल अधिकारों को युद्ध अथवा बाह्य आक्रमण के आधार पर घोषित आपातकाल में ही निलंबित किया जा सकता है।

अनुच्छेद 359 → राष्ट्रपति
↓
अन्य मूल अधिकारों के निलंबन से संबंधित

अनुच्छेद 20 व 21 कभी भी निलंबित नहीं होते।

PARMAR SSC

अब तक घोषणा: 3 बार

- 1962: भारत- चीन युद्द → पं. जवाहर लाल नेहरू
  अक्टूबर 1962- 1968
- 1971: भारत - पाक युद्द → इंदिरा गांधी
- 1975: आंतरिक अशांति → इंदिरा गांधी
  राष्ट्रपति- फखरुद्दीन अली अहमद

(1975- 1977)

25 जून - संविधान हत्या दिवस

राष्ट्रपति शासन:

अधिरोपण का आधार:

अनुच्छेद 356: यदि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है जिसमे सरकार, राज्य का शासन संविधान के प्रावधानों के अनुसार नही चला सकती हैं।

अनुच्छेद 355: केंद्र सरकार का यह कर्तव्य है कि वह देश को बाहरी आक्रमण और आंतरिक अशांति से बचाए।

अनुच्छेद 365: जब भी कोई राज्य केंद्र के किसी निर्देश का पालन करने या उसे प्रभावी करने में विफल रहता है।

उद्घोषणा- राष्ट्रपति

अनुमोदन:

- इसके जारी होने की तारीख से 2 महीने के भीतर संसद के दोनों सदनों द्वारा साधारण बहुमत से अनुमोदित किया जाना चाहिए।
- मंजूरी मिलने पर यह 6 महीने तक जारी रहता है और अधिकतम 3 साल की अवधि के लिए बढ़ाया जा सकता है।

PARMAR SSC

परिणाम:

राष्ट्रपति राज्यपाल के कार्य संभाल सकता है।

संसद राज्य विधायिका के कार्यों को अपने हाथ में ले सकती है।

निरसन:

राष्ट्रपति द्वारा स्वयं किसी भी समय रद्द किया जा सकता है।

अनुच्छेद 356 का प्रयोग:

पंजाब में पहली बार राष्ट्रपति शासन 1951 में लगाया गया था।

मणिपुर में सर्वाधिक बार (10 बार) राष्ट्रपति शासन लगाया गया।

UP में → 9 बार

→ अनुच्छेद 356 पर डॉ. बी. आर. के विचार: इसे अंतिम उपाय के रूप में इस्तेमाल किया जाना चाहिए।

→ एस. आर. बोम्मई मामला (1994): राष्ट्रपति शासन न्यायिक समीक्षा का विषय है।

- सरकारिया → 1983
- पुंछी आयोग → 2007

} केन्द्र-राज्य संबंधों पर आयोग

वित्तीय आपातकाल:

उद्घोषणा:

अनु० 360 राष्ट्रपति को वित्तीय आपातकाल घोषित करने का अधिकार देता है यदि वह संतुष्ट है कि भारत या उसके किसी हिस्से की वित्तीय स्थिरता को खतरा है।

संसद द्वारा 2 महीने के अंदर साधारण बहुमत से अनुमोदित किया जाना।

राष्ट्रपति शासन के समान

PARMAR SSC

- अभी तक कोई वित्तीय आपातकाल नहीं लगाया गया है।

" संवैधानिक संशोधन "

दक्षिण अफ्रीका से ग्रहण

भाग - 20

अनुच्छेद - 368

केवल 2 प्रकार के संशोधन

भाग - 20

संसद उन प्रावधानों में संशोधन नहीं कर सकती जो संविधान की मूल संरचना बनाते हैं।

↓

केशवानन्द भारती मामला 1973

प्रक्रिया :

- संसद के किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है लेकिन राज्य विधानमंडल में नहीं।
- राष्ट्रपति की पूर्व अनुशंसा की आवश्यकता नहीं है।
- राष्ट्रपति को अपनी सहमति देनी होगी और वह विधेयक को वीटो नहीं कर सकते।

↓

24वां संशोधन 1971

संशोधन के प्रकार - 3

साधारण बहुमत

- यह अनुच्छेद 368 के दायरे से बाहर है।
- इसमें उसी तरह संशोधन किया जाता है जैसे सामान्य कानून पारित किये जाते हैं।

विशेष बहुमत

- प्रथम श्रेणी के अंतर्गत नहीं आने वाले प्रावधानों में संशोधन के लिए
- प्रत्येक सदन की कुल सदस्यता का बहुमत तथा

PARMAR SSC

- प्रत्येक सदन के उपस्थित & मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत।

विशेष बहुमत + राज्यों की सहमति
- यह राजव्यवस्था के संघीय ढांचे से संबंधित हैं।
- संशोधन - संसद का विशेष बहुमत, आधे राज्य विधानमंडल साधारण बहुमत से सहमति देते हैं।

साधारण बहुमत द्वारा संशोधित प्रावधान :

- किसी नये राज्य का प्रवेश / स्थापना
- सीमा परिवर्तन
- दूसरी अनुसूची
- 5वीं / 6वीं अनुसूची
- गणपूर्ती
- संविधान का परिसीमन
- विधान परिषद का गठन / समापन

विशेष बहुमत द्वारा संशोधित प्रावधान :

- मौलिक अधिकार
- राज्य के नीति निदेशक तत्व

विशेष बहुमत + राज्यों की सहमति :

- राष्ट्रपति का चुनाव एवं उसकी रीति।
- SC/HC
- अनुच्छेद 368
- सातवीं अनुसूची

संशोधन प्रक्रिया पर टिप्पणियाँ :

PARMAR SSC

संशोधन प्रक्रिया की यह विविधता बुद्धिमान है लेकिन दुर्लभ रूप से पाई जाती है।

के.सी. व्हीयर

संशोधन प्रक्रिया ने स्वयं को संविधान के सबसे सक्षम कल्पित पहलुओं में से एक साबित कर दिया है।

ग्रेनविल ऑस्टिन

PARMAR SSC

महत्वपूर्ण संशोधन :

100 : भारत और बांग्लादेश के मध्य भूमि सीमा समझौता

101 : जीएसटी

102 : राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा

103 : आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (EWS) के लिए आरक्षण

104 : एंग्लो-इंडियन समुदाय की आरक्षित सीटें खत्म।

105 : सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों (SEBC) की मान्यता देने की राज्य सरकारों की शक्ति को बहाल कर दिया।

106 : लोकसभा, राज्य विधानसभाओं और दिल्ली विधानसभा में महिलाओं के लिए 1/3rd सीटें आरक्षित करता है।

PARMAR SSC

संसदीय समितियाँ :

बुनियादी सूचक :

- संविधान में विभिन्न स्थानों पर इन समितियों का उल्लेख है लेकिन उनके
- कार्यकाल, कार्यों आदि के संबंध में कोई विशेष प्रावधान नहीं है।
- इन सभी मामलों को दूसरे सदन के नियमों के अनुसार निपटाया जाता है।

- एक संसदीय समिति अध्यक्ष/सभापति द्वारा नियुक्त की जाती है और उनके निर्देशों पर काम करती है।

वर्गीकरण

- स्थायी समिति
- तदर्थ समिति / अस्थायी समिति

स्थायी समिति: एक नियमित और स्थायी समिति

वित्तीय समिति

- सार्वजनिक लेखा समिति
- प्राक्कलन समिति
- लोक लेखा समिति

सार्वजनिक लेखा समिति	प्राक्कलन समिति	लोक लेखा समिति
भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत 1921 में स्थापित	स्वतंत्रता पश्चात, 1950 में जॉन मथाई समिति की सिफारिश पर गठित	1964, कृष्णा मेनन समिति की सिफारिश पर गठित
22 सदस्य: 15 लोकसभा, 7 राज्यसभा	30 सदस्य → सभी सदस्य लोक सभा से	22 सदस्य: 15 LS, 7 RS
नियंत्रक एवं महालेखा परिक्षक ↑ दार्शनिक & मार्गदर्शक		लोकसभा से अध्यक्ष

- इनका सदस्य कोई मंत्री नहीं हो सकता है।
- कार्यकाल - 1 वर्ष

PARMAR SSC

विभाग संबंधी स्थायी समिति:

24 समितियाँ
- 16 लोकसभा
- 8 राज्यसभा

सदस्य = 31
- 21 लोकसभा
- 10 राज्यसभा

→ **ऐसी समितियाँ जिनमें लोकसभा अध्यक्ष सदस्य होते हैं:**

- नियम समिति
- सामान्य प्रयोजन समिति
- व्यापार सलाहकार समिति

→ **निजी सदस्यों के विधेयकों पर समिति** - लोकसभा का उपाध्यक्ष

PARMAR SSC

संघीय न्यायपालिका

भाग-5 सर्वोच्च न्यायालय (अनुच्छेद 124 - 147)

मूल बिंदु

भारत में न्यायपालिका एकीकृत है।

↳ भारत शासन अधिनियम 1935 से ग्रहण

न्यायपालिका स्वतंत्र है।

↳ US

पदानुक्रम - 3 स्तर
- उच्चतम न्यायालय
- उच्च न्यायालय
- अधिनस्थ न्यायालय

सर्वोच्च न्यायालय के बारे में

भारत की स्वतंत्रता मिलने के बाद सर्वोच्च न्यायालय ने संघीय न्यायालय और प्रिवी काउंसिल की न्यायिक समिति का स्थान ले लिया।

संघीय न्यायालय की स्थापना (1937) भारत शासन अधिनियम 1935 के आधार पर की गई।

पहली बैठक : 28 जनवरी 1950

एक मुख्य न्यायाधीश + 7 अन्य न्यायाधीश = कुल 8

वर्तमान में, 1 (CJI) + 33 = कुल 34

वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश (CJI) - संजीव खन्ना (51 वाँ)

पहले मुख्य न्यायाधीश - एच. जे. कनिया

अनुच्छेद 124: सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना एवं गठन।

(1) भारत का एक सर्वोच्च न्यायालय होगा जिसमे भारत के मुख्य न्यायाधीश होंगे और जब तक संसद कानून द्वारा बडी संख्या निर्धारित नही करती है, तब तक सात से अधिक अन्य न्यायाधीश नही होंगे।

(2) सर्वोच्च न्यायालय के प्रत्येक न्यायाधीश को राष्ट्रपति द्वारा सर्वोच्च न्यायालय और राज्यो के उच्च न्यायालय के ऐसे न्यायाधीशों से परामर्श के बाद अपने हस्ताक्षर और मुहर के तहत वारंट द्वारा नियुक्त किया जाएगा, जिन्हे राष्ट्रपति इस उद्देश्य के लिए आवश्यक समझे और धारण करेगा। 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक वह पद पर रहेगा।

Judges Case : (4) 1st - 1982 2nd - 1993 3rd - 1998

99 वां संविधान संशोधन 2014 = जजो का समूह (Collegium) = राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग (NJAC)

'SP गुप्ता मामला' ×

4th → 99th संवि. संशोधन = असंवैधानिक

NJAC → Collegium

जजो की नियुक्ति की कोई न्यूनतम सीमा निर्धारित नही है।

(A) एक न्यायाधीश, राष्ट्रपति को संबोधित अपने हाथ से लिखकर, अपना पद त्याग सकता है।

(B) किसी न्यायाधीश को खंड (4) मे दिये गये तरीके से उसके कार्यालय से हटाया जा सकता है।

PARMAR SSC

. **प्रथम न्यायाधीश मामला, 1982**

- 1982 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की गई थी।
- इस मामले को **एस.पी.गुप्ता केस या प्रथम न्यायाधीश केस के नाम से जाना जाता है** ।
- इस मामले की कार्यवाही के दौरान सर्वोच्च न्यायालय ने 2 प्रमुख बिंदुओं पर चर्चा की
- जब भारत के सर्वोच्च न्यायालय से पूछा गया कि क्या संवैधानिक अनुच्छेद 124 में "परामर्श" शब्द का अर्थ "सहमति" है; **सर्वोच्च न्यायालय ने इसे खारिज कर दिया और यह कहते हुए इनकार कर दिया कि परामर्श का अर्थ सहमति नहीं है** । राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के परामर्श के आधार पर निर्णय लेने के लिए बाध्य नहीं थे।
- इस मामले में चर्चा का एक अन्य महत्वपूर्ण बिन्दु वह हिस्सा था जहां सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उसकी इच्छा के विरुद्ध भी किसी राज्य के किसी अन्य उच्च न्यायालय में स्थानांतरित किया जा सकता है।

द्वितीय न्यायाधीश मामला, 1993

- **1993 में सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन (SCARA)** द्वारा एक और याचिका दायर की गई थी ।
- इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अपने पहले के फैसले को पलट दिया और परामर्श का अर्थ बदलकर सहमति कर दिया। इस प्रकार भारत के राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श के लिए बाध्य हो गए।
- इसके परिणामस्वरूप कॉलेजियम प्रणाली का जन्म हुआ।

थर्ड जजेज केस, 1998

- वर्ष 1998 में, संविधान के अनुच्छेद 124, 217 और 222 में परामर्श शब्द के अर्थ पर सवाल उठाते हुए राष्ट्रपति द्वारा सर्वोच्च न्यायालय को एक संदर्भ जारी किया गया था।
- परामर्श प्रक्रिया में केवल मुख्य न्यायाधीश ही शामिल नहीं होंगे। परामर्श में **सुप्रीम कोर्ट के 4 वरिष्ठतम न्यायाधीशों का कॉलेजियम शामिल होगा** । अगर 2 न्यायाधीश भी राय के खिलाफ हों, तो भी CJI सरकार को इसकी सिफारिश नहीं करेंगे।

(3) कोई व्यक्ति उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए तब तक योग्य नहीं होगा जब तक कि वह भारत का नागरिक न हो और-

(a) वह लगातार कम से कम 5 वर्षों तक किसी उच्च न्यायालय या ऐसे दो या अधिक न्यायालयों का न्यायाधीश रहा हो। या

(b) कम से कम 10 वर्षों तक किसी उच्च न्यायालय या ऐसे दो या अधिक न्यायालयों में लगातार वकील रहा हो। या

(c) राष्ट्रपति की नजरों में एक पारंगत विधिवेत्ता हो।

(4) दुर्व्यवहार के आधार पर सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाना या असमर्थता।

राष्ट्रपति का आदेश

→ सदन के प्रत्येक सदन के अभिभाषण द्वारा पारित

→ विशेष बहुमत (वर्तमान एवं मतदान का 2/3 भाग)

→ पदमुक्त / हटना

(5) संसद कानून द्वारा किसी संबोधन की प्रस्तुति और खंड (4) के तहत न्यायाधीश के दुर्व्यवहार या असमता की जांच और सबूत के लिए प्रक्रिया को विनियमित कर सकती है।

न्यायाधीश जांच अधिनियम - 1968

LS - 100
RS - 50 } 3 सदस्यीय समिति
↓
विशेष बहुमत

(6) प्रत्येक व्यक्ति जो सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किया जाता है।

→ राष्ट्रपति या उनके द्वारा नियुक्त व्यक्ति के समक्ष शपथ लेगा

फिर, अपने कार्यालय मे प्रवेश करेगा।

(7) कोई भी व्यक्ति जिसने सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रुप मे पद संभाला है, वह भारत के क्षेत्र के भीतर किसी भी अदालत मे या किसी प्राधिकारी के समक्ष दलील या कार्य नही करेगा।

अनुच्छेद 125: न्यायाधीशो के वेतन आदि।

(1) वेतन जैसा कि संसद द्वारा कानून द्वारा निर्धारित किया जा सकता है।

PARMAR SSC

② ऐसे विशेषाधिकारों और भत्तों का हकदार होगा जो समय-2 पर संसद द्वारा बनाये गये कानून के तहत निर्धारित किये जाएं।

अनुच्छेद 126 : कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति।

जब भारत के मुख्य न्यायाधीश का कार्यालय रिक्त होता है

↳ तब कर्तव्यों का पालन न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों में से एक द्वारा किया जायेगा।

(राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त)

अनुच्छेद 127 : तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति।

- यदि किसी भी समय उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का कोरम मौजूद नहीं है, तो CJI राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से और संबंधित HC के परामर्श के बाद विशिष्ट अवधि के लिए एक तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति कर सकते हैं।
- तदर्थ न्यायाधीश को SC के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने के लिए योग्य होना चाहिए।

तदर्थ: किसी विशेष प्रयोजन के लिए अचानक किया जाना / बनाना

अनुच्छेद 128 : उच्चतम न्यायालय की बैठकों में सेवानिवृत न्यायाधीशों की उपस्थिति।

भारत के मुख्य न्यायाधीश किसी भी समय, राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश का पद संभालने वाले किसी भी व्यक्ति को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में बैठने और कार्य करने का अनुरोध कर सकते हैं।

PARMAR SSC

अनुच्छेद 129: उच्चतम न्यायालय अभिलेख न्यायालय होगा।

सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय होगा और उसके पास ऐसे न्यायालय की सभी शक्तियाँ होंगी जिनमें स्वयं की अवमानना के लिए दंडित करने की शक्ति भी शामिल होगी।

अनुच्छेद 130: उच्चतम न्यायालय की सीट।

PARMAR SSC

सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली में या ऐसे अन्य स्थान या स्थानों पर बैठेगा जिसे भारत के मुख्य न्यायाधीश समय-समय पर राष्ट्रपति की मंजूरी से नियुक्त कर सकते हैं।

131(A): केंद्रीय कानूनों की संवैधानिक वैधता से संबंधित प्रश्नों के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय का विशेष क्षेत्राधिकार।

43 वां संविधान संशोधन अधिनियम 1977 द्वारा निरस्त

अनुच्छेद 132: कुछ मामलों में उच्च न्यायालय से अपील में सर्वोच्च न्यायालय का अपीलीय क्षेत्राधिकार।

भारत के क्षेत्र में उच्च न्यायालय के किसी भी फैसले, डिक्री या अंतिम आदेश के खिलाफ अपील सर्वोच्च न्यायालय में की जा सकती है, चाहे वह दीवानी, आपराधिक या अन्य कार्यवाही में हो।

अनुच्छेद 133: सिविल मामलों के संबंध में उच्च न्यायालय से अपील में सर्वोच्च न्यायालय का अपीलीय क्षेत्राधिकार।
(शादि, तलाक, संपत्ति)

PARMAR SSC

अनुच्छेद 134: आपराधिक मामलों के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय का अपीलीय क्षेत्राधिकार।
(मृत्यु , हत्या)

अनुच्छेद 135: मौजूदा कानून के तहत संघीय न्यायालय का क्षेत्राधिकार और शक्तियां सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रयोग की जायेगी।

अनुच्छेद 136: उच्चतम न्यायालय द्वारा अपील करने की विशेष अनुमति।

अनुच्छेद 137: सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्णयों या आदेशों की समीक्षा।

संसद द्वारा बनाए किसी कानून या अनुच्छेद 145 के अधीन बनाए गए किसी नियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए, सर्वोच्च न्यायालय को अपने द्वारा सुनाए गए किसी निर्णय या दिए गए आदेश का पुनरीक्षण करने की शक्ति होगी।

अनुच्छेद 138: सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार का विस्तार।
↳ संसद द्वारा

अनुच्छेद 139: सर्वोच्च न्यायालय को कुछ रिट जारी करने की शक्तियाँ प्रदान करना।

संसद विधि द्वारा सर्वोच्च न्यायालय को अनु० 32 के खंड (2) में उल्लिखित प्रयोजनों के अलावा किसी अन्य प्रयोजनों के लिए निर्देश, आदेश या रिट, जिनके अंतर्गत बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार-पृच्छा और उत्प्रेषण रिट या इनमें से कोई भी प्रकृति के रिट हैं, जारी करने की शक्ति प्रदान कर सकेगी।

PARMAR SSC

अनुच्छेद 140: सर्वोच्च न्यायालय की सहायक शक्तियां।

भारत के सर्वोच्च न्यायालय को अपने कर्तव्यों को प्रभावी ढंग से पूरा करने में मदद करने के लिए सहायक शक्तियाँ प्रदान करता है।

अनुच्छेद 141: सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित कानून सभी अदालतो पर बाध्यकारी है।

अनुच्छेद 142: उच्चतम न्यायालय की डिक्री और आदेशो का प्रवर्तन तथा खोज आदि के संबंध मे आदेश।

सर्वोच्च न्यायालय अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए ऐसी डिक्री पारित कर सकता है या ऐसा आदेश दे सकता है जो उसके समक्ष लंबित किसी मामले या केस में पूर्ण न्याय करने के लिए आवश्यक हो।

1984 - भोपाल गैस त्रासदी → यूनियन कार्बाइड
(मिथाईल आइसो सायनेट)

(शक्तियो का बटवारा) (Judicial activism)

अनुच्छेद 143: सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति।

यदि किसी भी समय राष्ट्रपति को यह प्रतीत होता है कि कानून या तथ्य का कोई प्रश्न उठ गया है, तो राष्ट्रपति उस पर सर्वोच्च न्यायालय की राय प्राप्त कर सकते है।

ग्रहण - कनाडा से

PARMAR SSC

राष्ट्रपति सलाह मानने के लिए बाध्य नहीं है।

अनुच्छेद 144: नागरिक और न्यायिक प्राधिकारियों को सर्वोच्च न्यायालय की सहायता के लिए कार्य करना।

124	125	126	127	128	129	130	131
SC	S	A	A	R	C	Seat	Offer
स्थापना	Salaries	acting Judges	Adhoc Judge	Retired Judge	Court of Record	Delhi as a seat of SC	OJ

132
133
134 } अपीलीय क्षेत्राधिकार

अनुच्छेद 145: न्यायालय का नियम आदि।

सर्वोच्च न्यायालय समय-समय पर, राष्ट्रपति की मंजूरी से, न्यायालय की कार्यप्रणाली और प्रक्रिया को सामान्यतः विनियमित करने के लिए नियम बना सकता है।

अनुच्छेद 146: अधिकारी और सेवक तथा उच्चतम न्यायालय के व्यय।

1. सर्वोच्च न्यायालय में अधिकारियों और सेवकों की नियुक्तियाँ भारत के मुख्य न्यायाधीश या न्यायालय के ऐसे अन्य न्यायाधीश या अधिकारी द्वारा की जाएगी, जैसा वह निर्देश दें।
2. सर्वोच्च न्यायालय के अधिकारियों और सेवकों की सेवा की शर्तें ऐसी होंगी जो भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा बनाए गए नियमों द्वारा निर्धारित की जा सकती हैं।
3. सर्वोच्च न्यायालय के प्रशासनिक व्यय, जिसमें न्यायालय के अधिकारियों और सेवकों को या उनके संबंध में देय सभी वेतन, भत्ते और पेंशन शामिल हैं, भारत की संचित निधि पर भारित किया जाएगा।

PARMAR SSC

अनुच्छेद 147 : अनुच्छेद 147 का सीमित उद्देश्य कानून के किसी भी महत्वपूर्ण प्रश्न के संबंध में संदर्भ को स्पष्ट करना है।

इसमें भारत सरकार अधिनियम 1935 के साथ- साथ संविधान की व्याख्या शामिल है।

अनुच्छेद 148 : भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक

PARMAR SSC

अनुच्छेद 149 : नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के कर्त्तव्य एवं शक्तियाँ।

अनुच्छेद 150 : संघ और राज्यों के खातों का प्रपत्र।

संघ & राज्यों के खाते ऐसे प्रारूप में रखे जायेंगे जो भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की सलाह पर राष्ट्रपति निर्धारित करें।

अनुच्छेद 151 : लेखापरीक्षा रिपोर्ट

(1) संघ के खातों से संबंधित भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपी जाएगी, जो उन्हें संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाएगा।

(2) किसी राज्य के खातों से संबंधित भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट राज्य के राज्यपाल 3*** को प्रस्तुत की जाएगी, जो उन्हें राज्य के विधानमंडल के समक्ष रखवाएगा।

- उच्चतम न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश- फातिमा बीवी
- मुख्य न्यायाधीश- X

इलाहाबाद- 1866

PARMAR SSC

PARMAR SSC

मूल बिंदु

- पहला उच्च न्यायालय - कलकत्ता - 1862
  बॉम्बे
  मद्रास
- HC की पहली महिला न्यायाधीश - अन्ना चांडी (केरल)
- HC की पहली मुख्य न्यायाधीश - लीला सेठ (हिमाचल)

कुल उच्च न्यायालय - 25

अनुच्छेद 214

उच्च न्यायालय की स्थापना / प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा

अनुच्छेद 215

उच्च न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होगा।

प्रत्येक उच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय होगा और उसके पास ऐसे न्यायालय की सभी शक्तियाँ होंगी जिनमें स्वयं की अवमानना के लिए दंडित करने की शक्ति भी शामिल होगी।

अनुच्छेद 216 : उच्चन्यायालयों का गठन।

प्रत्येक उच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश और ऐसे अन्यन्यायाधीश शामिल होंगे जिन्हे राष्ट्रपति समय-समय पर नियुक्त करना आवश्यक समझे।

→ 1 + 7

अनुच्छेद 217 : उच्चन्यायालय के प्रत्येक न्यायाधीश के पद की नियुक्ति एवं शर्तें।

उच्चन्यायालय के प्रत्येक न्यायाधीश को भारत के मुख्य न्यायाधीश, राज्य के राज्यपाल के परामर्श के बाद राष्ट्रपति द्वारा अपने हस्ताक्षर और मुहर के साथ वारंट द्वारा नियुक्त किया जाएगा।

(A) एक न्यायाधीश, राष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित पत्र द्वारा, अपना पद त्याग सकता है।

(B) सर्वोच्चन्यायालय के न्यायाधीश को हटाने के लिए अनु० 145 के खंड (4) में प्रदान किए गए तरीके से राष्ट्रपति द्वारा एक न्यायाधीश को हटाने उसके पद से हटाया जा सकता है।

→ साबित कदाचार / अक्षमता के आधार पर

(C) किसी न्यायाधीश का पद राष्ट्रपति द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किए जाने या राष्ट्रपति द्वारा भारत के क्षेत्र के भीतर किसी अन्य उच्चन्यायालय में स्थानांतरित किए जाने से रिक्त हो जाएगा।

(2) कोई व्यक्ति उच्चन्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए तब तक योग्य नहीं होगा जब तक कि वह भारत का नागरिक न हो और-

(A) कम से कम 10 वर्षों तक भारत के क्षेत्र में न्यायिक पद पर रहा / या

(B) कम से कम 10 वर्षों तक लगातार HC या दो या अधिक ऐसे न्यायालयों का वकील रहा हो।

PARMAR SSC

HC के न्यायाधीश के लिए अधिकतम उम्र - 62 वर्ष

③ यदि किसी HC के न्यायाधीश की आयु के संबंध में कोई प्रश्न उठता है, तो प्रश्न का निर्णय भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श के बाद राष्ट्रपति द्वारा किया जाएगा और राष्ट्रपति का निर्णय अंतिम होगा।

सर्वोच्च न्यायालय में उम्र → संसद

अनुच्छेद 218 :

उच्चतम न्यायालय से संबंधित कुछ प्रावधानों का HC पर लागू होना।

न्यायाधीश जांच अधिनियम- 1968

अनुच्छेद 219 :

उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान।

उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए नियुक्त प्रत्येक व्यक्ति, अपना पद ग्रहण करने से पहले, राज्य के राज्यपाल या उसके द्वारा इस संबंध में नियुक्त किसी व्यक्ति के समक्ष हस्ताक्षर करेगा।

अनुच्छेद 220 :

स्थायी न्यायाधीश होने के बाद अभ्यास पर प्रतिबंध।

कोई भी व्यक्ति, जिसने इस संविधान के प्रारंभ के बाद, HC के स्थायी न्यायाधीश के रूप में पद संभाला है, SC और अन्य उच्च न्यायालयों को छोड़कर भारत में किसी भी न्यायालय में या किसी प्राधिकारी के समक्ष दलील या कार्य नहीं करेगा।

अनुच्छेद 221 :

न्यायाधीशों के वेतन आदि।

संसद कानून द्वारा HC के न्यायाधीशों का वेतन निर्धारित कर सकती है।

PARMAR SSC

अनुच्छेद 222 : एक न्यायाधीश का एक उच्च न्यायालय से दूसरे HC में स्थानांतरण।

राष्ट्रपति, भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श के बाद.

अनुच्छेद 223 : कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति।

जब किसी HC के मुख्य न्यायाधीश का पद रिक्त हो या जब ऐसा कोई मुख्य न्यायाधीश, अनुपस्थिति के कारण या अन्यथा, अपने कार्यालय के कर्तव्यों का पालन करने में असमर्थ हो, तो कार्यालय के कर्तव्यों का पालन अन्य में से किसी एक द्वारा किया जाएगा। राष्ट्रपति के रूप में न्यायालय के न्यायाधीशों को इस उद्देश्य के लिए नियुक्त किया जा सकता है।

अनुच्छेद 224 : अतिरिक्त एवं कार्यवाहक न्यायाधीशों की नियुक्ति।

1. यदि किसी HC के कामकाज में किसी अस्थायी वृद्धि के कारण, राष्ट्रपति को यह प्रतीत होता है कि उस न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या कुछ समय के लिए बढ़ाई जानी चाहिए, तो राष्ट्रपति अतिरिक्त रूप से योग्य व्यक्तियों को नियुक्त कर सकता है न्यायालय के न्यायाधीश ऐसी अवधि के लिए, जो 2 वर्ष से अधिक न हो, जैसा कि वह निर्दिष्ट करे।

2. जब तक न्यायाधीश के अलावा किसी न्यायालय का कोई न्यायाधीश अनुपस्थिति के कारण या किसी अन्य कारण से अपने पद के कर्तव्यों का पालन करने में असमर्थ हो या उसे अस्थायी रूप से मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्य करने के लिए नियुक्त किया जाता है, तब राष्ट्रपति, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग के परामर्श से, किसी सम्यक् रूप से अर्हित व्यक्ति को उस न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में तब तक कार्य करने के लिए नियुक्त कर सकेगा, जब तक कि स्थायी न्यायाधीश अपना कार्यभार नहीं संभाल लेता है।

3. किसी HC के अपर या कार्यकारी न्यायाधीश के रूप में नियुक्त कोई भी व्यक्ति 62 वर्ष की आयु प्राप्त करने के पश्चात पद धारण नहीं करेगा।

PARMAR SSC

अनुच्छेद 224(ए) उच्च न्यायालयों की बैठकों में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की नियुक्ति।

अनुच्छेद 225 : मौजूदा उच्च न्यायालयों का क्षेत्राधिकार।

अनुच्छेद 226 : रिट जारी करने की उच्च न्यायालय की शक्ति।

226

उच्च न्यायालयों की कुछ रिट जारी करने की शक्ति

(1) अनुच्छेद 32 में किसी बात के होते हुए भी, प्रत्येक उच्च न्यायालय को उन राज्यक्षेत्रों में, जिनके संबंध में वह अधिकारिता का प्रयोग करता है, सर्वत्र किसी व्यक्ति या प्राधिकारी को, समुचित मामलों में किसी सरकार को, भाग 3 द्वारा प्रदत्त अधिकारों में से किसी को प्रवर्तित करने के लिए और किसी अन्य प्रयोजन के लिए उन राज्यक्षेत्रों के भीतर निदेश, आदेश या रिट, जिनके अंतर्गत बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार पृच्छा और उत्प्रेषण रिट या उनमें से कोई रिट है, जारी करने की शक्ति होगी।

(2) किसी सरकार, प्राधिकरण या व्यक्ति को निर्देश, आदेश या रिट जारी करने की खंड (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग ऐसे राज्यक्षेत्रों के संबंध में अधिकारिता का प्रयोग करने वाले किसी उच्च न्यायालय द्वारा भी किया जा सकेगा, जिनके भीतर ऐसी शक्ति के प्रयोग के लिए वाद का हेतुक पूर्णतः या भागतः उत्पन्न होता है, भले ही ऐसी सरकार या प्राधिकरण का मुख्यालय या ऐसे व्यक्ति का निवास उन राज्यक्षेत्रों के भीतर न हो।

(3) जहां कोई पक्षकार जिसके विरुद्ध खंड (1) के अधीन याचिका पर या उससे संबंधित किसी कार्यवाही में, चाहे निषेधाज्ञा या स्थगन के रूप में या किसी अन्य रीति से, कोई अंतरिम आदेश दिया गया है, बिना-

(क) ऐसे पक्षकार को ऐसी याचिका की प्रतियां तथा ऐसे अन्तरिम आदेश के लिए दलील के समर्थन में सभी दस्तावेज उपलब्ध कराना; तथा

(ख) ऐसे पक्षकार को सुनवाई का अवसर देकर,

ऐसे आदेश को निरस्त करने के लिए उच्च न्यायालय में आवेदन करता है और ऐसे आवेदन की एक प्रति उस पक्षकार को, जिसके पक्ष में ऐसा आदेश किया गया है, या ऐसे पक्षकार के वकील को देता है, वहां उच्च न्यायालय उस आवेदन को, उसके प्राप्त होने की तारीख से या ऐसे आवेदन की प्रति इस प्रकार दी जाने की तारीख से, जो भी बाद में हो, दो सप्ताह की अवधि के भीतर निपटाएगा, या जहां उच्च न्यायालय उस अवधि के अंतिम दिन बंद हो, वहां उसके पश्चात् अगले दिन की समाप्ति के पूर्व, जिसको उच्च न्यायालय खुला हो; और यदि आवेदन का इस प्रकार निपटारा नहीं किया जाता है, तो अंतरिम आदेश, यथास्थिति, उस अवधि की समाप्ति पर या उक्त अगले दिन की समाप्ति पर निरस्त हो जाएगा।

(4) इस अनुच्छेद द्वारा उच्च न्यायालय को प्रदत्त शक्ति, अनुच्छेद 32 के खंड (2) द्वारा उच्चतम न्यायालय को प्रदत्त शक्ति के अल्पीकरण में नहीं होगी।

PARMAR SSC

अनुच्छेद 227 : उच्च न्यायालय द्वारा सभी न्यायालयों पर अधीक्षण की शक्ति।

अनुच्छेद 228 : कुछ मामलों को उच्च न्यायालय में स्थानांतरित करना।

अनुच्छेद 229 : उच्च न्यायालयों के अधिकारी और सेवक तथा व्यय।

अनुच्छेद 230 : उच्च न्यायालयों की अधिकारिता का संघ राज्यक्षेत्रों पर विस्तार।

संसद कानून द्वारा HC के क्षेत्राधिकार को किसी केंद्रशासित प्रदेश तक बढ़ा सकती है, या किसी HC के क्षेत्राधिकार को बाहर कर सकती है।

A & N → कलकत्ता HC
दादर नगर हवेली → महाराष्ट्र
चंडीगढ़ → पंजाब & हरियाणा
लक्षद्वीप → कोच्ची (केरल)
पुदुचेरी → मद्रास HC (TN)
J&K → लद्दाख

अनुच्छेद 231 : दो या दो से अधिक राज्यों का एक उच्च न्यायालय।
(7 वां संविधान संशोधन) 1956

महाराष्ट्र & गोवा → महाराष्ट्र

अरुणाचल & नागालैंड & मिजोरम & असम → गुवाहाटी

N	H	R	C
	214	215	216
X	HC	Court of Record	Constitution

A	A	O	R	E	S	T
217	218	219	220	~~221~~	221	222
Appoint-ment	application of certain provisions	Oath	Restriction	X	Salary	Transfer

PARMAR SSC

" अधीनस्थ न्यायालय "

भाग - 6

अनुच्छेद 233 : जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति।

1. किसी राज्य में जिला न्यायाधीश नियुक्त होने वाले व्यक्तियों की नियुक्ति तथा जिला न्यायाधीश की पदस्थापना और प्रोन्नति उस राज्य का राज्यपाल ऐसे राज्य के संबंध में अधिकारिता का प्रयोग करने वाले HC से परामर्श करके करेगा।

(2) वह व्यक्ति, जो संघ की या राज्य की सेवा में पहले से नहीं है, जिला न्यायाधीश नियुक्त होने के पहले लिए केवल तभी पात्र होगा जब वह कम से कम 7 वर्ष तक अधिवक्ता या लीडर रहा हो और उसकी नियुक्ति के लिए HC ने सिफारिश की है।

233(A) : कुछ जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति और उनके द्वारा दिए गए निर्णयों आदि का सत्यापन।

अनुच्छेद 234 : न्यायिक सेवा में जिला न्यायाधीशों के अलावा अन्य व्यक्तियों की भर्ती।

किसी राज्य की न्यायिक सेवा में जिला न्यायाधीशों से भिन्न व्यक्तियों की नियुक्तियां उस राज्य के राज्यपाल द्वारा राज्य लोक सेवा आयोग और ऐसे राज्य के संबंध में अधिकारिता का प्रयोग करने वाले उच्च न्यायालय से परामर्श के पश्चात उस निमित्त उसके द्वारा बनाए गए नियमों के अनुसार की जाएगी।

PARMAR SSC

अनुच्छेद 235 : अधीनस्थ न्यायालयों पर नियंत्रण।

जिला न्यायालयों और उनके अधीनस्थ न्यायालयों का नियंत्रण, जिसके अंतर्गत राज्य की न्यायिक सेवा के व्यक्तियों और जिला न्यायाधीश के पद से अवर किसी पद को धारण करने वाले व्यक्तियों की पद स्थापना, प्रोन्नति और उनको छुट्टी देना, उच्चन्यायालय में निहित होगा।

PARMAR SSC

"स्थानीय सरकार"

पंचायत & नगरपालिका

अनु० [243 - 243(O)] (243P - 243 ZG)

अनु० 40 : राजस्थान - नागौर - 2 अक्टूबर 1959

73 वां संविधान संशोधन ·

पंचायती राज संस्थाओं का विकास :

प्रमुख समितियाँ :

बलवंत राय मेहता समिति : 1957

3 स्तरीय
- ग्राम पंचायत
- पंचायत समिति
- जिला पंचायत

राजस्थान का नागौर - 1st
2 अक्टूबर 1959

अशोक मेहता समिति : 1977

द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था

जी वीके राव समिति, 1985 : पंचायती और नगरपालिकाओं के कामकाज के संबंध में संविधान के कामकाज की समीक्षा की।

एल. एम. सिंघवी समिति : 1986

सिफारिश की गई कि पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक रूप से मान्यता, सुरक्षा और संरक्षण दिया जाना चाहिए।

PARMAR SSC

4. थुंगन समिति, 1988

5. गाडगिल समिति, 1988

73 वां संविधान संशोधन 1992 ‘11 वीं अनुसूची’
 └ भाग-9 └ 29 विषय

लागू- 24 अप्रैल 1993
 └ पंचायती राज दिवस (2010 से) अनु० - 243 - 243(O)

राष्ट्रीय मतदाता दिवस- 25 जनवरी (ECI का गठन)

74 वां संविधान संशोधन → नगरपालिकाओं का गठन
 pm- PV नरसिम्हा राव

‘12 वी अनुसूची’
 └ 18 विषय

भाग- 9(A) अनु०- 243(P) - 243 ZG

अनुच्छेद 243 : परिभाषा

- ग्राम सभा : ग्राम सभा का अर्थ है ग्राम स्तर पर पंचायत के क्षेत्र मे शामिल गांव से संबंधित मतदाता सूची में पंजीकृत व्यक्तियों से बनी एक संस्था।

- मध्यवर्ती स्तर : राज्यपाल द्वारा निर्दिष्ट ग्राम और जिला स्तरों के बीच का एक स्तर।
- पंचायत: ग्रामीण क्षेत्रों के लिए अनुच्छेद 243(B) के तहत गठित स्वशासन की एक संस्था।
- पंचायत क्षेत्र: इसका तात्पर्य पंचायत के प्रादेशिक क्षेत्र से है।

PARMAR SSC

अनुच्छेद 243(A): ग्राम सभा

एक ग्राम सभा ऐसी शक्तियों का प्रयोग कर सकती है और ग्राम स्तर पर ऐसे कार्य कर सकती है जो राज्य का विधानमंडल कानून द्वारा प्रदान कर सकता है।

अनुच्छेद 243(B): पंचायतों का गठन

(1) इस भाग के प्रावधानों के अनुसार प्रत्येक राज्य मे ग्राम, मध्यवर्ती और जिला स्तर पर पंचायतों का गठन किया जायेगा।

जिला पंचायत > पंचायत समिति > ग्राम पंचायत

- अगर जनसंख्या 20 लाख से कम है - 2 स्तरीय → पंचायत समिति ×

(2)

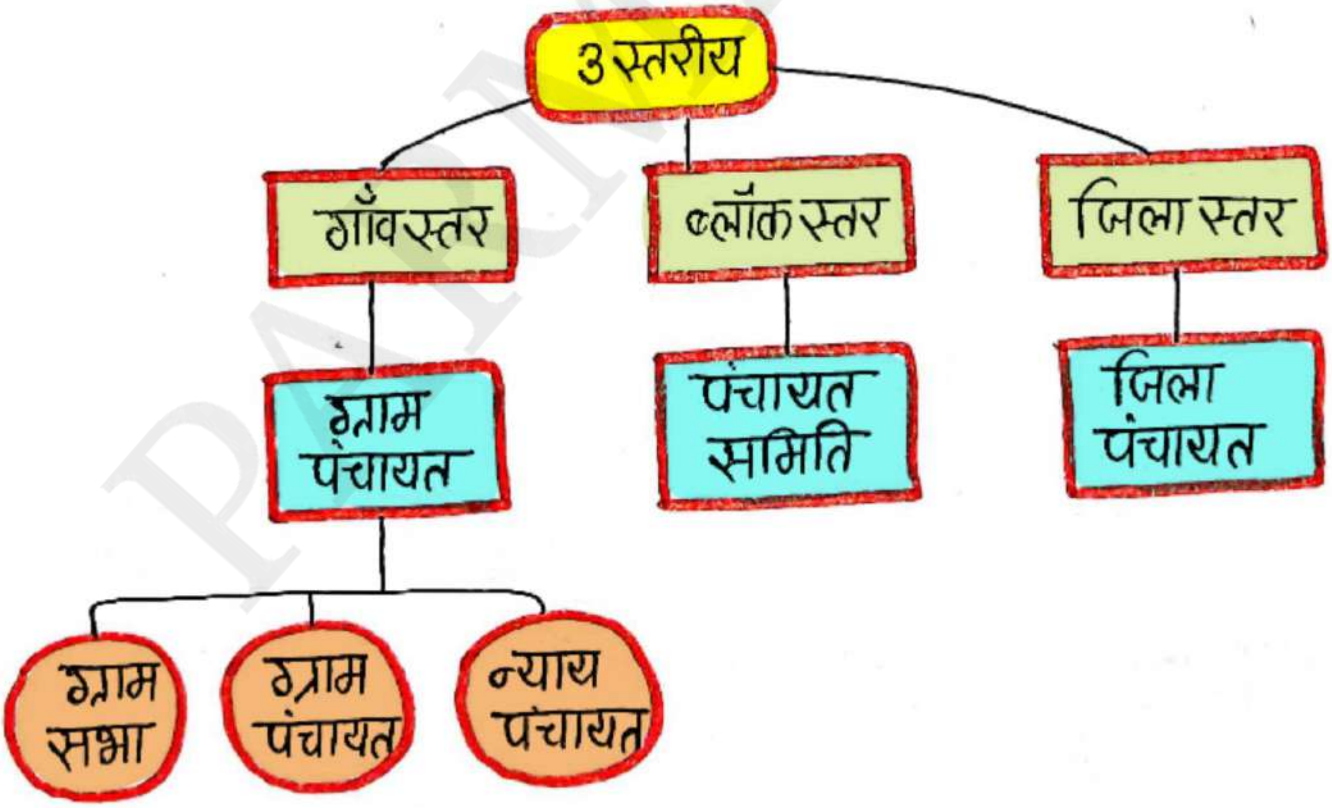

अनुच्छेद 243(C): पंचायतो की संरचना

किसी राज्य का विधानमंडल, कानून द्वारा, पंचायतों की संरचना के संबंध में प्रावधान कर सकता है।

1. पंचायत की सभी सीटे प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा चुने गये व्यक्तियो से भरी जायेगी।
2. ग्राम स्तर पर पंचायत अध्यक्ष का चुनाव, राज्य विधानमंडल द्वारा बनाये गये कानून द्वारा किया जायेगा।

अध्यक्ष ←
- जिला } अप्रत्यक्ष चुनाव
- मध्यवर्ती } अप्रत्यक्ष चुनाव
- गाँव → प्रत्यक्ष / अप्रत्यक्ष

अनुच्छेद 243(D): सीटो का आरक्षण

1. सीटे इनके लिये आरक्षित होगी-
   1. अनुसूचित जाति
   2. प्रत्येक पंचायत मे ST को उस पंचायत मे प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा भरी जाने वाली सीटो की कुल संख्या के अनुपात मे रखा जाता है।
2. प्रत्येक पंचायत मे प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा भरी जाने वाली सीटो की कुल सं० मे कम-से-कम 1/3 (SC+ST महिला सहित) सीटे महिलाओ के लिए आरक्षित होगी।
3. गांव / किसी अन्य स्तर पर पंचायतो मे अध्यक्षो के पद SC, ST & महिलाओ के लिये राज्य विधानमंडल कानून द्वारा आरक्षित किये जायेगे।

PARMAR SSC

3. पंचायत के गठन हेतु चुनाव सम्पन्न कराया जायेगा।

(A) खंड (1) में निर्दिष्ट इसकी अवधि की समाप्ति से पहले।

(B) इसके विघटन की तारीख से 6 महीने की अवधि की समाप्ति से पहले।

अनुच्छेद 243(E): पंचायतों की अवधि।

1. पहली बैठक के लिए नियुक्त तिथि से 5 साल तक

4. किसी पंचायत की अवधि समाप्त होने से पहले उसके विघटन पर गठित पंचायत केवल उस शेष अवधि के लिए जारी रहेगी, जिसके लिए विघटित पंचायत जारी रहेगी।

→ विघटित करने की शक्ति- जिला परिषद
└→ राज्य सरकार

अनुच्छेद 243-F : सदस्यता के लिए अयोग्यताएँ

अयोग्यताएँ :

1(A): व्यक्ति संबंधित राज्य के विधानमण्डल के चुनावों के प्रयोजनों के लिए उस समय लागू किसी कानून द्वारा या उसके तहत अयोग्य घोषित किया गया है: बशर्ते कि कोई भी व्यक्ति इस आधार पर अयोग्य नहीं ठहराया जायेगा कि वह 25 वर्ष से कम उम्र का है, यदि वह 21 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुका है।

1(b): यदि वह राज्य के विधानमंडल द्वारा बनाये गये किसी कानून के तहत या उसके तहत अयोग्य है।

→ राज्य विधानमण्डल द्वारा निर्धारित की गई ऑथोरिटी द्वारा अयोग्तायें निर्धारित की जायेगी।

PARMAR SSC

अनुच्छेद 243-G : पंचायतों की शक्तियाँ, प्राधिकार एवं उत्तरदायित्व

(A) आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के लिए योजनाओं की तैयारी।

(B) ग्यारहवीं अनुसूची में सूचीबद्ध मामलों सहित आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के लिए उन्हें सौंपी गई योजनाओं का कार्यान्वयन।

राज्य विधानमण्डल ⟶ पंचायतों की शक्तियाँ
↓
स्वशासन की संस्थाओं के रूप में कार्य करने में सक्षम बनाने के लिए आवश्यक

अनुच्छेद 243-H : पंचायतों द्वारा और उनकी निधियों पर कर लगाने की शक्तियाँ

किसी राज्य का विधानमंडल कानून द्वारा-

किसी पंचायत को ऐसी प्रक्रिया के अनुसार और ऐसी सीमाओं के अधीन ऐसे करों, शुल्कों, टोल और फीस को लगाने, एकत्र करने और उचित करने के लिए अधिकृत करना।

अनुच्छेद 243-I : वित्तीय स्थिति की समीक्षा हेतु वित्त आयोग का गठन

राज्यपाल ⟶ वित्त आयोग का गठन

73 वां संविधान संशोधन
1992
1 वर्ष के भीतर (हर 5 वें वर्ष की समाप्ति पर)

PARMAR SSC

अनुच्छेद 243-J : पंचायतों के खातों की लेखापरीक्षा

किसी राज्य का विधानमंडल, कानून द्वारा, पंचायतों द्वारा खातों के रखरखाव और ऐसे खातों की लेखापरीक्षा के संबंध में प्रावधान कर सकता है।

अनुच्छेद 243-K : पंचायतों के चुनाव → राज्य चुनाव आयोग
नियुक्ति- राज्यपाल

(1) पंचायतों के सभी चुनाव राज्य चुनाव आयोग में निहित होंगे जिसमें राज्यपाल द्वारा नियुक्त राज्य चुनाव आयुक्त शामिल होगा।

(2) राज्य चुनाव आयुक्त की सेवा की शर्तें और कार्यालय का कार्यकाल ऐसा होगा जैसा कि राज्यपाल नियम द्वारा निर्धारित कर सकते हैं।

पद से हटाना- HC के जज की भाँति
↳ (अयोग्यता & कदाचार)

अनुच्छेद 243-L : केन्द्र शासित प्रदेशों के लिए आवेदन।

इसमें कहा गया है कि संविधान के भाग IX के प्रावधान, जो पंचायतों से संबंधित हैं, कुछ संशोधनों और अपवादों के साथ केंद्र शासित प्रदेशों पर लागू होंगे।

हालांकि प्रत्येक केंद्रशासित प्रदेश के लिए सटीक संशोधन और अपवाद अलग-अलग हो सकते हैं, लेकिन कुछ सामान्य प्रावधान हैं जो आम तौर पर लागू होते हैं। इसमें शामिल हैं:

1. SC & ST के लिए पंचायतों में सीटों की संख्या और उनका संरक्षण।
2. पंचायतों की सदस्यता हेतु योग्यता।
3. पंचायतों की शक्तियाँ एवं कार्य।
4. पंचायत के कार्यकाल की अवधि।
5. पंचायतों की सदस्यता के लिए अयोग्यताएँ।

अनुच्छेद 243.M : भाग का कतिपय क्षेत्रों पर लागू न होना।

1. इस भाग की कोई भी बात अनुच्छेद 244 के खंड (1) में निर्दिष्ट अनुसूचित क्षेत्रों और खंड (2) में निर्दिष्ट आदिवासी क्षेत्रों पर लागू नहीं होगी।

2. इस भाग में कुछ भी लागू नहीं होगा -

(a) नागालैंड, मेघालय और मिजोरम राज्य

(b) मणिपुर राज्य के पहाड़ी क्षेत्र जिनके लिए जिला परिषदें वर्तमान में लागू किसी भी कानून के तहत मौजूद हैं।

नागालैण्ड, मेघालय, मिजोरम → पंचायती राज (×)

दिल्ली को छोड़कर बाकी सभी UTs में पंचायती राज मौजूद।

अनुच्छेद 243 N : मौजूदा कानून और पंचायतों का जारी रहना।

ऐसे प्रारंभ से ठीक पहले विद्यमान सभी पंचायतें अपनी अवधि की समाप्ति तक जारी रहेंगी, जब तक कि उस राज्य की विधान सभा द्वारा इस आशय के प्रस्ताव को पारित करके जल्दी ही भंग न कर दिया जाए।

अनुच्छेद 243 O : चुनावी मामलों में अदालतों के हस्तक्षेप पर रोक।

(A) अनु० 243 K के तहत निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन या ऐसे निर्वाचन क्षेत्रों में सीटों के आवंटन से संबंधित किसी भी कानून की वैधता पर किसी भी अदालत में सवाल नहीं उठाया जाएगा।

(B) किसी भी पंचायत के किसी भी चुनाव को ऐसे प्राधिकारी को प्रस्तुत की गई चुनाव याचिका के अलावा और उस तरीके से प्रश्न में नहीं बुलाया जाएगा जैसा कि किसी राज्य के विधानमंडल द्वारा बनाए गए किसी कानून के तहत या उसके तहत प्रदान किया गया।

पेसा (PESA) अधिनियम 1996 :

PESA 1996 → Panchayat extension to scheduled areas
पंचायत उपबंध (अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार)

पंचायत से संबंधित भाग 9 के प्रावधान 5 वीं अनुसूचित क्षेत्रों पर लागू नहीं होते हैं।

संसद कुछ संशोधनों के अधीन इन प्रावधानों को ऐसे क्षेत्रों तक बढ़ा सकती है।

भूरिया समिति की सिफारिशें :

इसने अनुसूचित क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए जनजातीय स्वशासन सुनिश्चित करने के लिए ग्राम सभा को पूर्ण शक्तियाँ प्रदान की।

PARMAR SSC

नगरपालिकाएँ

भाग - 9(A)

शहरी स्थानीय सरकार

अनु० : 243 P - 243 ZG

अनुसूची - 12 → 18 विषय

74 वां संविधान संशोधन

- 1687-88 : मद्रास में नगर निगम की स्थापना।
- मेयो संकल्प 1870 - वित्तीय विकेन्द्रीकरण
- रिपन संकल्प 1882 - स्थानीय स्वशासन का मैग्नाकार्टा
  - ↳ स्थानीय स्वशासन के पिता
- स्थानीय स्वशासन - भारत शासन अधिनियम 1935 → प्रांतीय विषय

शहरी स्थानीय शासन - ⑧ प्रकार की

नगर निगम, नगरपालिका (MoHUA), अधिसूचित क्षेत्र समिति, टाउन एरिया समिति, छावनी बोर्ड (Mo defence), टाउनशिप, पोर्ट ट्रस्ट (MoHA) & विशेष उद्देश्य एजेंसी।

नगर पालिकाओं के 3 प्रकार:

- नगर पंचायत: एक संक्रमणकालीन क्षेत्र के लिए।
- नगर परिषद: छोटे शहरों के लिए।
- नगर निगम: बड़े शहरी क्षेत्र के लिए।

" राज्य चुनाव आयोग द्वारा चुनाव "

सभी सीटें प्रत्यक्ष चुनाव से भरी जाती हैं।

RMARSSC

" निकाय "

- संवैधानिक → संविधान में उल्लेख (अनुच्छेद)
- वैधानिक → कानून / विधि द्वारा स्थापित
  - NHRC
  - NCW
  - अल्पसंख्यक आयोग
- गैर-वैधानिक → कार्यकारिणी द्वारा → नीति आयोग

Constitutional Bodies

- Election Commission
- UPSC
- SPSC
- Finance Commission
- GST Council
- National Commission for SC's
- National Commission for ST's
- National Commission for BC's
- Special officer for linguistics minorities
- CAG
- Attorney General
- Advocate General

PARMAR SSC

" चुनाव आयोग "

भाग : 15

अनुच्छेद : 324 - 329

स्थायी और स्वतंत्र निकाय

पंचायतो & नगर पालिकाओं का चुनाव → राज्य चुनाव आयोग (243-K)

25 जनवरी 1950 : मतदाता दिवस

चुनाव आयोग → लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, राज्य विधानमण्डल, उपराष्ट्रपति

संरचना : मुख्य चुनाव आयुक्त + 2 अन्य चुनाव आयोग

मूलत: एकल सदस्यीय निकाय

- राष्ट्रपति द्वारा चुनाव
- राष्ट्रपति के प्रसादपर्यंत
- पदकाल : 6 वर्ष या 65 वर्ष उम्र (संविधान में उल्लेख नहीं)
- वेतन = उच्चतम न्यायालय के जज के समान

शक्ति & कार्य

- प्रशासनिक
- सलाहकार
- अर्ध-न्यायिक

PARMAR SSC

अनुच्छेद 324: चुनावों का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण चुनाव आयोग में निहित होगा।

अनुच्छेद 325: कोई भी व्यक्ति धर्म, जाति, लिंग के आधार पर किसी विशेष मतदाता सूची में शामिल होने या शामिल होने का दावा करने के लिए आयोग्य नहीं होगा।

अनुच्छेद 326: लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम

अनुच्छेद 327: विधानमंडलों के चुनाव के संबंध में प्रावधान करने की संसद की शक्ति।

अनुच्छेद 328: किसी राज्य के विधामंडल की ऐसे विधानमंडल के लिए चुनाव के संबंध में प्रावधान करने की शक्ति।

अनुच्छेद 329: चुनावी मामलों में अदालतों के हस्तक्षेप पर रोक।

- 61 वां संविधान संशोधन 1988, मतदान की उम्र घटाई गई।

  21वर्ष → 18वर्ष

- 1989 → चुनाव आयोग बहु सदस्यीय संस्था बनी।
- हटाने की प्रक्रिया: उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की भाँति
- पहले मुख्य चुनाव आयोग: सुकुमार सेन

UPSC: संघ लोक सेवा आयोग

- अनुच्छेद: 315 - 323 (भाग 14)
- वर्तमान अध्यक्ष- प्रीति सुदान
- स्वतंत्र संवैधानिक निकाय

संरचना : राष्ट्रपति के विवेकानुसार, इसमें आमतौर पर अध्यक्ष सहित 11 सदस्य होते हैं। (संविधान में उल्लेखित नहीं)

- योग्यता : आधे सदस्यों को छोड़कर किसी भी योग्यता का उल्लेख नहीं किया गया है, उन्हे कम से कम 10 वर्षों तक सरकारी पद पर रहना होगा।
- अवधि : 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु।
- भारत में 'वॉच डॉग ऑफ मेरिट सिस्टम' के रूप में जाना जाता है।
- भर्ती : अखिल भारतीय सेवाएँ और केंद्रीय सेवाएँ: समूह A & समूह B

अनुच्छेद 315: संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग

अनुच्छेद 316: सदस्यों की नियुक्ति एवं कार्यकाल

अनुच्छेद 317: लोक सेवा आयोग के किसी सदस्य को हटाया जाना और निलंबित किया जाना।

राष्ट्रपति हटाते हैं।

1. दिवालिया
2. अगर वह सवैतनिक रोजगार (paid employment) में लगा हो।
3. अस्वस्थ मन (unsound mind)
4. दुराचार (SC द्वारा हटाना)

अनुच्छेद - 318: आयोग के सदस्यों और कर्मचारियों की सेवा शर्तों के संबंध में नियम बनाने की शक्ति।

UPSC → राष्ट्रपति
JPSC →

SPSC → राज्यपाल

PARMAR SSC

अनुच्छेद 319: सदस्य न रहने पर आयोग के सदस्यों द्वारा पद धारण करने पर प्रतिषेध।

भारत सरकार मे कोई पद धारण नही कर सकते।

अनुच्छेद 320: लोक सेवा आयोग के कार्य।

परीक्षा करवाना (CSE, CDS, CAPF etc.)

अनुच्छेद 321: लोक सेवा आयोगों के कार्यों का विस्तार करने की शक्ति।

संसद द्वारा

अनुच्छेद 322: लोक सेवा आयोगों के व्यय

भारत के संचित निधि से

अनुच्छेद 323: लोक सेवा आयोगो की रिपोर्ट

UPSC → राष्ट्रपति

SPSC → राज्यपाल

JPSC → "

राज्य लोक सेवा आयोग:

- अनुच्छेद: 315 - 323 (भाग 14)
- स्वतंत्र संवैधानिक निकाय

संरचना: राज्यपाल के विवेकानुसार, इसमें आमतौर पर अध्यक्ष सहित 11 सदस्य होते हैं। (संविधान में उल्लेखित नहीं)

PARMAR SSC

- योग्यता : आधे सदस्यों को छोड़कर किसी भी योग्यता का उल्लेख नहीं किया गया है, उन्हे कम से कम 10 वर्षो तक सरकारी पद पर रहना होगा।
- अवधि : 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु।
- भर्ती : राज्य सेवाएँ।

वित्त आयोग :

अनुच्छेद 280

अर्ध न्यायिक निकाय

संरचना : अध्यक्ष & 4 अन्य सदस्य

- प्रत्येक 5 वर्ष में राष्ट्रपति द्वारा गठित।
- योग्यता
  - अध्यक्ष
  - 4 अन्य सदस्य

- अध्यक्ष को सार्वजनिक मामलो मे अनुभव रखने वाला व्यक्ति होना चाहिए।

चार अन्य सदस्यों को निम्नलिखित मे से चुना जाना चाहिए-

1. एक उच्च न्यायालय का जज हो।
2. एक व्यक्ति जिसे वित्त और अकांउट की विशिष्ट ज्ञान हो।
3. ,, ,, ,, आर्थिक एवं वित्तीय मामलो का विशिष्ट ज्ञान हो।

वित्त आयोग से संबंधित लेख :

अनुच्छेद 280 : वित्त आयोग

PARMAR SSC

अनुच्छेद 281 : वित्त आयोग की सिफारिशें।
↓ President
मानने के लिए बाध्य नही।

- यह केंद्र और राज्यों के बीच साझा किए जाने वाले करों की शुद्ध आय पर राष्ट्रपति को सिफारिशें करता है।
- पंचायतों और नगर पालिका के संसाधनों के पूरक के लिए एक राज्य की समेकित निधि को बढ़ाने के लिए आवश्यक उपाय।

16 वां वित्त आयोग :

अध्यक्ष - अरविंद पनगढ़िया

- श्री अजय नारायण झा
- श्रीमती एनी जॉर्ज मैथ्यू
- डॉ. मनोज पांडा

} पूर्णकालिक सदस्य

- डॉ. सौम्या कांति घोष → अंशकालिक सदस्य

पहला वित्त आयोग : 1951, अध्यक्ष- के सी नियोगी

14 वॉं - वाई. वी. रेड्डी
15 वॉं - एन. के. सिंह

GST परिषद :

- 101 वें संविधान संशोधन 2016 द्वारा जोड़ा गया।

PARMAR SSC

- संविधान में एक नया अनुच्छेद 279 A जोड़ा गया।
- केंद्रीय राजस्व सचिव परिषद के पदेन सचिव के रूप में कार्य करते हैं।

संघटन

केंद्र एवं राज्य का संयुक्त मंच

- अध्यक्ष के रूप में केंद्रीय वित्त मंत्री → निर्मला सीतारमण
- राजस्व या वित्त के प्रभारी केंद्रीय राज्य मंत्री
- वित्त या कराधान के प्रभारी मंत्री या प्रत्येक राज्य सरकार द्वारा नामित कोई अन्य मंत्री।

SC & ST के लिए राष्ट्रीय आयोग :

अनुच्छेद 338(SC) & 338A(ST)

संवैधानिक निकाय

संरचना
- अध्यक्ष
- उपाध्यक्ष
- 3 अन्य सदस्य

} राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त

SC & ST के लिए राष्ट्रीय आयोग :

89 वां संविधान संशोधन

- राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग (अनु० 338 के तहत)
- राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (अनु० 338-A के तहत)

65 वां संविधान संशोधन - officers → आयोग

[338 - विशिष्ट अधिकारी (SC & ST के लिए)]

पिछड़ा वर्ग के लिए राष्ट्रीय आयोग :

- राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना 1993 में की गई थी।

मंडल मामला, 1992

उच्चतम न्यायालय ने केंद्र सरकार को पिछड़ा वर्ग के लिए एक स्थायी वैधानिक निकाय गठित करने का निर्देश दिया।

2018 के 102वें संशोधन अधिनियम ने संवैधानिक दर्जा प्रदान किया।

संशोधन द्वारा संविधान में एक नया अनुच्छेद 338 B शामिल किया गया।

मूलत:- वैधानिक

भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकारी:

राज्य पुनर्गठन आयोग ने भाषाई अल्पसंख्यक के लिए विशेष अधिकारी रखने की सिफारिश की।

→ पहला राज्य - आंध्रप्रदेश

7वें संशोधन ने संवैधानिक दर्जा प्रदान किया

भाग 17 में नया अनु० 350 B जोड़ा गया।

भाग 17 - राजभाषा

भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकारी। उनकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है।

अनु. 350(A): प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाएं

नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक:

→ 1919 में बनाया गया।

अनुच्छेद - 148-151 'एक सदस्यीय निकाय'

- सार्वजनिक धन का संरक्षक होता है।
- राज्य सरकारों के आय-व्यय की देखरेख करता है।
- राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त।

PARMAR SSC

- कार्यकाल - 6 साल या 65 वर्ष की उम्र
- सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की भांति इसको पद से हटाना।
- यह पुनः नियुक्ति के लिए योग्य नही है।
- इसका वेतन एवं अन्य सेवा शर्तें संसद द्वारा निर्धारित।

CAG से संबंधित अनुच्छेद :

अनुच्छेद 148 : भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक।

अनुच्छेद 149 : CAG की प्रक्रिया एवं कर्तव्य -

→ भारत तथा प्रत्येक राज्य/संघ की संचित निधि से किये गये सभी व्यय विधि के अधीन ही हुये है यह इस बात की संपरीक्षा करता है।

→ यह किसी भी कर या शुल्क की शुद्ध आय का पता लगाता है और प्रमाणित करता है।

→ यह राज्य सरकार के खातो का संकलन और रखरखाव करता है।

अनुच्छेद 150 : संघ और राज्यो के लेखाओ को ऐसे प्रारुप मे रखा जायेगा जो राष्ट्रपति, भारत के CAJ से परामर्श के पश्चात विहित करे।

अनुच्छेद 151 : लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (audit Report) → राष्ट्रपति

भारत के महान्यायवादी (AGI)

महान्यायवादी

देश का सर्वोच्च कानूनी अधिकारी

- राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त
- सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने के लिए योग्य
- अवधि- संविधान में तय नहीं
- महान्यायवादी की सहायता के लिए सॉलिसिटर जनरल का पद सृजित किया गया। → संवैधानिक निकाय नहीं
- राष्ट्रपति द्वारा भेजे गए ऐसे कानूनी मामलों पर सरकार को सलाह देता है।

अनुच्छेद 76

महाधिवक्ता

राज्य का सबसे बड़ा विधि अधिकारी

- राज्यपाल द्वारा नियुक्त
- उच्च न्यायालय का जज बनने योग्य
- कार्यकाल: संविधान द्वारा निर्धारित नहीं। राज्यपाल द्वारा किसी भी समय हटाया जा सकता है।
- राज्यपाल द्वारा उसे भेजे गए ऐसे कानूनी मामलों पर सरकार को सलाह देता है।

गैर संवैधानिक निकाय :

NHRC - राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग

- मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993
- अध्यक्ष + 5 अन्य सदस्य (पूर्णकालिक सदस्य)
  - ↳ सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश
- प्रथम - रंगनाथ मिश्रा
- वर्तमान - अरुण कुमार मिश्रा

कार्यकाल - 3 साल या 70 साल की उम्र

- 6 सदस्यीय समिति की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त
- केंद्र / राज्य सरकार के तहत आगे के रोजगार के लिए पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र नहीं /

SHRC : राज्य मानवाधिकार आयोग

- मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम , 1993 के तहत 1993 में स्थापित
- इसमें अध्यक्ष & 5 पूर्णकालिक सदस्य शामिल हैं।
- नियुक्ति - 6 सदस्यीय समिति की सिफारिश पर राज्यपाल द्वारा।
- राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है।
- कार्यकाल - 3 वर्ष या 70 वर्ष की आयु

मुख्य सूचना आयुक्त :

- 2005 में केंद्र सरकार द्वारा स्थापित।
- इसका गठन सूचना का अधिकार अधिनियम (2005) के तहत किया गया था।

- 5 वर्ष या 65 वर्ष, जो भी पहले हो, तक पद पर रहेंगे।
- ये पुनर्नियुक्ति के पात्र नहीं है।

CVC - केन्द्रीय सतर्कता आयोग:

- गठन - 1964 एक executive body के रूप मे (कार्यकारी निकाय)
- 2003 - एक विधिक निकाय बना। (मूलतः न तो संवैधानिक, न ही वैधानिक)
- सानथानम समिति की रिपोर्ट पर गठित।
- अध्यक्ष + 2 सदस्य
- कार्यकाल - 4 साल / 65 वर्ष की उम्र
- नियुक्ति - राष्ट्रपति द्वारा एक समिति की सलाह पर
  - 3 लोग { pm, गृहमंत्री, लोकसभा विपक्ष का नेता

CBI - केंद्रीय जांच ब्यूरो

- गठित - 1963, सानथानम समिति की रिपोर्ट पर
- motto - उद्यम, निष्पक्षता, ईमानदारी
  'Industry, Impartiality & Intigrity'
- executive body (कार्यकारी निकाय)
- कार्यकाल - 2 वर्ष
- यह दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम 1946 से अपनी शक्ति drives करता है।

नीति आयोग: executive body (कार्यकारी निकाय)

1 जनवरी 2015, योजना आयोग के स्थान पर

- अध्यक्ष - pm
- उपाध्यक्ष - सुमन बेरी
- CEO - BVR सुब्रमण्यम्

"राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान"

संचालन परिषद: सभी राज्यों के cm + केंद्रशासित प्रदेशों के उपराज्यपाल

विधि आयोग:

- कार्यकारी निकाय
- पहला विधि आयोग - 1955
- पहले अध्यक्ष - एम·सी· सीतलवाड़ (1955 - 1958)

1833 → विधि आयोग → मैकुले (पहला विधि आयोग)

लोकपाल & लोकायुक्त:

2013, अधिनियम

Ombudsman → स्वीडन से प्रभावित

↓ केन्द्र | ↓ राज्य

संरचना - 1 + 8

- 50% न्यायिक सदस्य
- 50% SC/ST/OBC

PM + Group A, B, C, D

↪ भ्रष्टाचार देखते है

- नियुक्ति: राष्ट्रपति द्वारा एक समिति की सिफारिश पर
- पहले लोकपाल - पिनाकी चन्द्र घोष
- पहला राज्य जो लोकायुक्त लाया - महाराष्ट्र